बृहस्पतिवार,
२६ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २६ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, कोनी

*९९९. **श्री एस० सी० सामन्त : श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलासपुर स्थित कोनी में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था के शिक्षकों के लिये प्रशासन में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है; और

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों एवं निजी औद्योगिक सार्थों से आये हुए कितने कितने व्यक्तियों को इस समय प्रशिक्षा मिल रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से आये हुए कर्मचारी ८१

निजी औद्योगिक सार्थों के नामनिर्देशित व्यक्ति ८

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस संस्था में प्रशिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के पास कोई विदेशी योग्यतायें हैं, अथवा कहां-कहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है ?

श्री आबिद अली : प्रशिक्षार्थी पर्याप्त रूप से शिक्षित हैं। अब जहां तक उन की योग्यता का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे पूर्व सूचना दें और बाद में मैं उस के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त करूंगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कई विशेषज्ञों को इन प्रशिक्षार्थियों की प्रशिक्षा के लिये इस संस्था में भेजा गया है ?

श्री आबिद अली : श्रीमान्, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार कोनी शिक्षण केन्द्र को दिल्ली, करनाल ऐसे स्थानों में ले जाने का प्रयत्न कर रही थी।

श्री आबिद अली : ऐसी कोई बात तो अभी तक ख्याल में नहीं आई।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस संस्था पर कुल कितना व्यय लगाया गया है ?

श्री आबिद अली : इस प्रश्न का सम्बन्ध तो प्रशिक्षार्थियों की संख्या के साथ है, व्यय के साथ नहीं ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस संस्था में शिक्षा पाने वाले प्रशिक्षार्थियों को नौकरी दिलाये जाने की प्रत्याभूति दी जाती है ?

श्री आबिद अली : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से आने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या अधिक है और निजी संस्थाओं या सार्थों से भी कुछ एक प्रशिक्षार्थी आये हुए हैं। अतएव प्रशिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अपने अपने पदों पर चले जाते हैं ।

भूमि-भोगावधि

*९९७. **श्री बी० के० दास :** खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद् द्वारा भूमि-भोगावधि के भिन्न २ प्रकारों से प्राप्त हुए आर्थिक परिणामों का पर्यालोकन किया जा चुका है;

(ख) किस अभिकरण को यह काम सौंपा गया है; और

(ग) क्या आज तक कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां, बम्बई राज्य स्थित ज़िला बड़ौदा में अमरोली की ग्राम-पुनर्संस्थापन योजना के अन्तर्गत । उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि रानीपरज भीलों को उन ज़मीनों पर पुनर्संस्थापित किया जाय जहां से उन्हें साहूकारों ने निकाला हुआ था ।

(ख) बड़ौदा ज़िला के कलैक्टर के अधीक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में बनाई गई बहुप्रयोजन सहकारी समितियों द्वारा यह योजना चलाई गई है ।

(ग) प्रारम्भ में, कृषि-कार्यों की चार प्रकार की निम्नांकित प्रणालियों पर प्रयोग किया गया था :—

(१) कृषक स्वामित्व,
(२) पट्टेदारी,
(३) सामूहिक,
(४) सहकारी ।

२. एक विशेषज्ञ-पदाधिकारी, जिसने उक्त योजना का निरीक्षण किया, की सिपारिश के अनुसार अब उन दो निम्नांकित प्रणालियों पर, जो सफल हुई हैं, प्रयोग किये जा रहे हैं :—

(१) मौरूसी काश्तकारी
(२) सामूहिक कृषि कार्य ।

३. अभी भी उक्त योजना चल रही है ।

श्री बी० के० दास : मेरे प्रश्न के भाग (ग) में उक्त योजना से क्या परिणाम मिले हैं, यही मैं जानना चाहता था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं अभी बतला चुका हूं कि हम ने चार विधियों पर प्रयोग किये हैं। प्रत्येक विधि के अनुसार जो भी मुनाफा हुआ है वह मैं आप को बता दूंगा। स्वामित्व विधि के अनुसार हमें प्रति एकड़ ६१ रुपये २ आने ६ पाई का मुनाफ़ा हुआ था । पट्टेदारी के अनुसार हमें ३५ रु० १२ आ० ० पाई का मुनाफ़ा हुआ था। सहकारी कृषि कार्य के अनुसार १५ रु० १२ आने ० पाई का मुनाफ़ा हुआ था और सामूहिक कृषिकार्य के अन्तर्गत २९ रुपये ८ आने ० पाई का मुनाफ़ा हुआ था। अतः स्वामित्व प्रणाली पहले स्थान पर, और पट्टेदारी दूसरे स्थान पर, सामूहिक कृषिकार्य तीसरे स्थान पर तथा सहकारी प्रणाली चौथे स्थान पर रखी गई ।

श्री बी० के० दास : इन चार प्रकार के स्वामित्वों को कार्यान्वित करने के लिये कृषकों को क्या सुविधायें दी गईं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सब का ब्यौरा देने में समय भी काफी लगेगा, और उत्तर भी लम्बा होगा ।

श्री बी० के० दास : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि विविध आर्थिक परिणाम प्राप्त हो चुके हैं, मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन चारों प्रकार की प्रणालियों को एक सी परिस्थिति में प्रयोग में लाया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : भूतपूर्व बड़ौदा सरकार ने १९४६ में ही इस सुविचारित प्रयोग को प्रारम्भ किया था और इस सम्बन्ध में इसलिये सभी प्रयत्न किये भी गये क्योंकि हम इन सभी के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद, उन को न्यूनाधिक रूप में समान परिस्थितियों और दशाओं में लागू करना चाहते थे ।

श्री ए० एम० टामस : मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि क्या पंचवर्षीय योजना में बताये गये जनगणना कार्यों में इस प्रकार की भूमि-भोगावधि भी समा जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह नहीं समझता कि इस प्रश्न से यह बात पैदा हो सकती है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या देश में भूमि भोगावधि के भिन्न-भिन्न प्रकारों को दृष्टि में रखते हुए, मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि और किस स्थान में इस प्रकार का प्रयोग अथवा सांख्यकीय परिमाप किया जा चुका है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक मुझे इस बात का ज्ञान है, इस प्रकार की बात और कहीं भी नहीं हुई है ।

श्री गोपाल राव : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार देश के अन्य भागों में भी इस प्रयोग को चलाने पर विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा बतलाया भी जा चुका है, आज कल के राज्य में यह बहुत ही आवश्यक है, और राज्य की सहायता से ही हम इस सीमा तक पहुंच गये । मेरा विचार है कि किसी भी अन्य राज्य ने इस प्रयोग पर चलने का विचार नहीं किया है ।

श्री नानादास : स्वामित्व-काश्तकारी के अन्तर्गत इन मुनाफ़ों को शुमार करने की इकाई क्या थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : गांव की भूमि को कुल पर ११.७ एकड़ों के भूमिखण्डों में विभक्त किया गया था ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन पदाधिकारियों को एक ऐसे अधिवेशन में शामिल होने के लिये भेजा गया था जिस में भूमि-भोगावधि की प्रणालियों के सम्बन्ध में पूछताछ की जाने वाली थी, और क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास कोई सूचना नहीं । इस बात से यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

स्विट्ज़रलैण्ड के मैसर्ज श्लाइरेन को अग्रिम धन

***९९८. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के वज़न के नये रेल-डिब्बों के निर्माण के लिये स्विटज़रलैण्ड के मैसर्ज श्लाइरेन के साथ किये गये ठेके के सम्बन्ध में आज तक उस सार्थ को कुल कितना अग्रिम धन दिया जा चुका है;

(ख) क्या भारत में इसी प्रकार के रेल डिब्बों के निर्माण के लिये भारतीयों को प्रशिक्षा दिलाने से सम्बन्धित समझौता पूरा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में यह कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा किस स्थान पर ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेल-डिब्बों के अनुमानित व्यय के ५० प्रतिशत भाग के आधार पर कुल १०० रेल-डिब्बे बनाये जाने के आदेश दिये जाने के समय उक्त सार्थ को कुल ५,६१५,००० स्विज़ फ़्रैंक (अथवा ६१.८७ लाख रुपये) अग्रिम धन के रूप में दिये गये।

(ख) जी हां।

(ग) मद्रास के निकट पेरम्बूर में इसी प्रकार के डिब्बे बनाने वाले एक कारखाने का निर्माण-कार्य १९५२ के प्रारम्भ में शुरू किया गया था, किन्तु यह कारखाना अभी कम से कम और दो वर्ष बाद उत्पादन-कार्य शुरू करेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह ज्ञात करना चाहता हूं कि सरकार तथा स्विटज़रलैंड के मैसर्ज़ श्लाइरेन के बीच तय हुये संविदा का कौन सा भाग पूरा किया जा चुका है, और कौन सी बातें अभी पूरी की जानेवाली हैं ?

श्री अलगेशन : इस बात पर सदन में पर्याप्त रूप से विवाद किया जा चुका है, और हम ने उस संविदा के पुनरीक्षण कराने के हित समझौता करने के लिये एक उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को स्विटज़रलैंड भेजा है। चुनाचि उस संविदा को कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी। भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया कि इस प्रकार के रेल-डिब्बों के निर्माण के लिय पेरम्बूर स्थित कारखाने का रचना-कार्य १९५२ में आरम्भ किया गया था, और वह कारखाना अभी कम से कम और दो वर्ष बाद उत्पादन-कार्य शुरू करेगा। भारत में ही इस प्रकार के रेल-डिब्बों के निर्माण के लिये भारतीयों को प्रशिक्षा दिलाये जाने के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

श्री अलगेशन : नये करार के अन्तर्गत इस सारी बात की व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री वी० पी० नायर : क्या करार में उपबन्धित हुये इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुय कि सभी शर्तों के पूरा होने पर ही धन की अदायगी होगी, मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि १०० व्यक्तियों को प्रशिक्षा दिलाने की शर्त कहां तक पूरी की जा चुकी है ?

श्री अलगेशन : यह विदित हो चुका है कि हम ने चौथी अदायगी रोक रखी है, और चुनाचि निश्चय भी किया गया था, किन्तु हम ने वार्षिक अदायगी भी नहीं की है। हम ने सामान मंगाने के लिये अन्य आदेश भी नहीं भेजे हैं क्योंकि करार को पूर्णतया कार्यान्वित करने में उक्त सार्थ ने थोड़ी सी देर की थी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि आज तक कितने डिब्बे प्राप्त किये जा चुके हैं ?

श्री अलगेशन : पचास।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य नहीं है कि करार में यह उपबन्धित किया गया है कि प्रतिज्ञा-भंग की स्थिति में सार्थ को चेतावनी के रूप में सूचना दी जा सकती है, और क्या मैं यह भी ज्ञात कर सकता हूं कि संविदा के भंग होने की स्थिति में उन के पास सूचना भेजी जा चुकी थी ?

श्री अलगेशन : करार में यह उपबन्धित हुआ है कि मध्यस्थ-निर्णय से काम लिया जाय। अब हम करार का पुनरीक्षण करा रहे हैं, और हम ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री वी० पी० नायर : मैं इसे इस तरह समझता हूं कि सूचना भेजने का तो उपबन्ध है।

श्री अलगेशन : उक्त करार सार्वजनिक सम्पत्ति है। इसे सदन के पुस्तकालय में रखा गया है। माननीय सदस्य इसे देख लें।

श्री के० सुब्रहमण्यम : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या नये हल्के डिब्बे बहुत ही अधिक ज्वालाग्राही है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोई नये स्विस विशेषज्ञ भारत आये हुये हैं, और यदि हां तो उक्त करार को कार्यान्वित करने के लिये कौन से पग उठाये गये हैं ?

श्री अलगेशन : उन में से कई एक तो भारत में बहुत देर तक ठहरे, और उन्हों ने कई एक नक्शे तैयार करने में सहायता दी।

दीसा - कान्ड़ला रेल के लिए अर्जित भूमि

*९९९. **श्री जसानी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दीसा से कान्डला तक रेल पथ बनाने के प्रयोजनार्थ कब और कितनी भूमि अर्जित की गई ?

(ख) उस अर्जित भूमि के मालिकों की क्षतिपूर्ति के लिये कितनी धन-राशि उपबन्धित की गई ?

(ग) क्या उन भूस्वामियों को कोई धन-राशि दी गई है, और यदि हां तो कितनी?

(घ) यदि नहीं तो देरी के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) प्रति वर्ष अर्जित की गई भूमि के आंकड़े इस प्रकार हैं :–

१९४९ में— बनस कंठा तथा मेहसाना ज़िलों में १००५ एकड़।

१९५० में—प्राय: कच्छ राज्य में ४०४७ एकड़

१९५१ में— मेहसाना ज़िले में ३८ एकड़।

१९५२ में— मेहसाना ज़िले में ३० एकड़।

(ख) पहले अर्जित की गई भूमि के स्वामियों की क्षतिपूर्ति के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

(ग) जी हां। आज तक ३ १/२ लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

(घ) इस समय रेल-संस्था के पास कोई भी दावे शेष नहीं, चुनाचि यह संस्था असैनिक अधिकारियों की सेवा में पर्याप्त निधियां प्रस्तुत कर लेती है जो आवश्यकता के समय उन का उपयोग कर लेते हैं।

श्री जसानी : शेष राशि को बांटने मे अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : असैनिक अधिकारियों पर इस सब बात का निर्भर है, क्योंकि रेल-संस्था द्वारा नहीं अपितु असैनिक अधिकारियों द्वारा ही वास्तविक वितरण हुआ करता है। हम ने तो भूमि का पूरा मूल्य, जो १० लाख रुपये तक बनता है, उन की सेवा में रखा है। उन्हें अदायगी करनी पड़ती है।

श्री जसानी : क्या यह तथ्य है कि अब तीन वर्ष से अधिक समय से उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं दी गई ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां, यह तथ्य है। किन्तु मैं आप को पहले ही बतला चुका हूं कि वर्ष १९५१–५२ और १९५२–५३ में रेल-संस्था के अधिकारियों ने क्षतिपूर्ति की पूरी राशि असैनिक अधिकारियों की सेवा में प्रस्तुत की है, और उस धनराशि का वितरण भी उन्हीं के हाथों में है, हमारे हाथों में नहीं।

श्री जसानी : क्या रेल-अधिकारी अब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि भूस्वामियों को शीघ्र ही धनराशि का भुगतान किया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहल ही बतला चुके हैं कि यह बात कलैक्टर, आदि जैसे असैनिक अधिकारियों के हाथ में है।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : उस मामले पर राज्य सरकार के साथ परामर्श करना पड़ेगा।

सहकारी समितियां

*१०००. श्री जसानी : (क) रेल मंत्री १५ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७९ के उत्तर को ओर निर्देश करते हुये यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेल कर्मचारियों में सहकारी समितियों की संस्था को प्रोत्साहन देने के लिये नियुक्त किये गये विशेष पदाधिकरी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को सरकार ने जांचा है ?

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). रेल बोर्ड द्वारा अभी भी उस रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

श्री जसानी : पूछताछ-कार्य कब तक समाप्त होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : सिपारिशों में कई ऐसे मामले हैं जिनका बहुत अधिक आर्थिक महत्व है, और यही कारण है कि हम शीघ्रता में कोई भी निश्चय नहीं कर सकते ।

श्री जसानी : विशेष अधिकारी द्वारा कौन सी सिपारिशें की जा चुकी हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : विशेष अधिकारी द्वारा की गई सिपारिशें रेल बोर्ड के विचाराधीन हैं, और मेरा यह विचार है कि इस समय उन को अनावरण करना असामयिक होगा । जभी हम उस प्रकार की स्थिति में होंगे, पूरी सूचना सदन पटल पर रखी जायेगी ।

तार संचरण प्रणाली

*१००२. श्री लक्ष्मण सिंह चरक :(क) संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कई पदाधिकारियों को १५ अगस्त १९४७ के बाद तार-संचरण प्रणाली का अध्ययन करने के लिये भारत से ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों में भेजा गया था ?

(ख) उन के प्रवासकाल में भारत सरकार ने उनपर कितना धन व्यय किया है ?

(ग) क्या उन पदाधिकारियों ने सरकार को कई रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, और यदि हां तो क्या सरकार उन रिपोर्टों की प्रतियां सदन पटल पर रखना चाहती हैं ?

(घ) कब से भारत में तार-संचरण प्रणाली का प्रयोग होगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) १५ अगस्त, १९४७ के बाद इस काम के लिये भेजे गये पदाधिकारियों पर लगभग २,१७,५०० रुपये व्यय किये गये ।

(ग) इन में से प्रायः बहुत से पदाधिकारियों को कारखानों अथवा प्रशिक्षण स्कूलों में विशिष्ट प्रशिक्षा के लिये भेजा गया उन से इस बात की अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे सरकार को कोई रिपोर्टें पेश करें ।

शेष पदाधिकारियों की रिपोर्टें तो सदस्य अथवा ऐसे अन्य सदस्यों को जो उन में रुचि रखते हैं, दिखाई जा सकती हैं । यों तो ये रिपोर्टें बहुत ही उच्च प्राविधिक प्रकार की हैं और इन में समृद्ध वैज्ञानिक विवरण, सारणियां, मान-चित्र, आदि दिये गये हैं ।

(घ) अनुमानतः, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इन पदाधिकारियों द्वारा अर्जित विशेष ज्ञान को भारत में तार-संचरण प्रणाली के विकास के प्रयोजनार्थ किस तरह काम में लाया जायेगा । यदि यही बात है तो इन पदाधिकारियों और अधिकारियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ यह ज्ञान पहले से ही भारत में तार-संचरण

पद्धति के विकास के लिये काम में लाया जा रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस प्रकार व्यक्तियों को विदेश भेजने के अतिरिक्त हमारी सरकार ने टेलीप्रिन्टर प्रणाली के विकास के लिये ऋण के रूप में कुछ विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें भी प्राप्त की हैं ?

श्री राज बहादुर : टेलीप्रिंटर के लिये ही तो नहीं, अपितु तार-यंत्र प्रणाली के यन्त्रीकरण के लिये हम ने दो विशेषज्ञों की मांग की है, और हमें उन की सेवायें प्राप्त होने वाली हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या फ्रांस के साथ हमारा कोई तार-संचरण सम्पर्क है; यदि नहीं तो हमें इंगलैंड के मार्ग द्वारा इस सम्पर्क को बनाये रखने के लिये और कितना धन देना पड़ता है ?

श्री राज बहादुर : मुझे इस बात का आश्चर्य है कि यह बात सदन पटल पर रखे गये प्रश्न में किस प्रकार समा जाती है। लन्दन के मार्ग द्वारा तो हमारी टेलीफोन प्रणाली पहले से मौजूद है।

डा० सुरेश चन्द्र : इस प्रश्न में यह बात तो समा जाती है कि हमें इस चीज़ के लिये और कितना धन देना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस प्रकार यह प्रश्न उठता है; तार-संचरण प्रणाली से सम्बद्ध हर कोई बात नहीं पूछी जा सकती है।

खाद तथा कृषिसार

*१००४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद तथा कृषिसार विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिपारिश के अनुसार खादों तथा कृषिसारों की क्रिया-प्रवृत्ति एवं अंशों पर अधिक प्रकाश डालने के लिये विविध विषयों पर मूल अनुसन्धान की योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आज तक क्या क्या कार्यवाही की गई।

(ख) क्या किसी भी राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि ऊपर के (क) तथा (ख) भागों का उत्तर हां में हो तो क्या कोई योजना बनाई गई है, और यदि हां तो वह योजना क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा यह सिपारिश विचार में लाई गई है। प्रत्येक राज्य में से चुने गये एक एक ज़िले में स्थित कृषकों के खेतों पर डा० स्टीवार्ट की सिपारिश के आधार पर साधारण प्रयोगों की योजनायें तो पहले से ही मद्रास, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में चालू हैं, जिन के बाद दीर्घकालीन जटिल प्रयोग होंगे, और इन्हें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी; चुनाचि बम्बई, उड़ीसा पेप्सू, पंजाब भोपाल तथा मध्य प्रदेश राज्यों में १ अप्रैल, १९५३ से इन योजनाओं के आरम्भ किये जाने की आशा की जाती है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा तैयार किये गये विषय पर, जिस की राज्य सरकारों ने भी सिपारिश की है, उस आदर्श योजना की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५९]**

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विविध प्रकार की भूमि के उपजाऊपन के सम्बन्ध में विश्वास प्राप्त करने के लिये विभिन्न कटिबन्धों में रहने वाले कृषकों के हित समन्वित भूमि-परीक्षण का विकास करने के निमित्त एक केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रारम्भ करने की कोई प्रस्थापना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव दिये गये हैं, और उन पर विचार भी किया जा रहा है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या फसलों के अनुसार अथवा इसी बात के सम्बन्ध में यह जांच की जायेगी; और किन क्षेत्रों में वह जांच की जा रही है?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा यह विश्वास है कि भूमि (मिट्टी) के प्रकार विशेष एवं गुण के साथ ही इन बातों पर विचार करना पड़ेगा और यह अनिवार्य भी है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि बगैर सलफ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किये हुये किसी लेबारेटरी में किसी फरटीलाइज़र की ईजाद हुई है?

डा० ी० एस० देशमुख : यह तो सब जगह होता है जहां हमारी लैबारेटरीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स (प्रयोगशालायें एवं अनुसन्धानशालायें) हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस योजना में रायलसीमा भी सम्मिलित है?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान्, मैं यह बता नहीं सकता।

पत्तन-व्यय का अभिनवीकरण

*१००६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि एक पत्तन से दूसरे पत्तन तक के व्ययों, दरों, आदि के सम्बन्ध में पत्तन-अधिकारियों के बीच एकरूपता तथा समझ का अभाव है?

(ख) पत्तन-व्यय के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में तथा पत्तन अधिकारियों की ओर से इस दिशा में एक प्रभावशाली समन्वित कार्य कराने के लिये क्या किया जा रहा है?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). अर्द्ध-स्वायत्तशासी पत्तन न्यासों से इस बात की आशा की जाती है कि वे "लाभहीन एवं हानिहीन" आधार पर अपने व्यय को पूरा करने के लिये अपने पत्तन-व्ययों से ही पर्याप्त राजस्व इकट्ठा करेंगे। चूंकि हर एक पत्तन का व्यय, यातायात-प्रकारविशेष, तथा यातायात का आना-जाना भिन्न होता है, अतः सभी पत्तनों के लिये एक ही प्रकार की दरों को निश्चय करना संभव नहीं है। उदाहरणतया, कलकत्ता जैसे ज्वार-नदी पत्तन पर बम्बई या मद्रास की अपेक्षा बहुत खर्चीली पोतघाट प्रणाली के कारण मूल ऋणों पर ब्याज के रूप में और नदी की नौपरिवहनीयता को बनाये रखने एवं नाव खेने, नौचालकवृत्ति, आदि पर बहुत अधिक धन का व्यय करना पड़ता है। पत्तन अधिकारी एवं सरकार आयव्ययकीय प्रस्थापनाओं के बनाये जाने तथा स्वीकार किये जाने के समय वहां की स्थानीय परिस्थिति के अनुसार एकरूपता प्राप्त करने की वांछनीयता को दृष्टि में रखते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि वर्तमान कठिनाइयों को छोड़कर विविध पत्तनों की दरों में क्या अन्तर है?

श्री अलगेशन : मैं बतला भी चुका हूं कि पत्तन दर भिन्न भिन्न है; यह एक लम्बी अनुसूची है, अतः एक वाक्य में सूचना नहीं दी जा सकती।

श्री एम० ऐल० द्विवैदी : क्या मंत्री जी कालान्तर में वह सूचना सदन पटल पर रख देंगे?

श्री अलगेशन : जी हां, मैं यथासंभव शीघ्रता करूंगा।

शक्कर तथा गुड़ के दाम

*१००७. **डा० रामसुभग सिंह** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि क्या अभी हाल में ही शक्कर तथा गुड़ के दामों में बढ़ती होने लगी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

(ग) दामों की बढ़ती को रोकने के लिये सरकार ने कौन से पग उठाये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख). विदेशों में निर्यात सम्बन्धी सूचनाओं तथा उत्पादन में आशित गिरावट के कारण जनवरी, १९५३ में शक्कर के दामों में थोड़ी सी बढ़ती हो गई थी, और अक्तूबर तथा नवम्बर में मन्द निर्यात के कारण घाटे के क्षेत्रों में स्कन्धों का ह्रास भी हुआ था। तब से शक्कर के दाम गिरते ही गये हैं। यों तो मुख्यतः उत्पादन में कमी के कारण गुड़ के दामों में धीरे-धीरे बढ़ती होने लगी है।

(ग) दोनों, शक्कर तथा गुड़ के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। शक्कर बनाने वाले कारखानों ने बिक्री के लिये शक्कर की बहुत बड़ी मात्रा छोड़ रखी है, और कारखानों से शक्कर की बड़ी बड़ी मात्रायें भी तेजी से आने लगी हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या में ज्ञात कर सकता हूं कि गुड़ के उत्पादन में मूल आंक से कितनी कमी हो गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे माननीय मित्र किस अवधि के आंक की ओर निर्देश कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : चालू ऋतु में अथवा चालू वित्तीय वर्ष में।

डा० पी० एस० देशमुख : कदाचित् २ १/२ लाख के करीब।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार के समक्ष उत्पादन में कमी होने के कारण क्या हैं तथा अग्रेतर कमी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास के कुछ भागों में भी बुरी फसलों के कारण उत्पादन में कमी हुई है। किन्तु मेरा विचार है कि इस कटौती के बावजूद भी हमें अगले वर्ष में लगभग ४ लाख टन प्राप्त होंगे। अतः लगभग एक लाख की कमी होगी।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार किस प्रकार उत्पादन में कमी रोकना चाहती है ?

श्री किदवई : जब तक हम निर्यात नहीं करते, तब तक अधिक उत्पादन का कोई भी लाभ नहीं। और वर्तमान दामों पर हम निर्यात नहीं कर सकते।

श्री टी० एन० सिंह : अभी हाल के महीनों में गुड़ के दामों की अकस्मात् गिरावट को रोकने के लिये, सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान नहीं कि इस समय देश में गुड़ के दाम क्या हैं।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, मैं ने आप का उत्तर नहीं सुना।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का विचार है कि माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान नहीं कि इस समय देश में गुड़ के क्या दाम हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यही समझा गया है कि कुछ एक महीने पहले गुड़ के दाम नहीं गिरे ?

श्री किदवई : विगत वर्ष गुड़ के दाम गिर गये। कई जगहों पर गुड़ का दाम लगभग ५ रुपये प्रति मन तक उत्तर आया। उस के पश्चात् गुड़ का निर्यात खुला छोड़ा गया और दाम १३ रुपये प्रति मन तक बढ़ गये। और इस ऋतु में अब गुड़ के दाम १३ रुपये से कम नहीं हैं अपितु १३ रुपये से अधिक हैं।

श्री रघवय्या : में ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार गुड़ तथा शक्कर के उपभोक्ताओं की असुविधा दूर करने के लिये ताड़-गुड़ के निर्माण तथा विक्रय को प्रोत्साहन देने का कोई प्रयत्न कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान्, हम ताड़-गुड़ के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

भद्राचेल्लम् सड़क–पेनुगडुपा रेलवे-लाइन

*१००८. **श्री विट्टल राव** : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य स्थित सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी ने इस बात की प्रार्थना की है कि भद्राचेल्लम् सड़क से पेनुगडुपा तक जहां कुछ समय से खान का कार्य शुरू किया गया है, रेलवे लाइन पहुंचाई जाय ;

(ख) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर हां में हो तो उस रेल लाइन के निर्माण का कार्य कब से शुरू किया जायेगा ; और

(ग) क्या यह तथ्य है कि इस नई लाइन से कोयला उत्पादन में २,००० टन प्रति दिन की वृद्धि होगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) इस समय रेलवे लाइन के निर्माण की वृद्धि की व्यवस्था की प्रस्थापना पर प्रारम्भिक जांच की जा रही है, और इसीलिये इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि कब वास्तविक निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(ग) आशा की जाती है कि १९५७ तक उत्पादन में लगभग १३०० टन की दैनिक वृद्धि की जायेगी।

श्री विट्टल राव : क्या में इस उत्तर से यही समझ लूंगा कि १९५३ और १९५४ में भी यह काम आरम्भ नहीं किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : हां, श्रीमान्, माननीय सदस्य की धारणा ठीक है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस कंस्ट्रक्शन से कोई फायदा भी होने वाला है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं यही समझ लूंगा कि सरकार को इस बात से सन्तोष प्राप्त है कि वर्तमान व्यवस्था मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या रेलवे लाइन से यह बात पैदा हो जाती है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : हां, श्रीमान्। क्या सरकार को इस बात का संतोष प्राप्त है कि रेलवे लाइन को बढ़ाने के बिना ही वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद हो सकती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : श्रीमान्, हम इस लाइन की जांच कर रहे हैं।

फल परिरक्षण योजना

*१००९. **श्री बी० एन० राय** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष १९५३–५४ में फल-परिरक्षण में प्रशिक्षा दिलाने के लिये कोई योजना चलाई जाने वाली है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में भारतीय फलों की वृद्धि के लिये कोई योजना चलाई जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) नहीं, श्रीमान्। फल उद्योग के विकास एवं वृद्धि का उत्तरदायित्व तो मुख्यतया राज्य सरकारों पर है। यों तो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् अखिल भारतीय महत्वपूर्ण समस्याओं से सम्बन्धित अनुसन्धान योजनाओं को वित्तीय सहायता दे रही है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार में इस समय फल-परिरक्षण के लिये कोई परामर्शदाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : कुछ समय तक भारत सरकार के पास एक विशेषज्ञ परामर्शदाता था, किन्तु सरकार का वह प्रयोग सफल नहीं हो सका। अतः एव उन्हें छोड़ दिया गया है।

श्री जी० पी० सिन्हा : हम वर्ष में टीन में बन्द किये गये फलों की कुल कितनी मात्रा का आयात करते हैं; और क्या उस आयात में कोई ह्रास हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि १९५२-५३ में इस सम्बन्ध में मद्रास राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : विविध योजनायें चल रही हैं। मैं माननीय सदस्य को कम से कम एक ऐसी योजना के सम्बन्ध में बता सकता हूं जिस के लिये राज्य सरकार ने ३१,९०० रुपये का अंश दिया है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने भी इतनी ही राशि दी है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या कुछ विदेशी भी फल-परिरक्षण उद्योग चला रहे हैं; यदि हां तो उन की कुल संख्या कितनी है ?

श्री किदवई : क्या वह विदेशों की ओर अथवा इस देश की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : भारत में कितने विदेशी फल-परिरक्षण उद्योग चला रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रश्न दूसरे मंत्री से पूछना पड़ेगा क्योंकि अब फल-परिरक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान का उत्तरदायित्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् पर है और वे अब यह काम केन्द्रीय खाद्य औद्योगकीय अनुसन्धान संस्था, मैसूर में कर रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार इस फल-परिरक्षण कार्य के लिये कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत कोई धनराशि स्वीकार करने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, अभी शीघ्र ही इस पर जांच की जाने वाली है।

श्री बी० पी० नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार पुनलूर में डिब्बों में फल बन्द किये जाने का एक संयंत्र संस्थापित करने का विचार कर रही है, क्योंकि वहां स्थायी रूप से अन्ननास मिलते हैं ?

श्री किदवई : प्रश्न पूछे जाने की स्थिति में हमें राज्य सरकार से पूछताछ करनी पड़ेगी।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या ईस्टर्न यू० पी० के आम के वास्ते भी ऐसी कोई योजना है ?

श्री किदवई : अभी तक यह नही मालूम कि ईस्टर्न यू० पी० का आम कहीं और भी पसन्द किया जाता है ?

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत स्थायी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

*१०११. **श्री सी० आर० चौधरी :** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत कोई स्थायी विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य में मुख्य खाद्य फसलों का विशुद्ध अन्न-वितरण ढूंढ़ निकालने और वर्ष १९५१–५२ में तथा १९५२–५३ की प्रथम छमाही में उस का

वितरण करने के निमित्त की गई कार्यवाही का पुनरावलोकन करने के विचार से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को कोई रिपोर्ट दी जा चुकी है ?

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र में शुद्ध (ख़ालिस) तथा पैवन्द वाले बीज बोये जा चुके हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) यह निश्चय हो पाया है कि स्वयं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में पांच विशेषज्ञों की सदस्यता से एक केन्द्रीय बीज समिति संस्थापित की जायेगी, जिस में मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के सदस्य होंगे और उत्पादकों की ओर से दो प्रतिनिधि भी नामनिर्देशित होंगे ।

(ख) नहीं । अभी समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई है ।

(ग) अधिक अन्न उपजाओ पूछताछ रिपोर्ट के परिशिष्ट १० में नवीनतम सूचना दी गई है, जिस की प्रतियां सदस्यों में परिचालित की गई थीं । उसी की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०**]

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि शुद्ध बीजों (स्ट्रेनो) के प्रयोग का प्रचार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा विश्वास है कि इस दिशा में की गई कार्यवाही सुप्रसिद्ध है ।

श्री सी० आर० चौधरी : कौन सी एजेन्सी को इन के वितरण का काम दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य सरकारों के कृषि विभागों को यह काम दिया गया है ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या सरकार ने बीज-परिरक्षण के प्रयोजनार्थ बीज के क्षेत्रों को अलग करने की कोई योजना बनाई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : प्रत्येक राज्य में बीज उगाने की कुछ एक खेतें हैं ।

श्री वी० पी० नायर : शुद्ध बीजों और पैवन्द वाले बीजों की काश्त की भूमि का आपस का अनुपात क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं तो पहले ही उत्तर में बतला चुका हूं कि इस से सम्बन्धित नवीनतम सूचना अधिक अन्न उपजाओ पूछताछ रिपोर्ट में है, और उस की एक प्रति मैं सदन पटल पर रख भी चुका हूं ।

श्री वी० पी० नायर : वह सूचना कृषि-अन्तर्गत कुल क्षेत्र के सम्बन्ध में है । मैं शुद्ध बीजों और पैवन्ददार बीजों का आपसी अनुपात जानना चाहता हूं ।

श्री किदवई : आप रिपोर्टों से इस की गणना कर सकते हैं और कुल जोड़ मालूम कर सकते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस का यही अर्थ है कि शेष क्षेत्र पैवन्ददार कृषि के अन्तर्गत है ?

श्री किदवई : हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया रिपोर्ट की छानबीन कर के इस की गणना कर लें ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या सरकार ने कृषक में ही इस प्रकार का उत्साह बढ़ाने की कोई कार्यवाही की है जिस से वह बीजों के उत्पादन के प्रयोजनार्थ एक विशेष क्षेत्र को अलग कर के रख दे और उस में बीज उगाया करे ?

श्री किदवई : कभी कभी ऐसा किया जाता है, और मेरा विचार है कि माननीय

सदस्य यह जानते होंगे कि उन के अपने जिले के पड़ोस में बहुत से ऐसे उत्पादक हैं जिन की पैदावार को बीजों के प्रयोजनार्थ सरकार ही खरीदा करती है ।

पंडित के० सी० शर्मा : मैं यह प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं । मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना बनाई है जिस के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक बीज उगाने के प्रयोजनार्थ एक विशेष क्षेत्र को अलग कर दिया करे; अथवा क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया है ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि यदि प्रत्येक कृषक इसी तरह कार्य शुरू करे तो सरकार को हस्तक्षेप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार ने बीज-उत्पादन तथा वितरण के सम्बन्ध में अधिक अन्न उपजाओ कमेटी की सिपारिशों को पूर्णतया स्वीकार किया है, और क्या उन सिपारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान्, कुछ पर तो किया है । हां, मैं इस बात की शपथ नहीं उठाऊंगा कि प्रत्येक सिपारिश को स्वीकार किया गया है । मेरा विचार है कि माननीय सदस्य उक्त कमेटी का एक सदस्य था । और उक्त समिति की बहुत सी सिपारिशों को स्वीकार किया जा चुका है ।

श्री सारंगधर दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी एक प्रयोगकारी स्टेशन द्वारा विकसित नई पौधों को फैलाने के लिये राज्य सरकारों के पास पर्याप्त संख्या में खेतें और बीज उगाने की अन्य खेतें भी हैं ?

श्री किदवई : मैं उड़ीसा में ऐसी खेतें देख चुका हूं ।

श्री रघवय्या : क्या सरकार को बीज-वितरण की अनियमितताओं के सम्बन्ध में कृषक-संस्थाओं द्वारा की गई शिकायतों का ज्ञान है, और यदि है तो सरकार ने उन का उपचार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री किदवई : कभी कभी ऐसी शिकायतें पहुंचती हैं । केन्द्रीय सरकार जानती है कि राज्य सरकारें ही इन बातों से सम्बद्ध हैं, और हम इस प्रकर की शिकायतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं ।

डाक तथा तार विभाग में हिन्दी का उपयोग

*१०१३ **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जहां तक हिन्दी भाषा के उपयोग का सवाल है, डाक तथा तार विभाग द्वारा की गई प्रगति; तथा

(ख) इस वर्ष हिन्दी के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिये सरकारी योजना ।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : डाक तथा तार विभाग में हिन्दी के उपयोग का प्रचार करने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :—

(१) भारतीय डाकीय सेवा की प्रथम श्रेणी में भर्ती होने वाले व्यक्तियों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे हिन्दी की एक परीक्षा पास कर लें; चुनाचि हिन्दी को विभागीय परीक्षा में एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जा चुका है ।

सभी डाकीय मण्डलों में हिन्दी को वही स्थिति और प्रतिष्ठा दी गई है जो वहां की प्रदेशीय भाषा को प्राप्त है । अत:एव डाक सेवा में भर्ती होने वाले हर नये व्यक्ति को प्रदेशीय अथवा हिन्दी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है ।

(२) इस बात के आदेश जारी किये गये हैं कि किसी भी डाकघर से भेजी जाने वाली ऐसी वस्तुओं को जिन पर हिन्दी में पता

लिखा हो लिये जाने से इन्कार नहीं किया जाये ।

(४) डाक टिकटों, पोस्ट कार्डों और अन्तर्देशीय पत्रों पर भी हिन्दी का प्रयोग किया जाता है ।

(५) नाम तथा तिथि रद्द करने वाली मुहरें, जो नये खोले गये डाकघरों को दी जाती हैं, हिन्दी में हैं ।

(६) भारतीय भाषाओं में, देवनागरी लिपि में लिय गये तारों को भेजने की विशेष व्यवस्था लगभग १०० जगहों पर है ।

(७) बधाई के तार भी हिन्दी में भेजे जा सकते हैं ।

(८) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कई नगरों के बीच हिन्दी में तार द्वारा भजे गये मनीआर्डरों का विनिमय किया जा सकता है ।

(९) १-१-'५३ से तार के संक्षिप्त पतों का पंजीयन प्रारम्भ किया गया था ।

(ख) चालू वर्ष तो समाप्त ही हो चुका है । अन्य बातों के होते हुये, हिन्दी को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

(१) यह विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के निमित्त नगद पुरस्कार, प्रमाण-पत्र गुप्त चरित्र-रिपोर्टों में प्रशंसनीय बातों की पूर्ति, आदि के रूप में प्रोत्साहन दिया जा सकेगा ।

(२) डाक तथा तार विभाग राज्य सरकारों के साथ इस विषय में बातचीत कर रहा है कि क्या वे डाक तथा तार कार्यालयों में डाक-तार कर्मचारियों के लिये उनकी योजनाओं के अवयवभूत भाग के रूप में, यदि कुछ हो तो, हिन्दी के प्रचार के लिये हिन्दी पाठ-श्रेणियां खोलने के इच्छुक होंगे ।

(३) जिन जिन डाकीय मण्डलों में हिन्दी अधिक प्रचलित है, वहां की जनता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले पत्रों (फार्मों) को हिन्दी में छापा जा रहा है । अन्य मण्डलों में द्विभाषीय फार्म चलाये जायेंगे और अन्ततः उन के स्थान पर हिन्दी के फार्म रख जायेंगे ।

(४) डाक तथा तार मार्गदर्शक (पी० एण्ड टी० गाइड), जिसे जनता निर्देशिका के रूप में प्रयोग में लाती है, के हिन्दी संस्करण का काम शुरू किया जा चुका है । पी० टी० पाकेट गाइड का हिन्दी संस्करण तो पहले से ही प्रकाशित किया जा रहा है ।

(५) अभी थोड़े ही समय में तार के फार्म तथा लिफाफ़े हिन्दी में चलाये जायेंगे ।

लम्बे उत्तर के लिये मैं क्षमायाची हूं ।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार अपने विभागों का हिन्दीकरण कितने अरसे में कर लेगी ?

श्री राज बहादुर : इस के बारे में आवश्यक नियम विधान में मौजूद हैं ।

श्री बलवन्त सिंह महता : आप की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय भाषाओं में तार भेजने की प्रगति बड़ी मन्द है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस में दोष व्यवस्था तथा प्रचार का है अथवा जनता का जो अपना अधिकतर काम अपनी भाषा में करती है ?

श्री राज बहादुर : इसके बारे में उत्तरदायित्व रखना कि किस पर अधिक उत्तरदायित्व है, कठिन है । किन्तु मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं जो माननीय सदस्य की जानकारी के लिये पर्याप्त होंगे । सन् १९४९-५० में तारों की संख्या २,५७० थी जोकि देवनागरी लिपि में भेजे गये थे, १९५०-५१ में यह संख्या बढ़ कर ५,४८४ हो गई,

सन् १९५१-५२ में यह ७,८०१ हो गई और इसके बाद अगले साल के दस महीनों में यानी अप्रैल १९५२ से जनवरी १९५३ तक यह संख्या १५,५३४ रही।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या सरकार ने प्रान्तीय भाषा के विद्वानों और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विद्वानों से सहयोग लेने का कोई प्रयत्न किया है ?

श्री राज बहादुर : इसकी कोई आवश्यकता नहीं हुई है। हमारा लक्ष्य सबको मालूम है और आवश्यकतानुसार जिस विद्वान की सहायता और सहयोग मिलेगा उसे हम आभार के हाथ ग्रहण करेंगे।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि अभी जिन तारघरों से हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था है वे तारघर ज्यादातर बड़े शहरों में ही हैं, जिन कस्बों में अंग्रेजी के जानकार लोग बहुत कम हैं उनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। क्या ऐसी जगहों में इस तरह की व्यवस्था चालू किये जाने पर विचार किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : शनैः शनैः किया जायेगा।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने अभी एक बड़ी लम्बी चौड़ी सूची इस बात की दी कि क्या क्या कार्य किया जा रहा है, उनके महकमे में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए। क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जो प्रश्न उन को दिया गया था वह भी हिन्दी में था और क्या वे यह नहीं समझते कि हिन्दी प्रश्न का उत्तर हिन्दी में देना उनके महकमे में हिन्दी को प्रोत्साहन देना है ?

श्री राज बहादुर : विधान में अभी कोई ऐसी पावन्दी नहीं है कि अनिवार्य रूप से हिन्दी प्रश्न का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाय। किन्तु यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आगे इसका भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत जैसे देश में जहां १० प्रतिशत से कम साक्षरता है, आप भविष्य में सभी राज्यों के लिए सभी डाक तथा तार के फार्मों पर हिन्दी चलाना चाहते हैं ?

श्री राज बहादुर : उन लोगों पर जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, हम कभी भी किसी प्रकार की जल्दी करके इस भाषा का दबाव नहीं डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शनैः शनैः १५ वर्षों में हिन्दी इस स्थिति पर आ पहुंचे।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : चूंकि आपके उत्तर से यह बात पैदा हो जाती है कि कई राज्य सरकारें पी० एण्ड टी० कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी श्रेणियां चलाने के लिए मजबूर हैं, अतः क्या मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन श्रेणियों की कुछ परीक्षायें होंगी, और क्या उन कर्मचारियों की वेतन तथा स्तर-वृद्धि इन परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति पर ही निर्भर किया करेगी ?

श्री राज बहादुर : इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कि इन परीक्षाओं पर ही उन्नति का आधार हो। हम संविधान का अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात् हम संविधान में नियत अवधि में ही राष्ट्र भाषा को लागू करना चाहते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका से आया हुआ पर्यटक-शिष्टमंडल

***१०१४. श्री बुच्चिकोटैय्या :** यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी १९५३ में संयुक्त राज्य अमरीका से एक पढ़ो 'तथा सीखो पर्यटक'

प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आ पहुंचा था; और

(ख) क्या उक्त मंडल भारत सरकार की प्रार्थना के अनुसार आया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) जी हां, फरवरी २२ को चौदह प्रमुख अमरीकी यात्रा एजेण्ट भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत पहुंचे, और वह चौदह दन का एक अवलोकनार्थ दौरा करने तथा यह देखने आय थे कि भारत में कौन सी पर्यटन-सुविधायें उपलब्ध हैं ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन्होंने कौन सी जगहें देखीं ?

श्री शाहनवाज खां : उन्होंने आगरा, जयपुर, औरंगाबाद, अजन्ता, एलोरा, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दारजीलिंग देखे ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन्होंने जाते समय भारत तथा अन्य देखी हुई जगहों के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रगट किये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इस देश से जाने के पूर्व उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने कई एक सुझाव दिये । उन्होने यह सुझाव दिया कि अन्तःशुल्क तथा विनिमय नियंत्रण प्रतिबन्धों को हटाया जाना चाहिए, भारत आने वाले पर्यटकों द्वारा भरे जाने वाले फार्मों की संख्या कम कर देनी चाहिए , जिन जिन जगहों पर वे चले गये वहां होटलों में रहने की व्यवस्था ठीक थी, और यह भी बताया था कि होटलों में स्नानागारों का सुधार किया जाना चाहिए ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : क्या यह तथ्य है कि उन्हें जगह जगह पर प्रायः अधिक फोटो लेने की आज्ञा दी गई थी ?

श्री नाना दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने उनके लिए धन का कुछ व्यय किया है तथा क्या सरकार ने उन्हें कुछ सुविधायें दी हैं, और यदि हां तो किस प्रकार की सुविधायें तथा कितनी धनराशि दी गई ?

श्री शाहनवाज खां : उनके पर्यटन पर सरकार को ८,००० रुपये से कुछ अधिक सर्वोपरि व्यय करना पड़ा । उन्होंने यहां उतनी धनराशि व्यय की है; उन्होंने अपनी जेबों से अधिक धन का व्यय किया है ।

श्री नाम धारी : क्या सरकार इस बात की आशा करती है कि श्री गोपालन को वापिस बुलाने के लिए रूस से कोई प्रतिनिधिमंडल आयेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से वह बात पैदा नहीं होती ।

श्री बी० पी० नायर : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि केवल संयुक्त राज्य अमरीका से पर्यटक-समूह निमंत्रित किये जाने के, यदि कुछ हों तो, क्या विशेष कारण थे ?

श्री शाहनवाज खां : अमरीकियों को ही विशेष रूप से बुलाने के कोई विशेष कारण नहीं थे । किन्तु ब्रिटिश ओवरसीज़ एविएशन कम्पनी ने १४ अमरीकी पर्यटकों के एक दल को लाने की सेवायें प्रस्तुत कीं । इस देश में ऐसी बात का होना कोई नई चीज नहीं । अमरीका, फ्रांस, बेलजियम, आदि अन्य देशों में यह प्रथा है कि वे पर्यटक दलों को अन्य देशों में ले जा कर वहां उन्हें सुन्दर स्थानों और वस्तुओं का दर्शन कराते हैं ।

विठलवादी रेलवे स्टेशन

*१०१६. **श्री गिडवानी** : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि उल्हास नगर बस्ती (बम्बई राज्य) में रहने वाले विस्थापित

व्यक्तियों ने सरकार के पास इस बात का प्रतिनिधान किया है कि उन्हें विठलवादी स्टेशन से ही वस्तुयें आदि भेजने की सुविधा दी जाय;

(ख) क्या यह तथ्य है कि चीफ़ ट्रैफ़िक मैनेजर ने अपनी चिट्ठी संख्या जी-डब्ल्य २५६१, दिनांक २१ दिसम्बर, १९५१ में श्री इन्दुरजसवानी को यह उत्तर लिख भेजा था कि विठलवादी को १९५२-५३ के कार्यक्रम में रखा गया है; और

(ग) इन सुधारों में देर क्यों हुई है, तथा कब इस प्रकार के सुधार होंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) देर होने के दो कारण हैं। पहला यह है कि मिलट्री साइडिंग का सामान जो सुधार करने के लिए आवश्यक है की उठाई के लिए मिलट्री विभाग की सहमति अभी अभी प्राप्त हुई है। दूसरा कारण यह है कि विठलवादी तथा अम्बरनाथ के बीच एक नये स्टेशन की व्यवस्था करने की एक और प्रस्थापना विचाराधीन है, और जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि उसकी व्यवस्था उस शरणार्थी बस्ती के एक भाग के लिए सुविधाजनक होगी। यदि इस नय नये स्टेशन की व्यवस्था का अंतिम निश्चय हो गया तो विठलवादी स्टशन पर होने वाले सुधारों नें ई एक संशोधन करने पड़ेंगे।

श्री गिडवानी : क्या इन दो स्टेशनों पर बुकिंग तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने का, जिनके लिये मांग भी की गई है, विचार किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं बतला चुका हूं कि सारा मामला विचाराधीन है।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इन सुविधाओं के अभाव में इन विस्थापित व्यक्तियों को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है ?

श्री शाहनवाज खां : हां, सरकार यह बात जानती है। वह प्रस्थापनाओं को जांच रही है।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इस मामले को पूरा करने पर ध्यान देगी ?

श्री शाहनवाज खां : हां।

करनाल स्थित पशु शाला तथा गव्यशाल

*१०१७. **श्री गिडवानी : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि करनाल स्थित पशुशाला तथा गव्यशाला प्रारम्भ से ही घाटे में चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों इस प्रकार की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां। किन्तु प्रक्षेत्र (फार्म) में उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई तथा सुधार से सम्वन्धित वर्तमान सुविधायें पशुओं के लिए घास-चारे की आवश्यकतायें पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप पशुओं के लिए घास-चारे की बड़ी बड़ी मात्रायें खुले बाज़ार से खरीदने की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) उक्त प्रक्षेत्र में सिंचाई तथा कृषि की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ताकि उनकी घास-चारे की आवश्यकतायें पूरी हो सकें और वह आत्म-व्यवस्था में आत्म-निर्भर रहे।

श्री गिडवानी : यह फार्म कब शुरू किया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इसके प्रारम्भ काल की तारीख़ नहीं बता सकता।

श्री गिडवानी : आज तक कुल कितनी क्षति हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास विगत वर्ष के आंकड़े हैं। विगत वर्ष यह आंकड़ा १,७०,९२० रुपये था। मैं सदन को यह सूचना दे दूंगा कि यदि इस वर्ष क्षति भी हुई तो वह २०,००० रुपये से अधिक नहीं होगी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह क्षति मुख्यतया पशुओं की घटिया नस्ल के कारण ही हुई है ?

डा० पी० एस०. देशमुख : नहीं; कुल पर यही कहा जा सकता है कि वहां अच्छे पशु हैं।

श्री गोपाल राव : इस पशुशाला तथा गव्यशाला के चलाने का क्या प्रयोजन है ? मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इतने विगत वर्षों से वह प्रयोजन पूरा हो रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, बहुत हद तक;

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस अनियमितता का कारण क्या है ? विगत वर्ष १,७०,००० रुपये का घाटा हुआ था और इस वर्ष केवल २०,००० रुपये का घाटा है। इस घाटे को किस प्रकार पूरा किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पहले यह बात थी कि सिंचाई की सुविधायें बहुत ही सीमित थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में बहुत शोर हो रहा है। शान्ति, शान्ति। वहां एक सदस्य खड़े हैं और अध्यक्ष-पद की ओर पीठ किये हुए हैं। यह बहुत ही अनुचित है। मैं कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं होने दूंगा। यदि भाषण देने वाले सदस्यों के अतिरिक्त कुछ और माननीय सदस्य बोलना चाहते हों, तो वे कृपा सभाकक्ष में जाकर बातचीत करें। अध्यक्ष-पद की ओर पीठ करके बात चीत करना बहुत ही अनादरसूचक बात है।

डा० पी० एस० देशमुख : घाटा कम होने का यह कारण है कि अब हमें सिंचाई की अधिक सुविधायें प्राप्त हुई हैं, और जिनके परिणामस्वरूप हम अपने फार्म के प्रयोग के लिए बहुत अधिक चारे का उत्पादन कर सकेंगे और हम खुले बाज़ार में चारा खरीदने नहीं जाना पड़ेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं समझती हूं कि सिंचाई पर मूल व्यय की गिनती नहीं की गई है।

डा० पी० एस० देशमुख : हम तो प्रायः घाटे को ही गिना करते हैं।

श्री नानादास : आज तक इस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रारम्भ से ?

श्री नानादास : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री के पास इस के आंकड़े होंगे।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस फार्म को व्यापारिक आधार पर चलाने की कोई प्रस्थापना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान्।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि इस फार्म के बनने से पहले, मध्य प्रदेश स्थित एक और सरकारी फार्म बन्द किया गया, और यह सोचा गया कि फार्म चलाने के लिए यह स्थान अधिक अच्छा तथा कम खर्चीला रहेगा ? इस बात का क्या कारण है कि पहले से ही ठीक धारणा नहीं की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य को इस

बात का स्मरण होगा कि अभी दो वर्ष पहले ही इस फार्म को मध्य प्रदेश से यहां स्थानान्तरित किया गया था। यदि हम १,७०,००० रुपये का घाटा २०,००० रुपये तक घटा सके तो इसे एक सफलता समझा जाना चाहिए।

गुंटकल पर मुसाफिर गाड़ी का देर से पहुंचना

*१०१९. **श्री राघवाचारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

(क) १ली अप्रैल, १९५२ से १ली मार्च, १९५३ तक की अवधि में बंगलौर से गुंटकल जाने वाली मुसाफ़िर गाड़ी गुंटकल देर से पहुंची है;

(ख) मद्रास और बम्बई को सीधे जाने वाली गाड़ियां कितनी बार बम्बई मेल को, जो १८-१८ बजे गुंटकल से मद्रास की ओर जाती है, तथा मद्रास एक्सप्रेस को, जो १८-२७ पर गुंटकल से बम्बई की ओर जाती है, पकड़ नहीं सकीं; और

(ग) इस अनियमितता को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) २६१ बार।

(ख) बम्बई-मद्रास मेल—८८ बार।

मद्रास-बम्बई एक्सप्रेस—२२ बार।

(ग) दक्षिण रेल-संस्था के प्रशासकों से कहा गया है कि वह गुंटकल पर इस गाड़ी के यथासमय पहुंच जाने की नियमितता के लिए प्रत्येक संभव कार्यवाही करें।

श्री राघवाचारी : तेज़ चलने वाली मुसाफ़िर गाड़ी तो बंगलौर से ही चलती है। देर से पहुंचने की इस असुविधा को हटाने के लिये यही गाड़ी आधा घंटा पहले ही क्यों न चले?

श्री शाहनवाज़ खां : गाड़ी मैसूर से चलती है।

श्री राघवाचारी : नहीं जी; यह गाड़ी तो बंगलौर से ही चलती है।

एक माननीय सदस्य : बंगलौर मैसूर में है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो एक सुझाव है।

श्री राघवाचारी : क्या गुंटकल पर इस गाड़ी के पहुंचने तथा यहां से अन्य गाड़ियों के छूटने के बीच की अवधि को बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था की जायेगी?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस बात पर विचार किया जा रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस प्रकार के अनियमबद्ध समयों के मुख्य कारण क्या थे? रेलों के पहुंचने तथा छूटने में समय की पाबन्दी तथा अन्य बातों की नियमितताओं में सुधार करने के लिये इस मंत्रालय ने क्या सुझाव दिये हैं?

श्री अलगेशन : रेल प्रशासन-संस्था तो अनेक प्रकार की कार्यवाही कर रही है। उनमें से एक कार्यवाही यह है कि कुछ ही एक स्टेशनों पर पानी भरा जायेगा, क्योंकि पानी भरन में समय लगता है। अन्य सुधार करने के बाद ही यह गाड़ी नियमित समय पर इस स्टेशन पर पहुंचा करेगी।

श्री नानादास : श्रीमान् मैं ज्ञात कर सकता हूं कि लारियों के चलने से प्रतिद्वंद्विता पैदा होने के कारण गाड़ियां देर से चलने लगी हैं?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान्।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान् क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि गाड़ी के देर से आने की स्थिति में अधिक से अधिक कुल कितना समय लगा करता है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिए ।

श्री राघवाचारी : बहुत समय से इस तरह देर से गाड़ी चलने के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है क्या ?

श्री अलगेशन : इसके लिए कोई भी विशेष पदाधिकारी उत्तरदायी नहीं है ।

केन्द्रीय जूट कमेटी

*१०२०. **श्री राजगोपाल राव** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय जूट कमेटी अभी भी कार्य कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त कमेटी में जूट उत्पादकों के प्रतिनिधि कौन हैं ?

(ग) इस कमेटी में मद्रास राज्य के जूट उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां ।

(ख) जूट उत्पादकों की ओर से कमेटी में जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनका ब्योरा इस प्रकार है :--

पश्चिमी बंगाल	३
आसाम	२
बिहार	२

(ग) इस समय कोई भी नहीं हैं । मैं उनके नाम बताना भूल गया हूं ।

श्री राजगोपाल राव : क्या मैं उक्त कमेटी के सभापति तथा उपसभा पति के नाम जान सकता हूं ? वे कौन हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास उनकी सारी सूची नहीं है । मेरे पास उत्पादकों के प्रतिनिधियों के ही नाम हैं ।

श्री राजगोपाल राव मैं कमेटी के सभापति तथा उपसभापति के नाम जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पास उनके नाम नहीं हैं । उनके पास केवल उत्पादकों के प्रतिनिधियों के नाम हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उनकी कुल संख्या कितनी है, और इस जूट कमेटी में किन किन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कुल संख्या तो काफी बड़ी है । मेरे विचार में सभापति सहित सदस्यों की कुल संख्या लगभग २७ है । मेरे पास सभापति का नाम लिख रहा है । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का उपसभापति इस कमेटी का सभापति है, और इसमें कुल २७ सदस्य हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन किन दलों का प्रतिनिधित्व है ? माननीय सदस्य का यह प्रश्न है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नाम पढ़ लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी २७ सदस्यों के ? माननीय मंत्री उस सूची को सदन पटल पर रख दें ।

डा० पी० एस० देशमुख : उससे माननीय सदस्य को संतोष नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारण रूप से उसकी रूपरेखा तथा भिन्न दलों के प्रतिनिधित्वों को पढ़ के सुनाया जाय ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मैं पढ़ के सुना दूंगा । मैं भी यही बताने जा रहा था ।

भारत सरकार के चार प्रतिनिधि हैं; इसके पश्चात् पश्चिमी बंगाल के कृषि विभाग, बिहार के कृषि विभाग, तथा पश्चिमी बंगाल के सहकारी आन्दोलन का प्रतिनिधित्व है; इन के अतिरिक्त जूट मिल सन्था द्वारा दो निर्वाचित सदस्य हैं; बंगाल चैम्बर आव कामर्स द्वारा एक निर्वाचित सदस्य है; भारतीय चैम्बर आव कामर्स द्वारा निर्वाचित दो सदस्य हैं; कलकत्ता बेल जूट एसोसियेशन द्वारा नामनिर्देशित शिपिंग तथा जूट गांठ वालों का एक प्रतिनिधि है; बिहार सरकार द्वारा नामनिर्देशित जूट व्यापारियों का एक प्रतिनिधि है; आसाम सरकार का एक प्रतिनिधि है; पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नामनिर्देशित पश्चिमी बंगाल के कृषि-दलों के तीन प्रतिनिधि हैं; आसाम सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो जूट उत्पादक हैं; और बिहार द्वारा नामनिर्देशित दो तथा उड़ीसा (कृषि-संचालक) द्वारा नाम निर्देशित एक; एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य जो वहां के हितों का प्रतिनिधित्व करता है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मद्रास का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं; क्योंकि अभी मद्रास जूट उगाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं बना है ।

श्री सारंगधरदास : श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस कमेटी में उड़ीसा के जूट उत्पादकों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व के अभाव पर तभी विचार किया जाता है जब सरकार इस के प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन करती है, और यदि किसी विशेष राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, तो उन्हें प्रायः नामनिर्देशित सदस्यों में सम्मिलित किया जाता है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या यह तथ्य नहीं है कि इस कमेटी में पूरी तरह से निर्माताओं की संख्या ही अधिक है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान्, इस में सरकार के प्रतिनिधियों का बहुमत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसे पढ़ चुके हैं ।

श्री रघवय्या : इस कमेटी से किन किन कार्यों के सम्पन्न होने की आशा की जाती है, और क्या इसने प्रारम्भ काल से कोई प्रगति की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह बात इस प्रश्न से पैदा नहीं होती ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं उस सारे उद्देश्य को.......पूर्णतया.....पढ़ कर सुना सकता हूं जिसके लिये कमेटी को स्थापित किया जा चुका था ।

श्री रघवय्या : जूट उत्पादकों के प्रतिनिधियों का राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्देशन किये जाने के स्थान पर, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि.......

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ग़लत । यह तो कार्य कराने का एक सुझाव है । एक विशेष नियम के अन्तर्गत वे यह काम कर रहे हैं । भविष्य में, माननीय सदस्य मंत्री जी को लिखें ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि जूट उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का विचार है कि प्रतिनिधित्व बिल्कुल पर्याप्त है । हम इस पर विवाद नहीं छेड़ेंगे ।

श्री अमजद अली : मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि क्या आसाम के जूट उत्पादकों के दो प्रतिनिधि वास्तव में किसान हैं अथवा राजनीतिज्ञ ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं जूट-उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं : लीजिए उनमें से एक श्री अक्षयकुमार दास, बी० एल०, बरपटा (कामरूप ज़िला) के हैं, और दूसरे प्रतिनिधि वहां के कृषि-विभाग के डायरेक्टर हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विगत वर्ष, उन में से कई एक व्यक्तियों ने, जिन्हें बंगाल के उत्पादकों के प्रतिनिधि कहा जाता है, इस बात की मांग की कि जूट का विशेष दाम निश्चित किया जाय । क्या केन्द्रीय जूट कमेटी में इसके विषय में कोई पक्का निश्चय हुआ था ?

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्य को इस प्रश्न की पूर्वसूचना देनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध तो केवल कमेटी के गठन से है ।

राजामण्ड्री, विजयवाड़ा तथा गुड़ेर के बीच चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों के आने जाने के समय

*१०२१. **श्री नानादास** : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह तथ्य है कि राजामण्ड्री, विजयवाड़ा, गुडूर तथा मद्रास के बीच चलने वाली मुसाफ़िर गाड़ियों के आने जाने के समय उन मुसाफ़िरों के लिए सुविधापूर्ण नहीं जो न्यायालय तथा अन्य व्यापारिक कार्यों के लिए दिन में यात्रा करते हैं;

(ख) क्या यह तथ्य है कि विजयवाड़ा, गुडूर और रेणिगुंटा स्टेशनों पर मिलने वाली ब्रांच लाइनें इस प्रकार की हैं कि मुसाफ़िरों को लारियों से यात्रा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार उक्त स्टेशनों के लिये गाड़ियों के आने जाने के समय में इस तरह का परिवर्तन करना चाहती है ताकि दिन में यात्रा करने वाले मुसाफ़िरों को सुभीता पड़ जाय ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं; इस बात को विचार में रखते हुए कि विजयवाड़ा, गुडूर और रेणिगुंटा स्टेशनों पर पहुंचने वाली बड़ी लाइन की गाड़ियों की संख्या उन गाड़ियों की संख्या से अधिक है जो उक्त स्टेशनों के साथ मिलने वाली ब्रांच लाइनों पर वहां से चला करती है; तथा इन स्टेशनों पर पहुंचने वाले और वहां से चलने वाले स्थानीय यातायात की आवश्यकताओं को ब्रांच लाइनों से किन किन बातों की आवश्यकता रहती है, जो भी मिलाने वाली ये लाइनें हैं, सभी उचित हैं । उपलब्ध सूचना से इस बात का कोई भी पता नहीं चलता कि विजयवाड़ा, गुडूर तथा रेणिगुंटा स्टेशनों पर मिलने वाली वर्तमान ब्रांच लाइनों पर चलने वाली गाड़ियों के आने जाने के समय की अव्यवस्था के कारण मुसाफ़िरों को लारियों से यात्रा करनी पड़ती है ।

(ग) रेल-डिब्बों, इंजिनों, आदि की उपलब्धता तथा सभी अन्य ऊपर की आवश्यकताओं को विचार में रखते हुए ही राजामण्ड्री, विजयवाड़ा तथा गुडूर स्टेशनों पर पहुंचने तथा वहां से छूटने वाली गाड़ियों का आने जाने का समय निश्चित किया गया है । १६ अप्रैल, १९५३ से गाड़ियों के आने जाने के समय में लागू किये जाने वाले परिवर्तन भी स्थिति को बहुत हद तक ठीक कर देंगे ।

श्री नाना दास : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है कि विशाखापटनम् तथा मद्रास के बीच चलने वाली पार्सल मुसाफ़िर गाड़ी न्यायालय,

स्कूल तथा कालिज जाने वाले व्यक्तियों के लिये इसलिए सुभीती नहीं पड़ती क्योंकि यह रात में चलती है और जनता एक्सप्रेस.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह विवाद है या भाषण ? केवल प्रश्न पूछे जाने चाहियें।

श्री नानादास : जी हां, मैं तो केवल प्रश्न पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूर्त्ति।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या सरकार यह जानती है कि इन गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ रहती है, और क्या मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि भीड़ को कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अलगेशन: अब गाड़ियों में पहले से बहुत कम भीड़ रहा करती है।

श्री रघुरामय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विजयवाड़ा तथा मद्रास के बीच, बहुत सवेरे चलने वाली गाड़ी तथा एक्सप्रस के अतिरिक्त जिनमें केवल लम्बी यात्राओं की आज्ञा दी गई है, चलने वाली और कोई भी गाड़ी है जो ८ बजे प्रातः तथा २ बजे दिन के बीच सुभीते समय पर चलती है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान् , मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझ से अधिक अच्छा जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इन बातों का प्रश्न है, जगह जगह टाइम टेबिल प्रकाशित किये जाते हैं। यहां सदन में तो टाइम-टेबिल में दी गई बातों पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये।

श्री रघुरामय्या : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि ८ म० पू० तथा २ म० प० के बीच सुभीते से चलने वाली कोई भी गाड़ी नहीं है, क्या सरकार इस प्रकार की कोई गाड़ी चलाने का विचार करेगी जो सभी के लिए सुविधाजनक हो ?

श्री अलगेशन : मैं उस क्षेत्र से आने वाले सदस्यों के साथ इस प्रश्न पर बहस करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यों को गाड़ियों के आने जाने के समय, गाड़ियों की संख्या, आदि के सम्बन्ध में सूचना चाहिए तो वे टाइम-टेबिल से मालूम कर सकते हैं। यदि वे सुझाव देने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहते हों तो माननीय सदस्य मंत्री जी से मिल सकते हैं अथवा उन्हें इस विषय में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न।

श्री रघवय्या : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात है कि माननीय सदस्य के पास बहुत से अनुपूरक प्रश्न हैं; किन्तु खेद है कि मैं उनके पूछे जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। मैं ने अगले प्रश्न को सूचना दी है।

श्री रघवय्या : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि हम सभी उसी क्षेत्र से आये हैं, हमें एक अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा उनका उत्तर सुनने की आज्ञा देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नहीं। माननीय सदस्य हमें लिख कर यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

तेल साफ़ करने के कारखानों के पास रेलवे साइडिंग का निर्माण

*१००५. **डा० अमीन :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता पत्तनों पर स्थापित किये जाने वाले तेल साफ़ करने के कारखानों के साथ रेलवे साइडिंग (सामान लादने-उतारने के छोटे स्टेशन) बनाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो प्रत्येक साइडिंग की कितनी लम्बाई

होगी तथा उसके निर्माण पर कितना व्यय होगा ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उन कारखानों के क्षेत्रों के अन्दर साइडिंग बनवाने का व्यय सरकार द्वारा ही पूरा किया जायेगा, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या अन्य भारतीय औद्योगिक उद्यमों को इसी प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :(क) जी हां। बम्बई की "साइडिंग" की कुल लम्बाई लगभग ६ मील होगी और अनुमान यह है कि उस पर ७७ लाख रुपये का व्यय होगा। कलकत्ता अथवा मद्रास में साइडिंग बनवाने का कोई भी विचार नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न कल समाप्त हो चुका है।

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ दिनांक २-६-५२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : श्रीमान्, मैं २ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के अनुपूरक प्रश्न पर २-६-१९५२ को श्री नम्बियार के प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री द्वारा उल्लिखित रेलवे North Western and North Eastern'['उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी'] के स्थान पर 'Northern, North Eastern and Eastern' ['उत्तर, उत्तर-पूर्व तथा पूर्व'] होना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संयुक्त राज्य अमरीका से कृषिसारों का आयात

*१००१. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने १ मई, १९५२ को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित भारत-अमरीकी प्राविधिक सहकारी योजना के प्रथम कार्यकारी करार के अन्तर्गत सल्फेट आव अमोनिया तथा अन्य कृत्रिम कृषिसारों सहित लगभग एक लाख टन कृषिसार आयात करने की सहमति प्रकट की है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रदाय की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां। उक्त करार में तो मूलतः ८८,००० टन सल्फेट आव अमोनिया तथा अन्य कृषिसारों के २०,००० टन के आयात की व्यवस्था की गई थी। यों तो उसके बाद के पुनरक्षिण के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया कि सल्फेट आव अमोनिया १,१४,७५० टन तथा अन्य कृषिसारों के १३,७५० टन मूल डालर विनिमय के अन्तर्गत आयात किये जायेंगे।

(ख) कार्यकारी करार संख्या १ में शर्तें दी गई हैं, और उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जानी है। [देखिए परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध संख्या ६१]

मोटे अनाज का आयात

*१००३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की **कृपा करेंगे** कि क्या सरकार मोटे अनाज के

व्यापार के लिये कोई विशेष एजेन्सी नियुक्त करने या करवाने का विचार करती है ?

(ख) इस प्रकार की एजेन्सी किस प्रकार की होगी, तथा इसके कार्य की शर्तें क्या होंगी ?

(ग) इस प्रकार की एजेन्सी की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों और किस प्रकार पड़ी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) प्रत्येक राज्य में एक जगह से दूसरी जगह मोटे अनाज के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाने के निश्चय के परिणामस्वरूप इस बात का निश्चय किया गया कि आधिक्य क्षेत्रों के राज्यों से इस प्रकार के मोटे अनाज की खरीद में केन्द्र का भी साथ रहना चाहिए। प्रारम्भ में, आधिक्य क्षेत्र के राज्यों की सरकारों ने इस प्रकार के समाहार का वचन दिया, किन्तु, एक राज्य को छोड़ कर, इस दिशा में किसी ने भी क़दम नहीं उठाया। तो इस प्रकार जब सरकारों द्वारा छोटी २ मात्रायें प्राप्त की गईं तो व्यापार से यह बात प्रगट हुई कि अनाज की बहुत बड़ी राशियों का संचय होने लगा है। मध्य भारत में जहां एक व्यापार एजेन्सी ने ज्वार के लिये प्रति मन दस रुपये की दर के हिसाब से १०,००० टन जुआर के निर्यात की पेशकश रखी, उसे केन्द्र की ओर से समाहार के लिए नियुक्त किया गया। मध्य भारत सरकार ने इस वर्ष बड़ी कठिनता से कुछ मात्राओं का समाहार किया था, और उनका रेलभाड़ा सहित जुआर का मूल्य उस मूल्य से अधिक था जो व्यापार एजेन्सी से तय हो पाया था। केन्द्र तो इस दाम पर अथवा इससे कम दाम पर निर्यात के लिए कुछ अन्य पेशकश स्वीकार कर लेता। अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या किसी अन्य क्षेत्र में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

रेल कर्मचारियों की अग्रता

*१०१०. **श्री केलप्पन :** (क) **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पश्चिम रेलवे के संगठित होने के दौरान में अनेक रेलों के विलयन होने के कारण राजस्थान तथा सौराष्ट्र रेलवे जैसी छोटी इकाइयों के कर्मचारियों की सेवा-अग्रता नष्ट हो चुकी है ?

(ख) क्या यह तथ्य नहीं है कि विलयन के समय यह आश्वासन दिया गया था कि विलयन से किसी भी रेल कर्मचारी की अग्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं।

(ख) उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि भूतपूर्व राज्य रेलों के कर्मचारी वर्ग पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं पड़ने दी जायेगी तथा नई व्यवस्था में उसकी उस समय की एवं भावी पदस्थिति बहुत ही सुरक्षित रहेगी।

गुंटूर में तम्बाकू को फिर से सुखाने वाली मशीन

*१०१२. **श्री एस० बी० एल० नरसिंहम् :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कब, कितना मूल्य दे कर तथा किन परिस्थितियों में केन्द्रीय तम्बाकू मार्केटिंग कमेटी द्वारा तम्बाकू को फिर से सुखाने वाली एक मशीन को मद्रास राज्य स्थित गुंटूर में लगाने के लिये खरीदा गया था ?

(ख) उक्त मशीन की संस्थापना के लिए कब तथा कितने दाम पर जगह प्राप्त की गई?

(ग) अभी तक उक्त मशीन को क्यों नहीं लगाया गया है ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि गुंटूर तम्बाकू मार्केटिंग कमेटी ने यह प्रार्थना की थी कि उक्त मशीन उन्हें ही चलाने के लिये दी जानी चाहिये ?

(ङ) मशीन को किस प्रकार बेचा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तम्बाकू को फिर से सुखाने वाला उक्त संयंत्र दिसम्बर १९४९ में भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू कमेटी, मद्रास द्वारा २,८२,००० रु० दे कर खरीदा जा चुका था। चूंकि उस समय उत्पादक निर्यातकों तथा छोटे छोटे निर्यातकों को फिर से सुखाने की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं, और पुनः सुखाने वाले संयंत्रों के निजी मालिकों द्वारा ली जाने वाली लागत बहुत ही अधिक समझी जाती थी, अतः इस संयंत्र को खरीदा गया।

(ख) मई १९५२ में ८२,४७२ रुपये दे कर यह जगह प्राप्त की गई थी।

(ग) पहले, संयंत्र के लिये स्थान का प्रश्न और दूसरे उस संयंत्र को लगाने के लिये भूमि की प्राप्ति में काफी समय लगा। इसी बीच उक्त क्षेत्र में तम्बाकू को फिर से सुखाने वाले निजी स्वामित्व के संयंत्रों के कार्योत्पादन की सामर्थ्य बढ़ चुकी थी, और इस से तम्बाकू की उपलब्ध मात्रायें पर्याप्त मात्रा में फिर से सुखाई गईं। परिणामस्वरूप, इस बात का निश्चय किया गया कि संयंत्र को बेचा जाय।

(घ) जी हां।

(ङ) उक्त संयंत्र गुंटूर तम्बाकू मार्केट कमेटी को दिये जाने का विचार किया जा रहा है, बशर्ते वह उसका उचित दाम दे; और यदि वह उचित दाम नहीं दे सकी तो इसे प्रदाय-उत्सर्जन महानिदेशालय द्वारा बेचा जायेगा।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज

***१०१५. श्री एच० एस० प्रसाद: खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दस वर्षों से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गन्ने की प्रति एकड़ उपज कम होती जा रही है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो, तो सरकार गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं। प्रति वर्ष उपज की मात्रा बदलती रहती है और उपज की मात्रा इसी पर निर्भर करती है कि कहां पर कितनी और किस तरह की वर्षा हुई, और फसलों को कृमियों या अन्य बीमारियों ने कहां तक बर्बाद किया। जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए विगत पांच वर्षों के पृथक् आंकड़ों का प्रश्न है, वहां प्रथम तीन वर्षों में गन्ने की प्रति एकड़ अवसत उपज १९४७-४८ में २८१ मन थी और १९४९-५० में ३१२ मन तक पहुंच गई, जबकि उसके बाद के दो वर्षों में २५९ से २६५ मन के बीच उपज हुई थी।

(ख) शक्कर का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में १९४८-४९ से एक पंच-वर्षीय गन्ना विकास योजना चल रही है। इस योजना में सिंचाई की वर्द्धित सुविधाओं, अधिक अच्छी किस्मों के बीजों के प्रदाय, कृषिसारों की पर्याप्त प्रदाय, आदि की व्यवस्था की गई है। विकास के विशिष्ट क्षेत्रों में उपज में बहुत अधिक वृद्धि प्राप्त की जा चुकी है, और इस बात का भी निश्चय किया जा चुका है कि उक्त योजना को और ३ वर्षों के लिये यानी १९५५-५६ तक चालू रखा जाय।

मद्रास के तिन्नेवेली जिले में खाद्य का अभाव

*१०२२. **श्री ए० वी० टामस : खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि मद्रास राज्य के तिन्नेवेली ज़िले में अभाव और आपदाग्रस्त स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह तथ्य है कि उस ज़िले के व्यपर पुलियंकुलम् तथा अन्य गावों से परिवारों के प्रव्रजन की रिपोर्टें आई हैं; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान संसद्-सस्दय श्री कामराज नादर, तामिलनाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर आर्कषित किया जा चुका है कि यदि इन अकाल पीड़ित क्षेत्रों को शीघ्रतापूर्वक सहायता नहीं दी जाती, तो यहां बर्बादी होगी और बहुत व्यक्ति नष्ट हो जायेंगे ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (घ) सम्बद्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

कडूर-चिकमागलूर रेलवे लाइन

७२६. **श्री एन० राचय्या : रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार के पास ऐसे बहुत से प्रतिनिधान पहुंचे है जिनमें मैसूर राज्य स्थित कडूर तथा चिकमागलूर के बीच एक नई रेलवे लाइन बनानेकी आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में कौन से पग उठाना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विकासों को विचार में रखते हुए देश की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सीमित विधियों और संसाधनों को दृष्टि में रखकर इस समय कडूर से चिकमागलूर तक एक नई लाइन बनाने के उपबन्ध पर विचार करना संभव नहीं है। पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन तथा हस्सन के बीच रेलवे लाइन की तो बहुत अधिक आवश्यकता है और अब सर्वप्रथम मंगलौर-हस्सन लाइन का परिमाप किया जा रहा है ।

कुनीन

७२७. **डा० अमीन : क्या स्वास्थ्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :—

(क) मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारी फैक्टरियों में १९४९ से १९५२ तक के वर्षों में कुल कितनी २ कुनीन तैयार की गई थी;

(ख) उक्त अवधि में उपरोक्त प्रत्येक फैक्टरी में कुनीन का प्रति पौण्ड निर्माण-व्यय कितना था;

(ग) कुनीन की कुल कितनी मात्रा आयात की गई और किन २ देशों से, इस उक्त अवधि में उस का आयात किया गया;

(घ) कुनीन का प्रति पौण्ड आयात-मूल्य क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि में, प्रत्येक वर्ष में, भारत में कुल कितनी कुनीन की आवश्यकता पड़ी थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारी फैक्टरी के सम्बन्ध

में जो भी सूचना अपेक्षित है वह नीचे दी जाती है :—

वर्ष	तैयार की गई कुनीन की कुल मात्रा (पौण्डों में)	उत्पादन व्यय प्रति पौण्ड (रुपयों में)
१९४९	६५,८९०	२५/-
१९५०	५२,५७६	२८/-
१९५१	५७,४२१	४३/-
१९५२	५१,१९१	४३/-

मद्रास स्थित सरकारी फैक्टरी के सम्बन्ध में जो भी सूचना है, वह मद्रास सरकार से प्राप्त होने वाली है, और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायेगी।

(ग) से (ङ). अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

वर्ष	आयात की गई कुनीन की कुल मात्रा (पौण्डों में)	आयात की गई सल्फेट का प्रति पौण्ड मूल्य (रुपयों में)	कुनीन की वार्षिक आवश्यकता (मद्रास तथा पश्चिमी बंगाल के विक्रय एवं आयातों से अवसत आंक आकलित)
१९४९	१,४५,९१३	३८.४	२,९१,६००
१९५०	१,२३६	३२.९	१,२४,२००
१९५१	२५,५८९	५२.१	४२,६००
१९५२	६२,२४१	३६.६	७६.८००

मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन, नेदरलैंड्स तथा इण्डोनेशिया से कुरीर का आयात किया गया था।

ग्रैण्ड ट्रंक एक्सप्रेस में खान-पान व्यवस्था

७२९. श्री अच्युतन : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रैण्ड ट्रंक एक्सप्रेस के साथ जोड़े गये खाना खाने के डिब्बों में खाने पीने की व्यवस्था करने की शर्तें क्या हैं ?

(ख) क्या इसे ठेके के आधार पर दिया जाता है ?

(ग) यदि हां, तो क्या टेण्डर बुलाये गये थे, और १९५२-५३ के लिये स्वीकृत टेण्डर की शर्तें क्या हैं ?

(घ) १९५२-५३ के लिए ठेकेदार कौन हैं, और यदि यह पहले का ठेका समाप्त हुआ तो १९५३-५४ के लिये कौन ठेकेदार होगा ?

(ङ) क्या इस गाड़ी के खाना खान के डिब्बे में दक्षिण भारतीय भोजन खिलाने की कोई व्यवस्था की जा चुकी है ?

(च) यदि हां, तो उसकी दरें एवं शर्तें क्या हैं ?

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खिलाने पिलाने की व्यवस्था करने वालों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे अच्छी किस्म की खाद्य वस्तुयें उन ही दामों पर बेचें जो रेल-प्रशासन द्वारा निश्चित हुए हैं, और उन्हें इस बात की मनाही की गई है कि वे समग्र ठेके या उस के किसी अंश को और किसी के हाथ न दें, और किसी से न चलायें अथवा और किसी की गिरवी में न रखें। रेल-संस्था का प्रशासन इन ठेकेदारों को बिना किराये के उपहार यान और उनमें खाना पकाने के बर्तन, अन्य बर्तन, प्याले-प्लेट आदि, तथा खाना आदि बनाने के लिए गैस अथवा बिजली भी मुहैय्या करता है। किसी भी पार्टी की ओर से तीन महीने का लिखित नोटिस देने पर ठेका बन्द किया जा सकता है।

(ख) तथा (ग) . रेलों पर खान-पान की व्यवस्था के सभी ठेके, लाइसेसिंग पद्धति पर जो टेण्डर पद्धति से भिन्न हैं, दिये जाते हैं, और इस एक्सप्रेस में भी इसी तरह काम चलाया गया था ।

(घ) मेसर्ज़ बल्लभ दास ईश्वरदास सार्थ को १९५२-५३ के लिये खान-पान की की व्यवस्था करने का ठेका दिया गया था, और यही सार्थ १९५३-५४ के लिये भी ठेका संभालता रहेगा बशर्ते इसकी सेवायें संतोष-जनक हों ।

(ङ) जी हां ।

(च) विविध प्रकार के दक्षिण भारतीय पकवानों की दरें नीचे दी गई हैं :—

पकवान	मात्रा	दर		
		रु०	आ०	पा०
मसालेदार दोसा	प्रति	०	५	०
सादा दोसा	”	०	३	६
इड्डली	”	०	१	६
उप्पमा	प्रति प्लेट	०	४	०
मसाला वडय	प्रति	०	१	६
मेधुवडय	”	०	१	६
बोंडा	”	०	२	०
सांभर भात (चावल)	प्रति पुडिया	०	६	०
दही भात (चावल)	”	०	६	०
जांगरी	प्रति	०	३	०
काफी (फिल्टर से बनी)	प्रति प्याला (७ औंस वाला)	०	४	०

नोट : इस प्रकार की धारणा है, कि conditions' 'शर्तें' शब्द से माननीय सदस्य यह व्यक्त करना चाहते हैं कि परिनियत दर पर प्रत्येक पकवान का परिमाण क्या है, और यह बात ऊपर बताई जा चुकी है ।

(छ) ऊपर कथित (ङ) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह बात पैदा नहीं होती ।

ग्रैण्ड ट्रंक एक्सप्रेस

७३०. **श्री अच्युतन :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में तीसरे तथा ड्योढ़े दर्जे के डिब्बों में ग्रैण्ड ट्रंक एक्सप्रस से आने-जाने वाले मुसाफ़िरों को उपलब्ध जगहों की औसत संख्या क्या थी ?

(ख) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है अथवा उसके पास मुसाफ़िरों की ओर से इस प्रकार का कोई प्रतिनिधान पहुंचा है कि ड्योढ़े दर्जे के डिब्बों में अपर्याप्त जगह है ?

(ग) क्या ये इंजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक डिब्बे खींचते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) डोढ़ा दर्जा १७६ से १८७ बैठने की जगहें ।

तीसरा दर्जा ७२० से ७४४ बैठने की जगहें ।

(ख) जी हां, एक प्रतिनिधान पहुंचा है ।

(ग) जी हां, रास्ते के कई भागों में एक विशेष प्रकार का इंजन काम में लाने की आवश्यकता, कई स्टेशनों पर मौजूद प्लेट-फार्मों की लम्बाई, आदि जैसी काम चलाने से सम्बन्धित सीमाओं के अनुसार इंजन जोड़े जाते हैं ।

त्रावनकोर-कोचीन में डाकघर

७३१. **श्री अच्युतन :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ तथा १९५२-५३ वर्षों में त्रावनकोर-कोचीन में खोले गये सब एवं ब्रांच डाकघरों की संख्या कितनी है ?

(ख) इस समय त्रावनकोर-कोचीन में कितने डाकघरों में बचत बैंक सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(ग) क्या भूतपूर्व त्रावनकोर क्षेत्र में चलने वाले टेलीफोन से तार भेजने की सेवा भूतपूर्व कोचीन क्षेत्र में भी उपलब्ध की गई है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) . एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२.]**

(ग) जी नहीं । कई एक प्राविधिक तथा प्रशासनीय कठिनाइयों के कारण टेलीफोन-संचार सेवा को कोचीन तक बढ़ाया नहीं जा सका ।

रेल के टिकट (लिपिकर शुल्क)

७३२. श्री नम्बियार : (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मुरादाबाद डिवीजन , उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट ने ३० दिसम्बर, १९५२ को इस प्रकार का एक परिपत्र जारी किया है, कि १ली जनवरी, १९५३ से प्रति टिकट पर , निम्नांकित बातों के लिये, दो आने का लिपिकर शुल्क दिया जाना चाहिए:

(१) खरीदे गये टिकट को बदला कर किसी ऊंचे या नीचे दर्जे का टिकट बनाना;

(२) टिकट का गन्तव्य स्थान बदलाना;

(३) गाड़ी के देल से चलने की स्थिति में टिकट लौटाना;

(४) एक ओर के टिकट को आने-जाने का टिकट बनाना, अथवा, अन्यथा व्यवस्था; और

(५)टिकट बेचने वाले क्लर्कों द्वारा ग़लत ढंग से जारी किये गये टिकटों को बदलाना ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हों, तो किस अधिकार से इस विशेष पदाधिकारी ने इस प्रकार का यह परिपत्र जारी किया था ?

(ग) क्या सरकार इस परिपत्र को रद्द करने वाला आदेश जारी करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय रेलवे कांफेन्स एसोसियेशन कोचिंग टैरिफ (नं० १६) के नियम ६० के अनुसार उत्तर रेल प्रशासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों से उसें यह अधिकार प्राप्त हुआ था ।

(ग) इस मामले पर और भी विचार किया गया, और तब से यह निश्चय हुआ कि निम्नांकित स्थिति में लिपिकर शुल्क नहीं लगना चाहिए :—

१. ग़लत ढंग से जारी किये गये टिकट;

२. एक बार खरीद कर बाद में निम्नांकित कारणों से लौटाये गये टिकट——

(१) ऊंचे दर्जे में बदलाने, के निमित्त।

(२) पहले लिये गये टिकट के गन्तव्य स्थान से परे के और किसी गन्तव्य स्थान तक जाने के निमित्त ।

रेल के साथ चलने वाला कर्मचारीवर्ग

७३३. श्री एम० एल० द्विवेदी : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन रेल-कर्मचारियों की कितनी श्रेणियां हैं जो गाड़ियों के साथ काम पर चलते तो हैं किन्तु जिन्हें अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तरह साथ चलने के भत्ते नहीं मिलते ?

(ख) इस विभेद के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल-गेशन): (क) तथा (ख) चलने वाली गाड़ियों पर कार्यकारी कर्मचारीवर्ग को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :—

(१) जो केवल गाड़ी को चलाने के साथ ही सम्बन्ध रखते हैं, अर्थात् चालक, फायरमैन, गार्ड तथा ब्रेकमैन।

(२) जो चलती गाड़ी में अन्य काम करते रहते हैं, जैसे चलते यात्रियों की टिकटों की जांच करने वाले, चलती गाड़ी के वैन-क्लर्क, कण्डक्टर, आदि।

इन दो में से प्रथम श्रेणी वालों को ही साथ चलने के लिए दिया जाने वाला भत्ता मिलता है क्योंकि केवल इन्हीं को गाड़ी के चलाने का कार्य करना पड़ता है।

रोजगार दिलाने वाले केन्द्र

७३४. श्री एस० सी० सिंघल : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में खोले गये रोज़गार दिलाने वाले केन्द्रों की संख्या कितनी है ?

(ख) उन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

(ग) क्या ये रोज़गार दिलाने वाले केन्द्र सेवानियुक्ति मांग और पूर्ति को बराबर करने की कोई कार्यवाही किया करते हैं ?

(घ) प्रति व्यक्ति रोज़गार ढूंढने पर सरकार को प्राय: कितना व्यय आता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जनवरी १९५३ के अन्त में उनकी संख्या १३१ थी।

(ख) १९५२-५३ में इन रोजगार दिलाने वाले केन्द्रों पर का अनुमानित व्यय ३५.३३ लाख रुपये है।

(ग) जी हां : रोज़गार दिलाने वाले ये केन्द्र इस काम के प्रयत्न में रहते हैं कि देश के विभिन्न भागों में जनबल के लिए मांग और पूर्ति का संतुलन रहे। जिन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उचित स्थानीय प्रार्थी उपलब्ध नहीं होते, उनके लिये अन्य केन्द्रों से उचित उम्मीदवार लाये जाते हैं, और वहां भर्ती हो जाते हैं। इसी प्रकार योग्यता प्राप्त उन व्यक्तियों का ब्योरा, जिनके लिये उस क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध नहीं होती, अन्य केन्द्रों में परिचलित किया जाता है। भिन्न २ प्रकार के कर्मचारी-वर्ग की श्रेणियों के लिये जनबल के अभाव एवं आधिक्य से सम्बन्धित सूचना प्रत्येक खण्ड के केन्द्रों तथा भिन्न २ प्रान्तों के केन्द्रों को दी जाती है।

(घ) १९५२-५३ में ११.६ रुपये।

गन्ने की खोई

७३५. श्री एम० आर० कृष्ण : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष भारत में गन्ने की खोई की कुल कितनी मात्रा निकलती है ?

(ख) भिन्न २ सामग्रियों के उत्पादन में इस खोई का कितना प्रतिशत भाग प्रयोग में लाया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) भारत के भिन्न २ भागों से इस खोई की भिन्न २ मात्रा प्राप्त होती है, और इस बात का निर्भर इन बातों पर है कि कुल कितने क्षेत्र में गन्ने की काश्त होती है, किस प्रकार के गन्ने की काश्त होती है, फसलों की दशा क्या है, आदि। किसी भी साधारण वर्ष में २ करोड़ २० लाख टन का उत्पादन हो सकता है। इस खोई का बहुत कम भाग घास के तख्ते, खाद तथा चारे के काम में लाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली इसकी मात्राओं के विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ठेकों की खण्डीय प्रणाली

७३६. श्री नम्बियार : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भूतपूर्व एस० आई० रेलवे प्रणाली में सभी इंजीनियरिंग निर्माण-कार्यों के लिये दरों की ज़िला-अनुसूची प्रणाली चलती थी, तथा उसी आधार पर ठेकेदारों से करार किये जाते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व एम० एण्ड एस० एम० रेलवे के साथ विलयन होने के समय से उपरोक्त सुझावों में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि भूतपूर्व एस० आई० रेलवे प्रणाली में ठेके की खण्डीय प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें ठेकेदारों तथा दरों की ज़िला अनुसूची से दरें मंगाने की प्रथा को उड़ाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्यों तथा इस प्रकार के व्यवहार से प्रशासन को क्या तुलनात्मक लाभ हुआ है;

(ङ) क्या यह तथ्य है कि खण्डीय प्रणाली को अपनाने से पहले, भूतपूर्व एस० आई० रेलवे पर के एक इंजीनियरिंग ज़िले में बैलास्ट गाड़ी द्वारा भूमिकार्य की दर ४५ रुपये प्रति १,००० घनफुट थी, और अब ठेके की खण्डीय प्रणाली की दर से उसी कार्य में १५.० रुपये लगते हैं; और

(च) यदि हां, तो क्यों इतना अधिक व्यय होने दिया जाता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भूतपूर्व एस० आई० रेलवे में प्रत्येक जिले के लिये दरों की एक अनुसूची रखी जाती थी, किन्तु टेंडर बुलाये जाने के बाद दिये गये ठेके उसी के आधार पर नहीं दिये गये। २००० रुपये से कम लागत वाले छोटे छोटे कामों के लिये तो टेंडर बुलाये नहीं गये, और उनके ठेके छोटे छोटे ठेकेदारों को दिये गये। २,००० रुपये से अधिक लागत वाले कामों के लिये, अलग टेंडर बुलाये जाते थे और उसमें बताई जाने वाली अथवा स्वीकार की जाने वाली दरों पर ज़िला अनुसूचियों की दरों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था।

(ख) तथा (ग). जी हां। इंजीनियरिंग विभाग के लिये भारत सरकार की रेलवे संहिता के पैरा ११०८ के अनुसार खुले टेंडर बुलाये जाने के बाद, जैसा कि भूतपूर्व एम० एण्ड एस० एम० रेलवे में प्रचलित था, खण्डीय ठेके तय किये जाते हैं। उन ज़िलों में होने वाले कार्यों के एक बहुत बड़े अंश पर ५,००० रुपये से अधिक धन लगेगा और इनके लिये सरकार का यह कर्तव्य है कि ११११ के पैरा के अनुसार टेंडर बुलाये, और इसीलिये भूतपूर्व एस० आई० रेलवे पर दरों की ज़िला अनुसूची लागू नहीं होगी।

(घ) इस प्रणाली का यही लाभ है कि प्रत्येक स्थिति में टेंडर बुलाये जाने की आवश्यकता के बिना ही जभी समर्थ पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाय, खण्डीय ठेकेदारों को ये कार्य सौंपे जा सकते हैं। इस तरह कार्य के आरम्भ काल में ३ से ६ महीने तक की बचत हो जायेगी।

(ङ) तथा (च) यह ठीक है कि खण्डीय टेंडर पर बैलास्ट गाड़ी द्वारा भूमि-कार्य की दरें कन्नानूर ज़िले की दरों की पुरानी सूची, जिसे १९४९ में दोहराया गया था, की अपेक्षा अधिक हैं। वर्तमान ठेके भी समाप्त होने वाले हैं और रेल प्रशासन द्वारा अभी हाल में तैयार की गई दरों की बुनियादी सूची पर आधारित ताजे टेंडर भी बुलाये जा रहे हैं।

बैलास्ट गाड़ी द्वारा भूमि कार्य के लिये कन्नानूर ज़िले के खण्डीय टेंडर पर की दरों में मिट्टी भरने तथा उतारने, और लाइन

तक मिट्टी की तहें चढ़ाने आदि, का कार्य एवं संचयन शामिल है ।

एर्नाकुलम् दक्षिण में सड़क का शैलक्रेटिंग कार्य

७३७. श्री नम्बियार : रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेल पर एर्नाकुलम् दक्षिण तक पहुंचाने वाली सड़क के शेलक्रेटिंग कार्य का प्राक्कलन १०,००० रुपये था, किन्तु उस पर व्यय की गई वास्तविक धन-राशि लगभग ३०,००० रुपये है; और

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ोतरी के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । इस कार्य का प्राक्कलन १४,४७५ रुपये था, किन्तु वास्तव में, इस पर १४,८४६ रुपये व्यय किये गये ।

(ख) इस बात का पता चलेगा कि स्वीकृत प्राक्कलन में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है ।

पशु

७३८. श्री एल० जे० सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अनेक बीमारियों के नाम क्या हैं जिनके कारण हर वर्ष भारत में ढोरों तथा अन्य पशुओं की एक बड़ी संख्या घट जाती है; और

(ख) भारत में उन बीमारियों का सामना करने का कार्यक्रम , यदि कोई हो तो, क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जिन बीमारियों से प्रति वर्ष ढोर-डंगर तथा अन्य पशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या घट जाती है, उनके नाम नीचे दिये जाते हैं :—

ढोर :—

१. रिंडरपेस्ट (पशु महामारी)

२. हैमरेजिक सेप्टिसेमियौ (रक्त-स्त्रावीय रोगाणुरक्तता)

३. ब्लैक क्वार्टर (काली बीमारी)

घोड़े :—

१. सुर्रा (परिक्षय)

मुर्गे-बत्तख :—

१. रानीखेत

भेड़ बकरियां :—

१. पैरासाइटिक बीमारियां (पारजैविक रोग)

२. रिंडरपेस्ट (पशु महामारी)

३. छूत का प्ल्यूरो-न्यूमोनिया (संक्रामक परिक्लोम क्लोमपाक)

(ख) मूलतः राज्य शालिहोत्रि विभाग भारत में इन बीमारियों का सामना किया करते हैं। इन राज्य विभागों के जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो भी बीमारियां फैल जाती हैं, उनका प्रतिरोध करने के लिये ये विभाग अपने कर्मचारीवर्ग द्वारा बीमारी रोकने वाले टीके लगाना शुरू कर देते हैं । जब भी बीमारी नमूनादार हो जाती है, रोग-ग्रस्त क्षेत्रों में उन पशुओं को बचाने के लिये टीका लगाया जाता है ।

रिंडरपेस्ट (पशुमहामारी) का उन्मूलन करने के लिये भारत सरकार ने पशुमहामारी उन्मूलन कार्यक्रम बना रखा है । इस कार्यक्रम से पहले, भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद् ने यह एक अग्र योजना स्वीकार की है कि कार्यरत परिस्थिति के अनुसार भैंसों-मवेशियों, भेड़ों-बकरियों को लिपटे गये टीके लगाये जायें और उससे प्रादुर्भूत उन्मुक्ति-अवधि तथा उन्मुक्ति-प्रभेद को जांचा जाय और यह भी देखा जाय कि देश की भिन्न भिन्न दशाओं में उन टीकों का क्या प्रभाव होगा ।

प्रति-प्रबलास भेषज (डिफथेरिया रोकने की दवा)

७३९. सरदार ए० एस० सहगल : स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि हैफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई में एक ऐसी नई दवा का आविष्कार हुआ है जो डिफथेरिया को रोक लेती है ?

(ख) क्या बच्चों पर इस दवाई का प्रयोग सफल रहा है और यदि हां, तो कितने बच्चों पर इस का प्रयोग सफल हो चुका है ?

(ग) क्या सरकार इस दवाई का प्रचार करना चाहती है ?

(घ) इस बीमारी से कितने प्रतिशत बच्चे पीड़ित हैं तथा कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से मरते हैं ?

(ङ) डाक्टरों ने जिस समय इस बीमारी की जांच की तो क्या इसके कई कारण भी पाये गये, और कब से यह दवाई प्रयोग में लाई जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) हैफ़किन इंस्टीट्यूट, बम्बई में बनाई गई यह दवाई, उसी प्रबलास प्रतिरोधक का घनीकृत रूपभेद है जिसे यूरोप तथा अमरीका में १९२३ से प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ख) जी हां; २६६ रोगियों में से २५४ पर यह दवाई सफल सिद्ध हुई है।

(ग) अभी भी प्रयोग किये जा रहे हैं, और इसलिये इस समय इस दवाई के प्रचार का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सारे देश की सूचना उपलब्ध नहीं है। १९५२ में वृहत्तर बम्बई में इस बीमारी में ग्रस्त तथा इसके कारण बाद में मरे हुए बच्चों की संख्या की प्रतिशतता क्रमशः ०.०८ तथा ०.०१ है।

(ङ) १९ वीं शताब्दी की अंतिम वर्षों में डिफथेरिया बैसिलस बीमारी का कारण मालूम किया गया था। लगभग १९२३ से डिफथेरिया की रोकथाम की दवाइयां प्रयोग में लाई जा रही हैं।

ब्रिटिश शिपिंग कम्पनियों द्वारा दिये गये अंशदान

७४०. श्री एच० एन० मुकर्जी : यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय नाविकों की युद्धकालीन सेवाओं के लिये ब्रिटिश शिपिंग कम्पनियों द्वारा मूलतः अंशदान की गई १४,००,००० रुपये की राशि को ग्रेट ब्रिटेन की कल्याण संस्थाओं के नाम में डाला जा चुका है और भारत को उसका कोई भी भाग नहीं मिला है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि ब्रिटिश नैशनल हैल्थ इंश्योरेन्स एक्ट की शर्तों के अन्तर्गत भारतीय नाविकों द्वारा उक्त धनराशि कमाई जा चुकी थी; और

(ग) क्या भारतीय नाविकों के हितों में प्रयोगार्थ उक्त राशि को प्राप्त करने के लिए कोई पग उठाये जा रहे हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). यह नहीं कहा जा सकता कि वह धनराशि भारतीय नाविकों द्वारा कमाई जा चुकी थी। इसमें वह ही निधि है जो ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने अपने नैशनल हैल्थ इंश्योरन्स एक्ट, १९४६ के अन्तर्गत उन ब्रिटिश जहाज़ मालिकों से कर के रूप में प्राप्त की थी जिन्होंने अपने अपने जहाज़ों पर ग़ैर-ब्रिटिश नाविकों को लगाया था। कानून के अनुसार वह सरकार इन अंशदानों को एक रक्षित निधि के रूप में रख लेगी ताकि किसी अन्य सरकार के साथ करार

करते समय पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा मर्चेण्ट नेवी वेल्फेयर बोर्ड [व्यापार नौसेना कल्याण मण्डल] और नाविकों की विशेष निधि को धन दिया जा सके। अतः इस प्रकार की ज़राभर भी संभावना नहीं है कि ग्रेट ब्रिटेन की सरकार भारत सरकार को उस निधि का कोई भी भाग लौटा दे। यों तो कुछ समय पहले ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के साथ इस मामले पर विचार किया गया, और उसका यह परिणाम हुआ कि यदि तथा जब भी भारतीय नाविकों के लिये सामाजिक बीमा चलाया गया, तो सरकार उस समय उन निधियों का एक भाग भारत सरकार को लौटाने की बात पर विचार करने को तैयार होगी।

अमरकंटक भूमि विकास योजना

७४१. श्री आर० एस० तिवारी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विन्ध्यप्रदेश के अमरकंटक में भूमि जोत कर कृषि उन्नति का कार्य केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में लिया है;

(ख) वहां कार्य कब से शुरू कर दिया गया है;

(ग) अमरकंटक भूमि विकास योजना के लिये कितने ट्रैक्टर भेजे गये हैं;

(घ) इस योजना में मासिक व्यय कितना होता है;

(ङ) यह योजना कितने साल तक के लिये है; तथा

(च) इस कार्य की देखभाल कौन करता है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विन्ध्यप्रदेश के मायकाल पठार में १,००० एकड़ पड़ती भूमि के विकास के हित, मई १९५२ में भारत सरकार ने एक अग्र योजना स्वीकार की। आज तक पोंडी गांव में जो अमरकंटक से १५ मील दूर है, विशेष रूप से यह काम किया जाता था।

(ग) घिसट कर चलने वाले सात ट्रैक्टर तथा एक पहिये वाला ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरण इस कार्य के लिये भेजे गये हैं।

(घ) वेतन, भत्ते, पी० ओ० एल०, दैनिक भत्ते, आदि सहित अवसत मासिक व्यय लगभग ८,२०० रुपये है।

(ङ) सर्वप्रथम, यह योजना ३१ मार्च, १९५३ तक के लिये स्वीकार की जा चुकी थी। अब यह तय हो पाया है कि उस दिनांक से आगे के लिये यह योजना, उस स्थान के सभी उपकरणों सहित, विन्ध्य प्रदेश सरकार को जाते सार्थ के रूप में, सौंपी जायेगी।

(च) अब तो केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था के अधीक्षण के अन्तर्गत काम किया जा रहा है। १ली अप्रैल से विन्ध्य प्रदेश सरकार अपने अधीक्षण में यह काम कर लेगी।

मनिपुर तथा त्रिपुरा क्षेत्र में बी० सी० जी० के० टीके

७४२. श्री रिशांग किशिंग : स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि :—

(क) क्या सरकार ने मनिपुर तथा त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में बी० सी० जी० टीके लगाने के कोई केन्द्र खोल रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५२ में कितने व्यक्तियों को बी० सी० जी० टीके लगाये गये?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) इस समय इम्फाल तथा अगरतला में बी० सी० जी० टीके लगाने का एक एक केन्द्र है। मनिपुर तथा त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में अभी कोई भी केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(ख) १९५२ में मनिपुर और त्रिपुरा में क्रमशः लगभग १४,२०० तथा १,७०० व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

विन्ध्य प्रदेश के डाक मुख्यालय का रींवा को स्थानान्तर

७४३. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह तथ्य है कि विन्ध्य प्रदेश के सारे प्रान्त के डाकखानों तथा तारघरों का मुख्यालय रींवा को स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) क्या अभी बुंदेलखंड ज़िले के टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर तथा पन्ना झांसी मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में और सतना, मैहर, नागोद, रींवा तथा सहडोल नागपुर मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं; तथा

(ग) अगर निकट भविष्य में मुख्यालय रींवा आ रहा है तो क्या डाक तथा तार कर्मचारियों को अपनी पसन्द के मुख्यालयों में जाने का मौका दिया जायेगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग) इस समय विन्ध्य प्रदेश के आठ ज़िलों में से टीकमगढ़, दतिया, पन्ना तथा छतरपुर नाम के चार ज़िले तो उत्तर प्रदेश सर्किल में हैं, और शेष चार अर्थात् सतना साहडोल, रीवा, और सीधी केन्द्रीय सर्किल में है। मैहर तथा नागोर सतना जिले की तहसीलें हैं।

डाकीय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के हर चार जिलों को बुन्देलखण्ड डिवीजन में सम्मिलित किया गया है, और झांसी में इनका मुख्यालय है। तय यह हो पाया है कि उन्हें रींवा की नई डिवीजन को स्थानान्तरित किया जायेगा। इस स्थानान्तरण का यह परिणाम होगा कि विन्ध्य प्रदेश के सभी अर्थात् आठों जिलों में डाकघर एक डाकीय अधीक्षक के नियंत्रण में होंगे।

जहां तक तार तथा टेलीफौन प्रणालियों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सर्किल के अधीन अब जो चार जिले हैं, उन्हें कानपुर इंजीनियरिंग डिवीजन में सम्मिलित किया गया है, और कानपुर में उनका मुख्यालय रखा गया है; और केन्द्रीय सर्किल के शेष चार ज़िले इन्दौर इंजीनियरिंग डिवीजन में सम्मिलित किये गये हैं; और इनका मुख्यालय इन्दौर में रखा गया है। इन सभी आठों ज़िलों को एक ही इंजीनियरिंग डिवीजन में रखने की दृष्टि से पुनर्व्यवस्था करने की संभावना की जांच-पड़ताल की जायेगी।

कर्मचारी-वर्ग को उनकी इस समय की डिवीजनों में ही यथा संभव, रहने की छूट दी जायेगी।

मैसूर में डाकघर

७४४. **श्री मादिया गौडा :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(क) मैसूर राज्य में विभिन्न नामों के डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) ग़ैर-सरकारी इमारतों को डाकघरों के रूप में काम में लाये जाने के लिये कितना किराया दिया जाता है;

(ग) मैसूर राज्य में इस वर्ष डाकघर बनाने के लिये कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ख) ७६,७२२ रुपये १२ आने प्रति वर्ष।

(ग) कुछ भी नहीं।

मनीपुर में चावल का उत्पादन

७४५. श्री एल० जे० सिंह : खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मनिपुर में १९५२ की नवम्बर-दिम्सबर की पूरी शरद्कालीन फसल पर चावल के उत्पादन का कुल आंक, टनों में, कितना है;

(ख) क्या उत्पादित चावल की मात्रा १९५३-५४ के लिये मनिपुर के लिये पर्याप्त है;

(ग) क्या उक्त १९५३-५४ वर्ष के लिये कुछ आधिक्यं उत्पादन भी हुआ है;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर हां में हो तो आधिक्य-उत्पादन की मात्रा कितनी है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा चावल का समाहार किया जाता है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किस दर पर;

(च) क्या वहां चावल के मूल्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है, और

(छ) अभाव की स्थिति पैदा होने की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ८३,००० टन।

(ख) से (घ). १९५३-५४ की स्थिति की भविष्यवाणी करना आसामयिक होगी ।

(ङ) जी हां । आशा की जाती है कि १२ रुपये प्रति मन चावल और ७ रुपये ८ आने प्रति मन धान की स्वीकृत दरों पर वे १८३६ टन (५०,००० मन) का समाहार करेंगे ।

(च) विगत दिसम्बर की शरद्कालीन फसलों को काटने के समय से चावल का मूल्य ९ रुपये से ९ रुपये ८ आने प्रति मन तक स्थिर रहा है ।

(छ) इस समय मनिपुर से चावल तथा धान का निर्यात रोका गया है, और जितने भी चावल का समाहार होता है उसे अभाव की स्थिति का सामना करने के लिये रक्षित किया जाता है ।

त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रीय राजमार्ग

७४८. श्री अच्युतन : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्त में त्रावनकोर-कोचीन में कुल कितने मील सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत बनी होगी;

(ख) १९५२-५३ के अन्त में कितने मील सड़क पूरी जायेगी; और

(ग) अलवाये और एड़ाकोचीन (अरूड़) में पुल बनाये जाने का कार्य कब तक समाप्त किया जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) त्रावनकोर-कोचीन में वर्तमान सड़कों में से लगभग २४४ मील की लम्बाई वर्तमान अस्थायी राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के अन्तर्गत है । योजना अवधि के अन्त पर भी इस लम्बाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) आशा की जाती है कि १९५२-५३ के अन्त तक लगभग १० मील और १९५३-५४ में लगभग ४० मील लम्बाई की सड़कें ठीक की जायेंगी ।

(ग) कदाचित् १९५५-५६ तक ।

गेहूं तथा चावल का उत्पादन खर्च

७४९. श्री [illegible]तन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश राज्यों में विगत

पांच वर्षों में चावल तथा गेहूं का अवसत उत्पादन व्यय, वज़न के अनुसार क्या है;

(ख) उपरोक्त राज्यों में विगत पांच वर्षों में रुई तथा गन्ने का अवसत उत्पादन व्यय, वज़न के अनुसार क्या है ;

(ग) उत्पादन व्यय में अन्तर, यदि कुछ हों तो, के कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख) अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रावनकोर-कोचीन को मुहैय्या किया गया चावल

७५०. श्री अच्यूतन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ वर्षों में भारत के सभी राज्यों में (राज्यवार) धान का समाहार मूल्य कितना है; और उक्त वर्षों में प्रत्येक राज्य से (सभी राज्यों में वज़न की एकरूपता रखते हुए) कितनी मात्रा का समाहार हुआ है;

(ख) इस अन्तर्देशीय खरीद में से उक्त वर्षों में त्रावनकोर-कोचीन राज्य को कितनी मात्रा मुहैय्या की गई थी; और

(ग) उक्त वर्षों में आयात किये गये चावल का समाहार मूल्य कितना है, और इस आयात किये गये चावल में से उक्त वर्षों में त्रावनकोर-कोचीन को कितनी मात्रा मुहैय्या की गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण जिसमें समाहार मूल्य दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६४**] पत्री वर्ष के आधार पर समाहार के आंकड़ों का संचयन होता है, और एक विवरण जिसमें १९५१, १९५२ तथा १९५३ (अब तक) वर्षों में विविध राज्यों में समाहार किये गये चावल के आंकड़े दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है।

(ख) त्रावनकोर-कोचीन को, मुहैय्या किये गये स्वदेशी चावल की मात्राओं का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	(टन हज़ारों में)
१९५१	०
१९५२	६१
१९५३ (१५-३-५३ तक)	१६.६

(ग) एक विवरण जिसमें उक्त अवधि में आयात किये गये चावल के समाहार मूल्य दिये गये हैं सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६४**] आयात किये गये चावल की निम्नांकित मात्रायें त्रावनकोर-कोचीन को मुहैय्या की गई थीं :—

	(टन हज़ारों में)
१९५१	२७०
१९५२	२५०
१९५३ (१५-३-'५३ तक)	२३.८

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था

७५१. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष १९५२-५३ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था द्वारा खेती के लिये अयोग्य कुल कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया;

(ख) यदि हां, तो कहां; और

(ग) भूमि के इस पुनरुद्धार में सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था कृषि के लिये अयोग्य भूमि को काश्त में नहीं लाया करती है। इस संस्था ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और भूपाल की पड़ती तथा फसलदार भूमि पर 'कांस' से भरे हुए क्षेत्रों का पुनरुद्धार किया है। १९५२-५३ वर्ष में हुई फसलों में, फरवरी, १९५३ के अन्त तक इस संस्था ने इस प्रकार के कांस से भरे हुए क्षेत्रों की लगभग ५१,००० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की ननीताल तराई में ११,२०० एकड़ जंगल की भूमि साफ़ की गई है, और इसी अवधि में हल चलाने के लिये तैयार भी की गई है। इस ११,२०० एकड़ वाले क्षेत्र में से, ३,९०० एकड़ भूमि जोती भी गई है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस सारे क्षेत्र को 'अकृष्ट' किन्तु 'कृषियोग्य' भूमि माना जा सकता है।

(ग) १९४६ में, यानी अपने प्रारम्भ-काल से ३१-३-१९५२ तक इस केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था ने भूमि के पुनरुद्धार कार्य पर ४,१२,६३,०४५ रुपये व्यय किये हैं।

उद्योगों की दुर्घटनाएं

७५२. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

(क) भारत में विगत दो वर्षों में (वर्ष-वार) उद्योग की दुर्घटनाओं में हताहतों (घायल या मरे हुए) की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण काम पर अनुपस्थित रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन की अवसत संख्या क्या है, तथा प्रति वर्ष उत्पादन में कितना घाटा होता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १९५० और १९५१ में भाग क राज्यों तथा अजमेर, कुर्ग, दिल्ली राज्यों में और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में फैक्टरियों में हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जो भी सूचना उपलब्ध हुई है वह नीचे दी जाती है :—

	फैक्टरियों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या	
	जिनमें मृत्यु हुई	जहां मृत्यु नहीं हुई
१९५०	४९६	१,४४,३३६
१९५१	३६०	१,०९,९७४

१९५१ के आंकड़ों में पश्चिमी बंगाल के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि अभी वे उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

(ख) जहां तक उन घातक दुर्घटनाओं जिन में आहत कामकर बाद में काम पर चले थे, का प्रश्न है, भाग क राज्यों (बिहार और उड़ीसा को छोड़ कर) तथा अजमेर, कुर्ग, दिल्ली राज्यों में और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में १९५० में काम पर अनुपस्थित रहने वाले व्यक्तियों की प्रति दिन की अवसत संख्या २,५२५ थी।

उत्पादन में घाटा होने के सम्बन्ध में तो कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। यों तो दुर्घटनाओं के कारण समय की जो भी क्षति हुई है वह १९५० में ०.११ प्रतिशत तथा १९५१ में ०.१३ प्रतिशत है।

गेनी कोड़ा

७५३. **श्री भीखाभाई :** (क) स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार 'गेनी वर्म' नाम की बीमारी जानती है ?

(ख) देश के किन भागों में यह बीमारी फैली हुई है ?

(ग) इस बीमारी के कारण क्या हैं ?

(घ) क्या इस बीमारी के कारणों की जांच करने के विषय में कोई अनुसन्धान किया गया है ?

(ङ) क्या कई डाक्टरों ने इस बीमारी के सम्बन्ध में कोई विशेषज्ञता प्राप्त की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां।

(ख) यह बीमारी बम्बई, मद्रास, राजस्थान, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद तथा कुर्ग राज्यों में फैली हुई है।

(ग) यह बीमारी एक लम्बे पतले तथा दूधिया सफेद रंग के कीड़े के कारण हो जाती है। यह कीड़ा शरीर में खाल के नीचे कहीं भी जगह बनाकर रहता है किन्तु यह प्रायः बीमार की टांग पर बैठ जाता है। टांग या पैर पर, जहां कहीं भी यह कीड़ा बैठ जाता है, एक छाला पड़ जाता है और जब यह छाला फूट जाता है तो एक लाल वृण बन जाता है जिसके बीच से इस कीड़े को देखा जा सकता है। जब भी यह कीड़े से कटा अंग पानी के सम्पर्क में आ जाता है तो यह कीड़ा, जिसमें अनेक भ्रूण होते हैं, पानी में उन भ्रूणों को डाल देता है। तत्पश्चात् इन भ्रूणों को छोटे छोटे कीड़े, जिन्हें साइक्लोप्स कहा जाता है, उस समय उठा ले जाते हैं जब वह पानी में रहते हैं। जब भी कोई मनुष्य इन कृमियों से भरे पानी को पी जाता है, तो उसे यह बीमारी लग जाती है।

(घ) जी हां। संसार के अनेक भागों और भारत में भी इस बीमारी के अनेक पहलुओं पर बहुत से अनुसन्धान किये गये हैं। अभी हाल में राजस्थान में, इस बीमारी के इलाज के लिये नये उपचार करने के हित भारतीय औषधीय अनुसन्धान परिषद् की ओर से एक अनुदान के अन्तर्गत अनुसन्धान शुरू किये गये।

(ङ) इस बीमारी की रोकथाम तथा इलाज के लिए अपेक्षित सिद्धान्तों से तो योग्यता प्राप्त डाक्टर परिचित हैं।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
२६ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से इतर कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २६ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

नारियल जटा उद्योग विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये जिस में नारियल जटा उद्योग पर संघ द्वारा नियन्त्रण किये जाने और उस प्रयोजनार्थ एक नारियल जटा बोर्ड स्थापित किये जाने तथा भारत से निर्यात किये जाने वाले जटा के रेशे, जटा के धागे तथा जटा उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाये जाने की व्यवस्था है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें—जारी

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): कुछ समय हुआ, इस सदनने वैदेशिक कार्य मंत्रालय सम्बन्धी प्राक्कलनों पर चर्चा की थी । विदेश नीति की चर्चा करते हुए प्रायः यह कहा गया था कि किसी देश की विदेश नीति मुख्यतः उस देश की राष्ट्रीय नीति ही होती है । यदि यह तर्क विदेश नीति पर लागू किया जाता है तो रक्षा सम्बन्धी नीति पर भी लागू हो सकता है । रक्षा सम्बन्धी नीति भी मुख्य रूप से राष्ट्रीय नीति ही होनी चाहिये । किसी देश की रक्षा नीति कई बातों पर निर्भर होती है ।

किसी देश की रक्षा में ये ये चीज़ें शामिल होती हैं:—सशस्त्र सेनाएं, उनके उपकरण, देशका औद्योगिक उत्पादन, देश की अर्थ-व्यवस्था, लोगों का नैतिक बल तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति । इनमें से प्रत्येक का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है । पहली बात हमें यह याद रखनी है कि रक्षा के अन्तर्गत केवल सशस्त्र सेनाएं ही नहीं आतीं । इसमें वे सब चीज़ें भी हैं जो मैंने उपर उल्लिखित की हैं ।

इस सम्बन्ध में यहां जो भाषण दिये गये हैं उनसे हमने फायदा उठाने का प्रयत्न किया है । कुछ तर्कों का उत्तर तो मेरे रक्षा मंत्रालय के सहयोगियों द्वारा दिया जा चुका है । जो आलोचना हमें वस्तुतः न्यायोचित और उप-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

योगी लगती हैं उस से तो स्वभावतः हम फायदा उठाते ही हैं। परन्तु अधिकांश आलोचनाएं गौण विषयों से सम्बन्ध रखती हैं, जैसे वेतन तथा भत्ता और सेवा की शर्तें। मैं यह नहीं कह रहा कि ये बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं; ये महत्वपूर्ण हैं परन्तु मैं कुछ आधारभूत चीज़ों की चर्चा करना चाहता हूं। उन आलोचनाओं में से कुछ को सुन कर तो सचमुच मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

माननीय सदस्य श्री नम्बियार ने सेवा की शर्तों, वेतन आदि के सम्बन्ध में शिकायत की और कहा कि सशस्त्र सेना के लोगों के साथ, जहां तक उनके खाने तथा रहने की व्यवस्था का प्रश्न है बुरा व्यवहार किया जाता है। परन्तु मेरा कहना यह है कि यदि कोई बात बिल्कुल निश्चित है तो वह यह है कि उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। जहां तक खाने का प्रश्न है, मैं जानता हूं कि उन लोगों को बहुत अच्छा खाना मिलता है। हमारी सशस्त्र सेनाओं के लोगों को डाक्टरी सुविधायें अत्यन्त सन्तोषप्रद ढंग से दी जाती हैं। इसका प्रमाण यह है कि आप सब लोगों को स्वस्थ और मज़बूत पायेंगे। ये लोग हमसे अधिक तल्लीनता के साथ कड़े से कड़े काम कर सकते हैं। उनके स्वस्थ रहने का कारण ही यह है कि उन्हें सापेक्षतया अच्छा खाना, अच्छा निवास स्थान, अच्छी डाक्टरी सुविधायें आदि उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य ने यह शिकायत की कि अस्पतालों म बच्चों को जंजीर से बांध कर रखा जाता है। ऐसी चीजें पढ़ कर निस्सन्देह आश्चर्य होता है। असली बात यह है कि अस्पतालों में छोटे-छोटे बच्चों को नम्बर प्लेटें दी जाती हैं जो जंजीर से उनके सीने पर या कमर पर लटका दी जाती हैं। ऐसा इसलिये किया जाता है कि कहीं वे मिल न जायें। परन्तु उन्होंने इसका वर्णन इस ढंग से किया मानों अस्पतालों में बच्चों को जंजीर से बांध कर ही रखा जाता हो।

जहां तक वेतन का प्रश्न है, माननीय सदस्य मंहगाई के भत्ते को बिल्कुल ही भूल गये जिससे कुल वेतन काफी बढ़ जाता है।

यहां कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्हें सेना, नौसेना या वायु सेना का कुछ अनुभव रहा है। यह उनका सौभाग्य है। इससे वे इन सशस्त्र सेनाओं के कार्य संचालन को अधिक गहराई से समझ सकेंगे। परन्तु एक वायुयान चालक आदि के अल्प अनुभव के संसद् की सदस्यता से मिश्रण होने पर एक और बात का भय है और वह यह है कि ऐसे माननीय सदस्य यह समझने लगते हैं मानों वे सेना, वायुसेना या नौ सेना से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों में विशेषज्ञ हो गये हैं। परन्तु हमारी सेना में कुछ हज़ार व्यक्ति ऐसे मौजूद हैं जो ऐसे किसी संसद् सदस्य से––जो वायुयान चालक रह चुका हो––अधिक अनुभवी हैं और जिन्होंने अपने जीवन के १०, २० वर्ष रक्षा सेवा में बिता दिये हैं। ऐसे लोग हमें परामर्श देते हैं। स्वभावतः सब मामलों में हम उन लोगों का परामर्श लेते हैं। हम उस क्षेत्र विशेष में अधिक जानकारी न रखने वाले साधारण आदमियों की तरह उनका परामर्श सुनते हैं। निस्संदेह, अन्तिम विनिश्चय देश के असैनिक शासनतन्त्र द्वारा किया जाना होता है, परन्तु विशेषज्ञों का परामर्श लेने के पश्चात् मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि एक चालक का अल्प अनुभव होने मात्र से कोई व्यक्ति वायु सेना सम्बन्धी मामलों में विशेषज्ञ हो ही जाये।

मैं चाहता हूं कि सदन भारतीय सेना की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि का अध्ययन करे। जहां तक भारतीय वायु सेना तथा भारतीय नौसेना का सम्बन्ध है, वे सापेक्षतया छोटी हैं। हम उन्हें कुछ बढ़ाना चाहते हैं और शनै

शनैः बढ़ा भी रहे हैं। फिर भी हमारे रक्षा संगठन में स्थल सेना सब से बड़ी है। अलग अलग सदस्य अलग अलग सेना के महत्व पर ज़ोर देते हैं। कुछ सदस्यों ने वायु सेना के अधिक महत्वपूर्ण होने का दावा किया; इसमें कोई सन्देह भी नहीं है कि आजकल वायु सेना बहुत महत्व रखती है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमें अपनी रक्षा पर, विशेष रूप से वायु सेना पर, अधिक व्यय करना चाहिये तो कुछ अन्य ने कहा कि हमें इस मद पर कम खर्चा करना चाहिये। अपने अपने दृष्टिकोण से सब ही ठीक हैं। एक ओर तो यह स्पष्ट है कि हम अपनी रक्षा पर पर्याप्त अधिक व्यय कर रहे हैं; वस्तुतः हम उतना व्यय नहीं झेल सकते। हम उसमें कमी करना चाहते हैं और निरन्तर इसके लिये प्रयत्न भी कर रहे हैं। दूसरी ओर--यदि देश की लम्बाई-चौड़ाई तथा रक्षा संगठन के आभारों को ध्यान में रखा जाये--यह धनराशि, जो हम इस पर व्यय करते हैं, कोई विशेष अधिक नहीं है। हमें इन सब बातों का सन्तुलन करना है। स्वभावतः हम उतना धन व्यय नहीं कर सकते जितना कि हमारे पास ही नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी स्वाभाविक है कि देश की सुरक्षा के लिये और देश के भावी विकास के लिये रक्षा सम्बन्धी आवश्यकता की कोई न्यूनतम सीमा बनाई जाती है। उतनी व्यवस्था तो हमें करनी ही होती है। इस प्रकार ये दोनों बातें देखनी होती हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है। माननीय सदस्य सेना, वायु सेना आदि के संख्या बल की बातें करते हैं। इतिहास हमें बतलाता है कि सेनाएं संख्या बल नैतिक बल तथा साहस पर तो निर्भर रही ही हैं, परन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि यान्त्रिक दृष्टि से उसकी दशा कैसी है। पुराने ज़माने में तो यान्त्रिक पहलू का इतना स्पष्ट महत्व नहीं था, परन्तु आधुनिक काल में यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है। यदि कोई माननीय सदस्य युद्ध के इतिहास का अध्ययन करने का कष्ट करें तो वह देखेंगे कि युद्ध काल में यंत्रकला का सदैव विकास हुआ है। जिस समय लोग ज़िन्दगी और मौत के संघर्ष में रत रहते हैं, उनके मस्तिष्क इस दिशा में अधिक तेज़ी के साथ काम करते हैं। अतः युद्ध में साहस से ही इतनी सहायता नहीं मिलती जितनी कि विकसित यंत्रकला से। साहस का भी अपना महत्व है, परन्तु वास्तविक चीज़ है बढ़िया शस्त्रास्त्रों का होना। यदि मेरे पास अधिक समय होता तो मैं बहुत से दिलचस्प उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश करता कि युद्ध में शस्त्रादि का क्या महत्व है। अटीला ने रोमनों पर विजय प्राप्त की क्योंकि उसने घोड़े पर रकाब का आविष्कार किया। रकाब कैसी साधारण सी चीज़ है, परन्तु इसने अटीला के रोमनों का मुकाबला करने के लिये नवीन प्रेरणा दी। कांस्टैंटिनोपल, जो कि पुरानी ग्रीक साम्राज्य के अधीन था, ने तुर्कों का मुकाबला किया यद्यपि तुर्कों ने कई सौ वर्ष तक कांस्टैंटिनोपल को घेर रखा था। इसका कारण यही था कि कांस्टैंटिनोपल के पास 'ग्रीक फायर' नामक एक गुप्त शस्त्र था जिसने उसकी रक्षा की।

यदि हम भारत के इतिहास को देखें--मैं प्राचीन इतिहास को छोड़ता हूं जिसके विषय में हमारे पास समुचित ऐतिहासिक अभिलेख नहीं हैं; शायद यान्त्रिक दृष्टिकोण से उस समय हम और लोगों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए नहीं थे--तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी सब कमियां और पराजय इसी लिये हुई हैं क्योंकि हम उस दृष्टि से पिछड़े हुए थे। हम अपने साहस, अपनी बहादुरी तथा एक दूसरे से लड़ने की क्षमता के चक्कर में ही फंसे रहे। हमारी पराजय साहस या बुद्धि की कमी के कारण नहीं हुई, अपितु इस बात के कारण हुई कि हम यंत्रकला में पिछड़

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हुए थ। बाबर की जीत क्यों हुई ? इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं; परन्तु मुख्य कारण यही था कि उस के पास अच्छी तोपें थीं। उसके शस्त्रास्त्रों का मुकाबला राजपूत नहीं कर सके। मुगल काल को ही लीजिये। मुगल काल में भारत में तोपों का निर्माण तुर्कों ने किया। उन लोगों को तुर्की से भेजा गया था और उनकी विशेष उपाधियां थीं। उन दिनों अधिकांश शस्त्र बनाने वाले लोगों को 'रूमी खां' कहा जाता था। कहने का अभिप्राय यह है कि युद्ध के प्रयोजनों के लिये सामग्री हमने सदैव विदेशियों से ही तैयार करवाई। इस बीच यूरोप इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा था। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत आये तो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे शस्त्र थे। तत्कालीन स्थानीय शासकों ने उनके शस्त्रों तथा पदाधिकारियों को एक प्रकार से किराये पर लिया। वे सैनिकों को अधिक अच्छा प्रशिक्षिण दे सकते थे। जो कोई उन्हें किराये पर लेता था उससे वे अपना भी अंश लेते थे।

यह एक असाधारण सी बात थी कि हम दूसरों पर इतने आश्रित थे। अन्त में हम राजनैतिक रूप से भी आश्रित हो गये। हमारा सैकड़ों वर्ष का इतिहास इन्हीं बातों से भरा पड़ा है। आज अनेक समस्याओं का सामना करते हुए हमें अपने पूर्व इतिहास का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य उसे पूरी तरह याद नहीं रखते। वे हम से कहते हैं कि हमें पराधीन नहीं रहना चाहिये। हम भी इसे एक मूल-भूत तथ्य मानते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसा किस प्रकार करें ? यह कोई ऐसी साधारण बात नहीं है जैसी कि दिखलाई पड़ती है हम वह यान्त्रिक विकास कोई यकायक तो कर नहीं सकते। हम बहुत से ऐसे व्यक्ति तो पैदा कर नहीं सकते जो नई नई चीज़ें का आविष्कार करते रहें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सब देश जान ही जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बड़े देश की अपनी अलग अलग चीज़ें और नमूने होते हैं जिन्हें शुरू में तो कोई भी नहीं जानता; परन्तु अन्ततः उनका युद्ध में प्रयोग किया जाता है और फिर दूसरे देश भी उसी तरह की चीज़ों का निर्माण करने लगते हैं। उदाहरण के लिये मैक्सिम-गन को लीजिये। आखिरकार सारी बात विज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान तथा आविष्कारकर्ता के ऊपर निर्भर करती है। फिर, रक्षा संगठन की सफलता औद्योगिक विकास पर भी निर्भर है। अतएव हमने रक्षा के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि देश में बहुत सी वैज्ञानिक प्रयोगशालायें स्थापित की हैं। अभी वे प्रयोगशालायें रक्षा विभाग के अन्तर्गत तो नहीं हैं, परन्तु है यह एक बहुत बड़ा काम। यदि हम केवल विदेशों से खरीदे गये विचारों या आविष्कारों पर ही निर्भर रहे आये तो हम न केवल रक्षा में, अपितु औद्योगिक क्षेत्र में भी पिछड़े हुए रहे आयेंगे। इस प्रकार तो हमें पुरानी चीज़ें और पुरानी मशीनें ही प्राप्त होंगी। अतः हमने पहली चीज़ यह की कि देश में बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें खोलीं। कभी कभी माननीय सदस्य इन प्रयोगशालाओं के बारे में इस लहज़े से पूछताछ करते हैं मानों वे बड़ी मात्रा में यंत्रों आदि का निर्माण कर रही हैं। एक प्रयोगशाला का सर्वप्रथम कार्य यह होता है कि वह वैज्ञानिकों तथा आश्चर्यजनक आविष्कारों को जन्म देती है। कभी ये आविष्कार छोटे भी होते हैं। और कभी कभी होते ही नहीं हैं। यह जोखिम तो आपको लेनी ही पडेगी। इसके अलावा हमने एक रक्षा विज्ञान विभाग बनाने का भी प्रयत्न किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह विभाग वैसे तो हमारी अन्य प्रयोगशालाओं के निकट सम्पर्क में रहता है, परन्तु यह विज्ञान के रक्षा सम्बन्धी पहलू पर विशेष ध्यान देता है। यह विभाग बड़े

अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के प्रभार में है । मेरे लिये यह कहना तो अनुचित होगा कि साधारण या रक्षा विकास के क्षेत्र में हमारा मुकाबला संसार के उन्नत देशों से किया जा सकता है । ऐसी बात नहीं है । परिमाण में तो हम उन के समान नहीं हैं, परन्तु गुण में हम बुरे नहीं हैं—चाहे बहुत कम परिमाण में ही अविष्कार क्यों न किये गये हों । यह कोई अधिक आदमी रखने या कुछ और वायुयान और पोत—नये या पुराने—खरीदने का प्रश्न नहीं है । हमें एक नयी प्रणाली स्थापित करनी है—एक ऐसी चीज को जन्म देना है जो पिछली कुछ शताब्दियों से इस देश में नहीं रही है क्योंकि हम तो अपना काम दूसरों से करवाते रहे हैं । परन्तु नव निर्माण के लिये ही यह आवश्यक है कि हमें जो सहायता मिल सके वह प्राप्त करें । यदि हम ने प्रत्येक चीज का आविष्कार नये सिरे से करना शुरू कर दिया तब तो बड़ा समय लग जायेगा और दूसरे लोग हम से आगे निकल जायेंगे । हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इन सब कामों के लिये हमें अपने ही लोगों—अपने वैज्ञानिकों, अपने टैक्नीशियनों—पर निर्भर रहना है । अब आप इस बात की आलोचना करते हैं कि हम ने विदेशों से सहायता ली । हम ने विदेशों से केवल तभी सहायता ली है जब ऐसा करना आवश्यक समझा । कभी कभी हम ने बाहर से रक्षा से सम्बद्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को भी बुलवाया है ताकि वे हमें परामर्श दे सकें । इसी प्रकार हम ने कुछ अन्य लोगों को भी परामर्श के हेतु बाहर से बुलवाया है । हम ने उनका परामर्श हमेशा तो नहीं माना है, परन्तु उन से कुछ सीखने की कोशिश जरूर की है और कुछ सीखा भी है । हमारे अनेक पदाधिकारियों ने—मेरा अभिप्राय मंत्रियों आदि से नहीं है—उन की बात सुनी, उन के साथ जिरह की और उन विषयों पर अपने ज्ञान में कुछ वृद्धि की ।

यद्यपि रक्षा का सम्पूर्ण कार्यभार मैं ने अभी हाल में ही संभाला है, परन्तु रक्षा सेवाओं में दिलचस्पी में उसी समय से लेता आया हूं जब कि मैं प्रधान मंत्री बना । मैं रक्षा सेवाओं के अनेक पदाधिकारियों से मिला हूं और मैं ने अन्य लोगों से भी इस विषय में मुलाकात की है । अब यह न केवल मेरी ही राय है बल्कि अन्य ऐसे लोगों की, जो इस सम्बन्ध में ठीक फैसला दे सकते हैं, भी यही राय है कि हमारा नौजवान पदाधिकारी—एक औसत पदाधिकारी—पर्याप्त उच्च श्रेणी का माना जाता है । मैं अपने औसत सैनिक के विषय में कुछ कहने की तो आवश्यकता ही नहीं समझता । वह तो एक साहसी, वीर और अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति माना ही जाता है । मैं इस समय अपने सैनिक पदाधिकारियों के गुण की चर्चा कर रहा हूं । इस की तुलना किसी भी देश के सैनिक पदाधिकारी के साथ की जा सकती है । मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम नैपोलियन और चंगेजखां पैदा कर रहे हैं । विशेष रूप से चंगेजखां का उल्लेख मैं ने यहां इसलिये किया क्योंकि मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि जितने जनरल हुए हैं उन में इस व्यक्ति का स्थान सर्वोच्च है । यहां इस बात का सवाल नहीं है कि उस ने क्या कुछ किया । मैं तो उस के एक जनरल के रूप में गुणों का उल्लेख कर रहा हूं । तो हम रक्षा के मूल आधार का विकास कर रहे हैं । सर्व प्रथम इस का वैज्ञानिक रूप से विकास होना है : इस के बाद प्रशिक्षित पदाधिकारियों का ऐसा निकाय बनाया जाना है जो न केवल आधुनिक युद्ध कला के नवीनतम ढंगों का ज्ञान प्राप्त करे बल्कि जो नवीनतम आविष्कारों और प्रवृत्तियों का भलीभांति अध्ययन करे और उन्हें समझे । हमारे पदाधिकारियों को ही नहीं, बल्कि साधारण सैनिकों को भी टैक्नीकल बातों में अधिकाधिक दिलचस्पी लेनी है । युद्ध का झुकाव टैक्नीकल पहल की

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ओर बराबर बढ़ता जा रहा है और अभी और बढ़ना है ।

मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर विचार करे कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब भारतीय सेना की दशा क्या थी । वह एक अच्छी सेना थी और जब कभी उस से काम लिया गया उस ने उसे खूबी से निभाया । परन्तु व्यावहारिक रूप से वह ब्रिटिश सेना की ही विस्तारित सेना थी, और सामान्य रूप से उस में पदाधिकारियों को छोड़ कर, भारतीय ही थे, उस की नीति लन्दन के व्हाइट हाल में बनाई जाती थी। 'जनरल स्टाफ' भी 'व्हाइट हाल' में ही था—हो सकता है कुछ 'आर्मी स्टाफ' यहां भी हो। परन्तु वास्तविक विनिश्चय लन्दन के 'व्हाइट हाल' में ही किये जाते थे और उन का पालन यहां होता था । सब पदाधिकारी विदेशी थे, हां, बाद के कुछ वर्षों में जरूर कुछ भारतीय कर्नल जैसे पद पर नियुक्त कर दिये गये थे। जहां तक मुझे याद है, देश के विभाजन के समय भारतीय सेना में लगभग ८,००० ब्रिटिश पदाधिकारी थे । यह संख्या काफी बड़ी थी । हमें बहुत से परिवर्तन करने पड़े थे । सब से पहले सेना, वायु सेना और नौ सेना भारत तथा पाकिस्तान के बीच बांटी गई, सब हजारों की संख्या में ये विदेशी पदाधिकारी हटायें गये । अब हमारे नौजवान पदाधिकारी चाहे कितने ही होनहार व्यक्ति हैं, परन्तु उन्हें एक दम जिम्मेदारी की जगह तो दी नहीं जा सकती । सामान्यतया, कोई व्यक्ति 'जनरल' तभी बनता है जबकि उस ने सेना में लगभग २० वर्ष काम कर लिया हो । तो यह एक जबरदस्त परीक्षण था जिस में हम किसी तरह पूरे उतरे । फिर हम ने अपना 'जनरल स्टाफ' बनाया क्योंकि हमें अपने पैरों पर ही खड़े होना था ।

कल मेरे मित्र, श्री त्यागी, ने ब्रिटिश या विदेशी पदाधिकारियों के बारे में कुछ आंकड़े दिये थे । मैं नहीं कह सकता कि इस सदन के सदस्य उन आंकड़ों को कितना महत्व देते हैं । मैं उन्हें दूसरी तरह से लेता हूं । आज हमारी भारतीय सेना में एक भी ब्रिटिश या विदेशी पदाधिकारी किसी संचालनात्मक या कार्यपालिका पद पर नियुक्त नहीं है, जहां तक सेना के लोगों का सम्बन्ध है, हमारी सेना पूर्णतः स्वावलम्बी है । हमारे यहां कुछ ब्रिटिश पदाधिकारी भी हैं । उदाहरणार्थ, एक परामर्शदाता है जो सेना संगठन सम्बन्धी प्रश्नों पर हमें राय देता है । कुछ समय तक एक ज्येष्ठ परामर्शदाता भी रहा है और उस के अलावा हमारी सेना में कुछ विदेशी टैक्नीशियन भी हैं जो प्रशिक्षण देते हैं । परन्तु इन लोगों का कोई कार्यपालिका का उत्तरदायित्व नहीं है । देखा जाये तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, विशेष रूप से हमारी जैसे साइज़ की सेना में । आप दूर क्यों जायें, पाकिस्तान को ही लीजिये । वहां आप को आज भी बहुत से कार्यपालिका पदों पर अंग्रेज़ पदाधिकारी मिलेंगे हमारी सेना में ऐसे पदों पर कोई ब्रिटिश पदाधिकारी नहीं है । जहां तक वायु सेना का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं एक या दो ब्रिटिश पदाधिकारी हैं। एक तो एयर मार्शल ही हैं । मैं देखता हूं कि श्री जयपाल सिंह इशारा कर रहे हैं ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मेरे विचार से मेरे मित्र का यह कहना, कि सैनिक प्रशिक्षण के प्रभार में कोई कार्यपालिका अधिकारी नहीं है, ठीक है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रशिक्षण प्रविधिविज्ञ हो सकते हैं, परन्तु उन को कोई संचालन सम्बन्धी कार्य नहीं दिया जाता है ।

वायु बल में, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम हैं उच्चतम अधिकारी के अतिरिक्त एक आध ही और हो सकते हैं। इस वर्ष के अन्त तक, जहां तक अफसरों का सम्बन्ध है, शत प्रतिशत अफसर भारतीय हो जायेंगे।

नौ सैना की स्थिति इस से भिन्न है, और इस में सम्भव है कि कुछ समय तक हमें वरिष्ठ ब्रिटिश अफसरों की सहायता लेनी पड़े, क्योंकि यह तथ्य है कि हमारे नवयुवकों को अभी अपेक्षित अनुभव नहीं प्राप्त हुआ है। वह शीघ्रता से अनुभव प्रात कर रहे हैं और इस वर्ष के अन्त तक बड़े परिवर्तन होने की संभावनायें हैं। पहले के ८००० ब्रिटिश अफसरों के स्थान पर पांच या छै वर्ष में उतने ही भारतीयों को नियुक्त करना निस्सन्देह एक महान कार्य है।

हमारा लक्ष्य न केवल शत प्रतिशत भारतीय सेना रखना ही है अपितु हमारा प्रयत्न उत्तमोत्तम कर्मचारिवर्ग रखने का है, हमारा प्रयत्न देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है तो न केवल आकार में ही बड़ी हो अपितु उत्तमोत्तम भी हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में हम विदेशों से यथा संभव सहायता क्यों न लें। परन्तु यह सहायता किस प्रकार की हो यह देखना हमारा स्वयं का काम है।

अब इस समस्या का दूसरा पहलू देखिये। रक्षा अन्ततः सेना पर निर्भर होती है। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि हमारी सेना की प्रकृति असभ्य तथा निर्दयी है। मैं इसे बहुत बुरा समझता हूं।

श्री गोपाल राव (गुडीवाड़ा) : सिपाही तथा अफसर के मध्य प्रदेश कैसे हैं? सैनिकों के प्रति अफसरोंका व्यव बहार कैसा होता है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे ज्ञात है अफसरों और सैनिकों के परस्पर सम्बन्ध बहुत ही मित्रतापूर्ण तथा सहकारी हैं। संसार के सभी देशों की सेनाओं की दशा तो मुझे मालूम है नहीं, परन्तु इतना मुझे अवश्य ज्ञात है कि प्रत्येक सेना में व्यवस्था को सब से महत्वपूर्ण समझा जाता है। अन्य देशों की सेनाओं में अफसरों और सैनिकों के परस्पर सम्बन्ध भारत के मुकाबिले में बहुत कठोर हैं। हमारी सेना के १०,००० से २०,००० तक अफसरों में कुछ बहुत अच्छे हैं, और कुछ साधारण हैं और कुछ बुरे भी हैं। यह तो व्यक्तिगत मामला है। परन्तु समग्र चित्र को सामने रखते हुए मेरी धारणा यह है कि दोनों के बीच अच्छे सम्बन्ध हैं, मैं ने उन को एक साथ उठते बैठते नाचते गाते और खाते पीते देखा है।

मैं रक्षा सम्बन्धी दूसरे पहलू की ओर निर्देश कर रहा था। अन्ततः हमें अपनी सेना को, वायु बल को, नौ सेना को, औद्योगीकरण की पृष्ठभूमि के आधार पर देखना है। मेरे विचार से हमें प्रविधिक दृष्टिकोण; प्रविधिक विचार धारा को उत्पन्न करना है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि रक्षा मंत्रालय ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। सेना तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति केवलमात्र मुझे ही आश्चर्यजनक नहीं मालूम हो रही है परन्तु जो व्यक्ति विदेशों से यहां आते हैं, और जिन के ऊपर हमारा तनिक भी प्रभाव नहीं है, वह भी हमारी प्रशंसा करते हैं। वह सेना सम्बन्धी कार्यों के विशेषज्ञ हैं और वह एक या दो वर्ष के अन्तर में भारत में दो तीन बार हो गये हैं। वह हमारी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं और हम जो इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते चले जा रहे हैं उसे देख कर उन्हों ने आश्चर्य प्रकट किया है। मैं युद्ध

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आयुध फैक्टरियों (आर्डनैन्स फैक्टरीज़) तथा अन्य बड़े उद्योगों के विकास सम्बन्धी आंकड़े बता सकता हूं। उदाहरण के लिये अम्बरनाथ मशीनी औज़ार छापा फैक्टरी को ही लीजिये। इस की तुलना संसार की इसी प्रकार, की किसी भी मिल से की जा सकती है। इन फैक्टरियों आदि के बनाये जाने से एक अन्य प्रकार की कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं।

युद्ध आयुध फैक्टरियों को ही लीजिये-- जहां तक अधीक्षक जैसे पदों का सम्बन्ध है, यह बहुत ही प्रविधिक प्रकार के पद हैं, और हर किसी व्यक्ति को इन प्रविधिक पदों पर नियुक्त कर देना संभव नहीं है: हमारी आर्डनैन्स फैक्टरियों में कोई २० प्रशिक्षित अधीक्षक हैं। पहले तो इन में कोई भारतीय फोरमैन तक नहीं होते थे। केवलमात्र एक भारतीय अफसर अधीक्षक के पद तक पहुंच सका था। भारतीय निचले पदों पर ही रहते थे। आज आठ के अतिरिक्त शेष सभी अधीक्षक भारतीय हैं और अन्य पदों पर भी एक भी विदेशी नहीं है। इन अत्याधिक प्रविधिक कार्यों में हम ने जो प्रगति की है वह अत्याशित है। यदि आप इस्पात तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन आंकड़ों को देखें तो आप को ज्ञात होगा कि हम कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): क्या युद्धास्त्र उद्योगों में कोई प्ररचना विभाग भी है? मेरी सूचना यह है कि अभी भी समस्त प्ररचनायें तथा प्रारूप इंगलैंड से आते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: प्ररचना विभाग है, परन्तु प्ररचनायें अधिकांशतया अभी भी इंगलैंड से आते हैं। परन्तु, अपने प्ररचना विभाग के ठीक हो जाने पर हम अन्य देशों से प्ररचनायें नहीं लेंगे और यदि लेंगे भी तो केवल मात्र तुलना करने के लिये ही लेंगे। हम किसी प्रकार अपने स्तर को गिरने देना नहीं चाहते हैं। अपने बनाये किसी भी प्ररचना से निम्न कोटि की चीज़ें बनाते चले जाना ठीक नहीं है। हमें सर्वोत्तम चीज़ें चाहियें। अभी तो हम सर्वोत्तम वस्तुयें विदेशों से खरीदते हैं परन्तु हमारे यहां भी प्ररचना सम्बन्धी कार्य तेज़ी से प्रगति कर रहा है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व): सत्ता हस्तान्तरण के समय हमारी आर्डनैन्स फैक्टरियों में सभी सारभूत वस्तुयें नहीं बनाई जा सकती थीं और उन को आत्म निर्भर बनाने के प्रयत्न किये गये थे। क्या यह कार्य अब पूरा हो चुका है? क्या सभी सारभूत वस्तुयें हम अपनी आर्डनैन्स फैक्टरियों में बनाने लगे हैं या हम अभी भी इंगलैंड से आने वाली वस्तुओं पर निर्भर हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू: सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाने के लिये सदैव प्रयत्न किये जाते हैं, परन्तु इस की भी परिसीमा है। औद्योगिक देशों में तरह तरह के छोटे मोटे भाग अनगिनत उद्योगों के लिये बनाये जाते हैं। परन्तु हमारी कठिनाई यह है कि हम अपने प्रयत्नों में उस औद्योगिक पृष्ठ भूमि पर निर्भर नहीं रह सकते जो कि इंगलैंड फ्रांस या अमरीका में पाई जाती है। वह असैनिक उद्योगों के लिये जो औजार तथा उपकरण बनाते हैं रक्षा विभाग उन का लाभ उठाता है। परन्तु हमें प्रत्येक वस्तु स्वयं बनानी पड़ती है और इस से लागत भी अधिक आती है। हमें बड़ी बड़ी मशीनों से छोटी छोटी वस्तुयें बनानी पड़ती हैं। जितनी संख्या हमें चाहिये

वह दस मिनट में बन जाती है और तेईस घंटे से ज्यादा समय तक मशीन बेकार रहती है। हमें इन बातों का ख्याल रखना होता है। जब वह छोटा सा पुर्जा हमें कहीं और से सस्ता और आसानी से मिल सके तो १० लाख रुपये मशीन लगाने में व्यय करना कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। अतः हमें असैनिक विकास कार्य और साधारण औद्योगीकरण का परस्पर समन्वय करना है।

हम ने अपने आर्डनन्स फैक्टरियों तथा अन्य फैक्टरियों को असैनिक उत्पादन कार्य के अधिकाधिक काम में लाने के प्रयत्न किये हैं। इन आर्डनैन्स फैक्टरियों तथा अन्य फैक्टरियों को और भी अधिक उत्तमता से चलाने के लिये योजना तैयार करने के हेतु हम एक उच्च सत्ता प्राप्त समिति नियुक्त कर रहे हैं, वह समिति यह भी देखेगी कि इन को असैनिक उत्पादन के लिये किस प्रकार काम में लाया जा सकता है जिस से कि न केवल उत्पादन ही बढ़ जाये अपितु छंटनी का प्रश्न भी न उठे। छंटनी बुरी चीज है। हम छंटनी करना नहीं चाहते हैं, उधर हम से कहा जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में क्या करें। इसलिये यदि हम कभी असैनिक उत्पादन करने लगें और इन असैनिक उत्पादनों को कुछ वस्तुयें बनाने के काम में लायें तो अति उत्तम हो। सभी बातें एक साथ तो हो नहीं सकती हैं, पर हम ऐसी वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन कर रहे हैं।

अब रक्षा सम्बंधी मूल प्रश्न उठता है। रक्षा से क्या अभिप्राय है ? रक्षा के सम्बंध में चर्चा करने से हमारा उद्देश्य क्या होता है ? क्या समस्त संसार से लड़ना ही हमारा उद्देश्य है ? आज के युग में संसार की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी सारे संसार से नहीं लड़ सकती है : अतः हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिये यह बात हमें सदैव ध्यान में रखनी चाहिये। साथ ही हमें अपने संसाधनों को भी ध्यान में रखना चाहिय। वह बहुत सीमित हैं। यदि हमारे पास भी असीमित संसाधन होते तो हम भी बहुत कुछ कर गुजरते। जिस युद्ध शक्ति का मेरे मित्रों ने आभास दिया है उस से कहीं अधिक शक्ति हमारे पास हो सकती है—केवलमात्र सेना के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी। परन्तु एक परिसीमा है। हमारे संसाधन सीमित हैं और हमें उन को सर्वोत्तम रीति से काम में लाना है। प्रश्न उठता है कैसे ? सर्व प्रथम हमें यह विनिश्चय करना है कि कितने संसाधनों को अविलम्ब ही काम में ला सकते हैं। यदि लड़ाई छः महीने में ही छिड़ने वाली हो तो हमारी तैयारियां बिल्कुल भिन्न प्रकार की होंगी। हमें युद्ध के लिये तैयारी करनी होगी। हमें तुरन्त ही इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा जितना हम सामान्यतया खर्च नहीं करते। हमें रुपये को व्यर्थ बरबाद भी करना होगा, क्योंकि हम सोते में मारे जाना पसन्द नहीं करेंगे। अतः ऐसी संभावना होने पर हमारी व्यय सम्बन्धी योजनायें बिल्कुल ही दूसरी प्रकार की होंगी। अतः हमें यह सोचना है कि हमें आज कितना व्यय करना है और अनुपम भविष्य की नींव डालने के लिये कितना व्यय करना है। यह सभी बातों पर लागू होता है, चाहे प्रश्न औद्योगिक विकास का हो चाहे पंचवर्षीय योजना का हो चाहे रक्षा के सम्बन्ध में हो।

दूसरी बात यह है कि हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उस आधारभूत चीज पर जो रक्षा सम्बन्धी अत्यधिक आवश्यक वस्तु से भी अधिक महत्वपूर्ण है कितना व्यय करना चाहते हैं। गत महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के जीतने का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

एकमात्र कारण संयुक्त राज्य अमरीका के विशालकाय उत्पादन मशीनरी द्वारा अधिक और अधिक उत्पादन करना ही था। आज जो कुछ हम अपनी सेना को बढ़ाने पर व्यय करते हैं वह निस्सन्देह हमारी सुरक्षा को बढ़ाता है, और यह शक्ति हम को अधिक और उत्पादन से भी मिल सकती है। अब हमें केवल यही निश्चय करना है कि अपनी औद्योगिक शक्ति बढ़ाने के लिये हमें कितना व्यय करना है और सेना में और अधिक रैजीमेंट या वायुयान बनाने पर कितना व्यय करना है ?

श्री गोपाल राव : हमारे रक्षा व्यय का कितना भाग रक्षा सम्बन्धी उद्योगों अथवा भारी उद्योगों के लिये आवंटित किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रतिशतता तो अभी मैं नहीं बता सकता हूं, परन्तु उस का अधिकांश भाग आधारभूत वस्तुओं के निर्माण पर व्यय किया जाता है। अब प्रश्न आता है शस्त्रों की किस्म का। शस्त्रों तथा उपकरणों में वायुयान, जलयान इत्यादि सभी कुछ आ जाता है। सभी नवीनतम और उत्तमोत्तम शस्त्रास्त्र खरीदने की बात सोचते हैं। कल किसी मित्र ने पूछा था कि हम पुराने माल को क्यों खरीद रहे थे ? पर बिल्कुल न होने से कुछ होना तो अच्छा ही है। नये जहाज़ की कीमत पुराने जहाज़ से दस गुनी होती है। नवीनतम किस्म के जैट वायुयानों की कीमत बहुत ही अधिक है। यदि हम उसे खरीदते हैं तो हम उन हजारों चीज़ों को नहीं खरीद सकेंगे जिन की हम को जरूरत है। हम इस तरह धन व्यय नहीं कर सकते। दूसरे हमें उन उद्देश्यों का भी ध्यान रखना होता है जिस के लिये यह शस्त्रास्त्र खरीदे जाते हैं। जितने भी बड़े शस्त्रास्त्र हम खरीदते हैं उतनी ही उन की देख रेख मुश्किल होती है और हम अन्य देशों पर उतने ही अतिरिक्त भागों इत्यादि के लिये निर्भर हो जाते हैं। हम उन को थोड़ी ही संख्या में खरीद सकते हैं और यदि वह किसी तरह नष्ट हो जायें तो सब कुछ समाप्त हो जायेगा।

पुरानी भारतीय सेना को ही लीजिये। उस समय वह ब्रिटिश सेना का एक अंग मात्र थी, उसे ब्रिटिश सेना की सहायता करनी होती थी। वह ब्रिटिश सेना को एक अंगमात्र ही ी। अब हम ऐसी सेना की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। हमें केवल अपनी सुरक्षा के लिये सेना चाहिये अन्य देशों पर आक्रमण करने के लिये नहीं। हमारी नौ सेना का उद्देश्य हमारे समुद्र तट की रक्षा करना है और वायु सेना का सीमान्तों की रक्षा करना है। इसलिये हमें २००० मील से अधिक दूरी तक उड़ते चले जाने वाले वायुयानों की आवश्यकता ही नहीं होगी। और यदि हम ऐसे वायुयानों को खरीदेंगे तो हम उन को उन चीजों के बदले में लेंगे जो हमारे लिये अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं इन बातों को सदन के समक्ष इसलिये रख रहा हूं जिस से कि उसे यह ज्ञात हो जाये कि हमारी विचारधारा क्या है। इसलिये किसी दूसरे दर्जे के ऐसे शस्त्र पर जिसे इसी देश में बनाया जा सके, हमें उस शस्त्र के मुकाबिले में, जो कदाचित हमें मिल ही न सके अथवा जिसे हम बाद को ठीक तरह रख ही न सकें, अधिक विश्वास रखना चाहिये। यह तो हुआ एक पक्ष।

इसी का दूसरा पक्ष यह है कि दूसरे दर्जे के शस्त्रास्त्र काम में लाने से **हमारे**

सैनिकों का मानसिक पतन हो जायेगा । हमें इन दोनों परस्पर विरोधी बातों में समन्वय करना है । हमारा दृष्टिकोण अपने उद्योगों को बढ़ाना, अपने रक्षा उद्योग को सुदृढ़ करना और प्रौद्योगिक तथा वैज्ञानिक कार्य की प्रगति करना है । सैनिकों को आठ या नौ महीने में प्रशिक्षित किया जा सकता है परन्तु उच्च योग्यता प्राप्त प्रविधिक अधिकारी बनाने में समय भी लगता है और कठिनाई भी बहुत होती है । वायुबल के बढ़ाने की बात को ही लीजिये । यहां और अधिक वायुयान बनाने का प्रश्न नहीं है परन्तु हमारी कठिनाई ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की है जो इन वायु-यानों को चला सकें । इस में समय लगता है और यह साधारण बात भी नहीं है । यदि हम वायु बल को बढ़ाना चाहते हैं तो वायुयान खरीद लेने भर से ही काम नहीं चलेगा अपितु हमें लोगों को प्रशिक्षित करना होगा जिस से कि वह उन वायुयानों को चला सकें । अतः इस समस्या को कई दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिये । और इस के लिये हमें अधिकांशतया अपने विशेषज्ञों पर निर्भर रहना होगा । आवश्यकता पड़ने पर हमें विदेशी विशेषज्ञों से भी परामर्श करना होगा । अतः सदन से मेरा निवेदन है कि वह रक्षा के प्रश्न पर उस विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करे जिस का आभास मैं ने दिया है ।

मेरे मित्र श्री पटनायक ने अपने भाषण में बहुत से अमूल्य सुझाव दिये हैं । उन की भांति हम भी अपनी प्रादेशिक सेना तथा राष्ट्रीय छात्र सेना को और भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं । परन्तु इस में वही व्यय का प्रश्न आ जाता है । मेरे विचार से हम उसे किसी न किसी तरह हल कर ही लेंगे । परन्तु कठिनाई यह है कि हम अभी भी पुरानी अतिव्ययी ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार ही विचार करते हैं और यहीं हमारे सभी प्रयत्न ठप्प हो जाते हैं । हमें इस विचार प्रणाली को छोड़ना होगा । प्रादेशिक सेना तथा राष्ट्रीय छात्र सेना के लिये एक परामर्शदात्री समिति है और वह मेरे विचार से इन के विस्तार के सम्बन्ध में निश्चय ही कुछ सुझाव देगी । मैं तो इन के विस्तार को इसलिये और भी आवश्यक समझता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे नवयुवकों में अनुशासन की भावना आये । इस से उन का स्वास्थ्य बनेगा, वह अच्छे नागरिक बनेंगे और इस से देश की शक्ति बढ़ेगी । अतः मैं इन दोनों के विस्तार को बहुत महत्व देता हूं ।

अब मैं रक्षा मंत्रालय में हुए कथित गड़बड़ घोटालों की ओर आता हूं । एक बात बार बार वर्ष प्रति वर्ष दुहराई जाती है और वह है जीपों की गड़बड़ी । दूसरा प्रमाद खराब गोला बारूद के सम्बन्ध में है, और तीसरे का हाल अभी मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह ने बताया, वह सीलैण्ड घोटाले के सम्बन्ध में है । ऐसा मालूम होता है जैसा रक्षा मंत्रालय स्वयं ही एक बड़ा सा घोटाला बन गया है ।

सीलैंण्ड घोटाले के सम्बन्ध में मेरे कार्यबन्धु उपमंत्री ने कुछ तथ्य बताये थे, कदाचित उस से सदन का समाधान हो गया होगा । उन के बारे में अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि किस कार्य के लिये हमें उन की आवश्यकता है । वह शत्रु से युद्ध करने के तो योग्य नहीं हैं परन्तु हम में उन को प्रशिक्षण कार्यों के लिए लिया है । इन से हम अपने सैनिकों को जलयुद्ध का प्रशिक्षण देते हैं ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अब बात आती है जीप और गोला बारूद सम्बन्धी कथित घोटालों की । श्री एन्थनी ने इसे रक्षा मंत्रालय का एक 'रहस्य' बताया है । यह तथ्य है कि हम अपने जहाजों की संख्या उन की उत्तमता, सैनिकों इत्यादि के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में सूचनायें प्रकाशित नहीं करते हैं, और हम इस सूचना को प्रकाशित करेंगे भी नहीं, अन्य देश इस सूचना से लाभ उठा सकते हैं । कुछ बातों के सम्बन्ध में गोपनीयता रखनी पड़ती है और वह हम ने भी किया है ।

इस जीप घोटाले का निर्देश करते हुए मुझे यह कहना है कि यह घटना आज से कोई पांच वर्ष पहले मई १९४८ में हुई थी । पुराने इंडिया आफिस से सम्बन्ध विच्छेद करने के बाद यह हमारा सब से पहली बड़ी खरीद थी, यह हमारा प्रथम प्रयास था । ऐसी बातों को करने के लिये यहां भारत में हमारे पास कोई साधन नहीं थे । काश्मीर में लड़ाई हो रही थी, हैदराबाद में कार्यवाही की जाने को थी, हमें जीपों की अति आवश्यकता थी । हम ने तार भेजे कि कैसे भी हो जीपें खरीदी जायें । हम फंस गये, हमारा रुपया डूब गया, यह हम मानते हैं । आफिस में बैठ कर टेंडर मंगाने से महीनों वर्षों लग जाते, और हमें इन की तुरन्त ही जरूरत थी । हम ने जल्दी जल्दी कुछ ठेके किये और इस जल्दी के काम में हम फंस गये । जितना हम इस जाल से निकलने की कोशिश करते गये उतना ही और हम फंसते गये, यहां तक कि हम गले तक डूब गये । हम से गलती हुई थी यह हम मानते हैं, पर इस में घोटाला या बदमाशी जैसी कोई बात नहीं थी । गलतियां होती ही रहती ह । गत वर्ष पूरी जांच करने के बाद तत्काली रक्षा मंत्री श्री गोपालस्वामी आयंगर ने एक वक्तव्य दिया था, अतः सदन से मेरी प्रार्थना है कि वह सब परिस्थितियों पर ध्यान दे कर ही आलोचना करे और बिना अपराध हमें अपराधी न ठहराये ।

मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि रक्षा मंत्रालय ने जो कुछ भी किया है उस में एक दम गलतियां हुई ही नहीं हैं, परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं है, कि जो कुछ किया गया है उस से अधिक उत्तम कार्य किया जा सकता था । यह तथ्य है । अन्त में मेरा निवेदन यह है कि रक्षा मंत्रालय ने जो कुछ किया है वह देश के लिये बहुत लाभदायक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेश पत्र के स्तंभ ३ में उल्लिखित मांग संख्या ११, १२, १३, १४, १५, १६ और ११४ के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिये उक्त आदेश-पत्र के स्तम्भ दो में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां राष्ट्रपति को दीजायें ।"

जो मांगें सदन द्वारा स्वीकृत की गई वह इस प्रकार हैं : —

	रुपये
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय	२३,९२,०००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना	१,५०,०६,७०,०००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	१०,३७,५६,०००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुसेना	२३,६४,३०,०००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय	१४,३६,३१,०००
मांग संख्या १६—रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर व्यय	४,५८,०००
मांग संख्या ११४—रक्षा सम्बन्धी पूंजी व्यय	१६,५०,००,०००

डा० एस० एन० सिन्हा : श्रीमान्, मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि साम्यवादी दल के एक सदस्य ने हमारी सेना को असभ्य तथा क्रूर बताया है। यह असंसदीय भाषा है अतः इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये ।

अनुपूरक अनुदानों की मागें—पैप्सू

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पैप्सू से सम्बन्ध रखने वाली अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेंगे । इनपर दो घंटे तक चर्चा होगी और फिर मुखबन्द लगाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री के भाषण के बाद इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है । यदि माननीय सदस्य आग्रह करते हैं तो मैं कार्यवाही को पढ़ कर सदन को अपने निर्णय से सूचित कर दूंगा । और तभी अनुपूरक मांग सदन के समक्ष रख दी जायेंगी । उस के बाद पैप्सू सम्बन्धी लेखा अनुदानों की मांगें ली जायेंगी और सात बजे उन को मतदान के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । अब मैं मांगों को प्रस्तुत करता हूं :—

	रुपये
मांग संख्या १—भूमि राजस्व	२,५८,०००
मांग संख्या ७—अन्य कर तथा शुल्क	९८,९००
मांग संख्या ११—विधान मंडलों के चुनाव	२,०६,०००
मांग संख्या १४—वित्त विभाग	६१,०००
मांग संख्या १५—राजस्व विभाग	२५,३००
मांग संख्या १७—कृषि तथा वन विभाग	१०,२००
मांग संख्या २०—विधि तथा स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	७,९००
मांग संख्या २२—ज़िला प्रशासन	२०,४००
मांग संख्या २४—न्याय व्यवस्था	४२,५००
मांग संख्या २७—शिक्षा	१००
मांग संख्या २९—लोक स्वास्थ्य	१००
मांग संख्या ३०—कृषि	१,८४,२००
मांग संख्या ३१—पशु चिकित्सा	१००
मांग संख्या ३३—उद्योग तथा रसद	७९,७००
मांग संख्या ३४—फुटकर विभाग	१,०७,८००
मांग संख्या ३६—असैनिक निर्माण कार्य	४,४८,९००
मांग संख्या ३८—विद्युत योजनाओं पर पूंजी व्यय (राजस्व लेखे के अन्दर)	३१,९००

[उपाध्यक्ष महोदय]

	रुपये
मांग संख्या ४०—आयुवार्द्धक्य भत्ते तथा निवृत्तिवेतन	२,०५,०००
मांग संख्या ४१—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	३,२२,७००
मांग संख्या ४२—विविध	१७,३८,४००
मांग संख्या ४३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२००
मांग संख्या ४३क—सामूहिक विकास परियोजनायें	४,२६,४००
मांग संख्या ४३ख—औद्योगिक विकास पर पूंजी व्यय	३,००,०००
मांग संख्या ४४—सिंचाई, नौ परिवहन, बांध तथा जल निकास कार्यों के पूंजी लेखे (राजस्व लेखों से बाहर)	१००
मांग संख्या ४४क—बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं—भाखड़ा-नांगल परियोजना पर पूंजी व्यय	२८,६१,६००
मांग संख्या ४७—राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	१००
मांग संख्या ४८—ब्याज रहित तथा ब्याज सहित पेशगियां	१६,७२,५००

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यों ने अपने वे कटौती प्रस्ताव, जिन्हें कि वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, संसद् सचिव को दे दिये हैं? पेप्सू से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा होगी और जो माननीय सदस्य उन पर कटौती प्रस्ताव रखना चाहें उन्हें संसद् सचिव के पास भेज दें। अब सरदार हुक्म सिंह अपना भाषण आरम्भ करेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : उस राज्य की विधान सभा के समक्ष यह पहिला आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया था जिस की अनुपूरक मांगें हमारे सामने यहां प्रस्तुत हैं। पेप्सू संघ की स्थापना जुलाई १९४८ में हुई थी, किन्तु वहां कोई विधान सभा उस समय नहीं थी। पहिली काम चलाऊ सरकार २० अगस्त १९४८ को बनी जिस में पेप्सू सरकार के कुछ अधिकारी थे और उस के बाद एक मंत्रिमण्डल बना। २३ मई, १९५१ को कांग्रेस की लोक प्रिय सरकार बनी जिस के प्रधान कर्नल रघुवीर सिंह थे जो कि एक महीने पहिले नगर-पालिका के चुनाव में हार गये थे। इस से शायद उन की और सरकार की लोकप्रियता और बढ़ गई होगी। इस कांग्रेस सरकार का मार्च १९५२ तक शासन रहा। ये अनुपूरक मांगें हमारे सामने इस कारण प्रस्तुत हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने यह समझा कि वहां प्रशासन सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा था और वहां शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी और सरकार में अस्थिरता थी। अतः यह करना आवश्यक समझा गया और राष्ट्रपति ने सब शक्ति अपने हाथ में लेना ठीक समझा। जहां तक शान्ति तथा व्यवस्था का सम्बन्ध है मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि मेरी बात को गलत बताया जाय। कांग्रेस शासन तथा यूनाइटेड फ्रंट पार्टी के शासन में वहां जो कुछ हुआ यदि उस के आंकड़ों की तुलना की जाय तो हमें पता लगेगा कि अपराधों की संख्या ५० प्रतिशत कम हो गई। मैं एक विशेष महीने अर्थात् फरवरी १९५२ तथा फरवरी १९५३ के आंकड़ों को लेता हूं। १९५२ में कांग्रेस का शासन था और १९५३ में यूनाइटेड पार्टी का शासन था जब कि राष्ट्रपति ने यह समझा कि पेप्सू में कानून तथा व्यवस्था की हालत खराब हो रही है और सब प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। १९५२ में ४१ कत्ल हुए और १९५३ में २१ कत्ल हुए; १९५२ में

१० डकैतियां हुईं जब कि १९५३ में ५ । १९५२ में १३७ चोरियां हुईं और १९५३ में ९९ हुईं; १९५२ में लूट मार के ३५ मामले हुए और १९५३ में १२ हुए।

यह कहा जाता है कि आठ ज़िलों में से तीन में साम्यवादी दल ने एक समान सरकार स्थापित कर रखी थी। यह सत्य है कि जहां भटिंडा, संगरूर तथा पटियाला मिलते हैं वहां एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसान सभायें स्थापित की गई हैं। किन्तु उन्हों ने वहां कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है। माननीय गृह मंत्री ने उस स्थान के बारे में बताया कि वह लोगों में एक प्रकार का समझौता सा था और एक मामले में वहां गवाह न्यायालयों में जाने के लिये तय्यार नहीं थे। इस मामले से यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि लोग वहां अपने न्यायालय चला रहे थे। यह बात बिल्कुल ग़लत है कि वहां तीन ज़िलों में एक समान सरकार स्थापित की गई है। अनुपूरक अनुदानों की चर्चा के दौरान में सम्भवतः मेरी ये बातें माननीय वित्त मंत्री को कुछ अजीब सी लग रही हैं। यदि वह चाहते हैं कि मैं लेखानुदान के समय इन पर बोलूं तो मैं इन्हें अभी छोड़ सकता हूं।

जहां तक अनस्थिरता की बात है तो यदि इस की जांच की जाय तो इस से सभी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। पेप्सू की विधान सभा की संख्या ६० है। कांग्रेस को वहां सब से बड़ा बहुसंख्यक दल मान कर जब उस से मंत्रिमण्डल बनाने के लिये कहा गया उस समय ६० में से २६ कांग्रेस के सदस्य थे। कार्य भार संभालने पर उस दल ने आय-व्ययक स्वीकृत करने के लिये विधान सभा की कोई बैठक नहीं बुलाई। एक विशेष उपबन्ध किया गया और एक अध्यादेश द्वारा दो महीने का आयव्ययक स्वीकृत कर दिया गया। उन्हों ने विधान सभा की बैठक एक दिन भी नहीं बुलाई। ऐसा इसलिये किया गया कि वह दल इतने समय में अपनी संख्या तथा शक्ति बढ़ा सके। अकाली जन संघ तथा अन्य दलों को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये गये। इन के सदस्यों को महाराजा फरीदकोट के हवाई जहाज़ में बैठा कर दिल्ली लाया गया जहां उन्हें प्रलोभन दिये गये। अन्य दल के सदस्यों को कांग्रेस दल में सम्मिलित करने के सब प्रकार के प्रयत्न किये गये। उस समय जन संघ के एक सदस्य को उपमंत्री बनाया गया। श्री अग्रवाल ने कहा कि वे लोग मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं बनाये गये थे। किन्तु मैं यह बता दूं कि उन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया था जिस से उन के दल की संख्या बढ़ सके। ऐसे लोग लगभग दो महीने तक मंत्रिमण्डल में रहे। किन्तु कांग्रेस दल की संख्या बढ़ नहीं सकी और उस का मंत्रिमंडल समाप्त हो गया।

जब ६० में से नहीं ५० में से २६ सदस्य थे और दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा था और यह निश्चित था तथा सब यह जानते थे कि इस संख्या में दो की वृद्धि और हो गई थी उस समय यह घोषणा की गई और विधान सभा भंग कर दी गई। यह भी निश्चित था कि लेहरागागा में जिन दो स्थानों के लिये १४ या १५ दिन में निर्वाचन होने वाला था उन से यूनाइटेड फ्रंट की संख्या में वृद्धि हो जाती। उप मुख्य मंत्री श्री बृषभान, जो कांग्रेस के स्तम्भ थे, इस चुनाव में नहीं खड़े हुए। अस्थिरता के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि यूनाइटेड फ्रंट पार्टी उस समय अत्यधिक शक्तिशाली थी जब कि यह घोषणा की गई थी। इस दल की संख्या अन्य दल के सदस्यों की संख्या से ९ अधिक थी जो आधिक्य मैं समझता हूं कि राजस्थान और उड़ीसा के बहुसंख्यक दलों की संख्या में नहीं रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रसंगानुकूल है यह अनुपूरक मांगें हैं।

सरदार हुक्म सिंह : किन्तु वहां आय-व्ययक पर कभी चर्चा नहीं हुई। चूंकि यह आय व्ययक संसद् के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था अतः हमें इस की चर्चा करने का अवसर नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : एक संकल्प पहिले पारित किया गया था। उस समय माननीय सदस्यों को इस पर चर्चा करने का अवसर मिला था और इस पूरे मामले पर चर्चा की गई थी : कि राष्ट्रपति को यह कार्यवाही करनी चाहिये थी या नहीं। आयव्ययक तो पहिले ही पारित कर दिया गया है। माननीय सदस्य इस का कहीं कहीं निर्देश कर सकते हैं। किन्तु इसे यहां चर्चा का मुख्य विषय बना लिया गया है। मैं उन की इस बात से सहमत नहीं हूं। पेप्सू के सदस्य इस विषय में कुछ बातें बतायेंगे। माननीय सदस्य को ई बातें कहनी चाहियें।

सरदार हुक्म सिंह : कभी कभी किसी विषय की पृष्ट भूमि उस विषय का आधार होती है और उसे कहना पड़ता है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : ये महत्वपूर्ण बातें हैं किन्तु मैं इन सब का उत्तर नहीं दे सकता। मेरा सम्बन्ध तो अतिरिक्त धन राशि से है जिस की मैं सदन से स्वीकृति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

सरदार हुक्म सिंह : जहां तक इन अनुपूरक अनुदानों का सम्बन्ध है, मद संख्या १(ग)—बन्दोबस्त कार्य—के अन्तर्गत एक राशि है। कपूरथला तथा मालेरकोटला ज़िलों में बन्दोबस्त कार्य आरम्भ कर दिये जाने से हम से अतिरिक्त राशि मंजूर करने के लिये कहा जाता है। यहां यह भी कहा गया कि पेप्सू विधान सभा ने कुछ नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां राजस्व बहुत अधिक है तो वहां जनता के लिये क्या किया गया है। हमारे गृह मंत्री कृषि सम्बन्धी सुधार को बहुत आवश्यक समझते हैं, किन्तु इस सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया। पेप्सू के मुख्य मंत्री ने एक समिति नियुक्त की जिसने अपनी सिपारिशें प्रस्तुत कीं। अब हम से ५,००० रुपये और अधिक मंजूर करने के लिये कहा जा रहा है। ये सिपारिशें एक विधेयक के रूप में रखी गई हैं। वह विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है। योजना आयोग से विचार-विमर्श करने के बाद इस के लिये अनुमोदन दे दिया गया है। पेप्सू सरकार तथा विधान सभा के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उन्हों ने कृषि सम्बन्धी सुधार के मामले में कुछ नहीं किया। भारत सरकार ने उस विधेयक के लिये स्वीकृति दे दी है जो कि यहां प्रस्तुत कर दिया गया है और ४ मार्च को यह विधान सभा भंग कर दी गई थी। मैं नहीं समझ पाता कि उस सरकार तथा विधान सभा के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। मुझे आशा है कि इस विधेयक में और अधिक सिपारिशें होंगी क्योंकि यह सरकार उन सुधारों को करने के लिये बहुत उत्सुक है।

फिर मांग संख्या ११ में हम देखते हैं कि निर्वाचन नामावलि के पुनरीक्षण के लिये अस्थायी कर्मचारियों के यात्रा के लिये अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में उल्लेख हैं। १९५२–५३ के लिये निर्वाचन नामावलि तय्यार कर ली गई हैं। उन का पुनरीक्षण हो रहा है। यह अफवाह है कि निर्वाचन नामावलि फिर से तय्यार की जा रही है जिस पर लगभग ४ लाख रुपये खर्च होंगे। चुनावों के बारे में यह कहा गया है कि अस्थायी कर्मचारियों को वेतन देना पड़ेगा और उस के लिये हम से अतिरिक्त राशि मंजूर करने के लिये कहा जा रहा है। इस क्षेत्र में

जो चुनाव हुए हैं उन के विषय में चर्चा नहीं हुई कि वे चुनाव कैसे हुए। पंजाब में जब कांग्रेस दल ने देखा विधान सभा में उस के सदस्य पर्याप्त संख्या में नहीं आ सकते तो वहां उसे भंग कर के राज्यपाल का शासन चला दिया गया। मई, १९५१ में चुनाव होने से पूर्व पेप्सू में कांग्रेस ने एक मंत्रिमंडल बनाया जिसे लोकप्रिय मंत्रिमंडल कहा गया जिस से कि वह उस चुनाव में विजयी हो सके। केवल पेप्सू मंत्रिमण्डल के अन्तर्गत ही उप-चुनाव किये जाने थे। डा० काटजू के वक्तव्य के अनुसार कांग्रेस दल के शासन में ही ये चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकते हैं। अत: कांग्रेस दल यह चाहता है कि कांग्रेस के हाथ में ही सत्ता रहे जिस से कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकें।

यह कहा जाता है कि जैसे ही परिसीमन आयोग अपना कार्य समाप्त कर देगा पेप्सू में चुनाव किये जायेंगे। किन्तु यह आयोग पेप्सू में काम न कर के बम्बई चला गया। यदि कांग्रेस सचमुच यह चाहती है कि पेप्सू में चुनाव निष्पक्ष रूप से और शीघ्र हों तो इस बात से उस के झूठ का पता लगता है। आयोग को उस राज्य में पहिले कार्य करना चाहिये था जहां यह स्थिति पैदा हो गई है। सरकार को इस सम्बन्ध में एक निश्चित घोषणा करनी चाहिये कि पेप्सू में इतने समय में चुनाव हो जायेंगे। परिसीमन आयोग बम्बई में काम कर रहा है इस से सरकार के इरादों की वास्तविकता का पता लगता है।

परामर्शदाता वहां पर सुधार करने और सेवाओं में कार्य कुशलता लाने के लिये गये। १० तारीख को वह वहां पहुंचे और अगले ही दिन ये आदेश जारी किये कि चार वरिष्ट अधिकारी जरूर छुट्टी पर जायें। मुझे आश्चर्य है कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी कार्यकुशल और योग्य क्यों न हो, उसे १२ घंटे में ही यह कैसे पता लग गया कि वे अधिकारी भ्रष्ट तथा अकार्यकुशल थे। वे अधिकारी छुट्टी पर जाना नहीं चाहते थे। यदि वे अयोग्य थे तो उन पर आरोप लगा कर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता। हम भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं चाहते। इस में हम माननीय मंत्री को सहयोग देंगे। किन्तु सन्देह तो यह पैदा हो गया है कि परामर्शदाता को या तो यहां से अनुदेश मिले होंगे या उसे वहां कांग्रेस के आदमियों ने ऐसा कहा होगा। फिर बहुत से अधिकारियों के तबादले किये गये। किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि जितने व्यक्तियों के विरुद्ध ये कार्यवाहियां की गई हैं वे सब सिक्ख हैं। मुझ इस बात का भय नहीं कि मुझे सम्प्रदायवादी कहा जायगा, किन्तु वास्तविकता यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि इन सब अधिकारियों के तबादले करने से पूर्व परामर्शदाता ने इन के सम्बन्ध में सब बातों को जान लिया। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह एक अधिकारी के मामले का पता लगायें। उस अधिकारी के विरुद्ध बहुत प्रकार की बहुत सी शिकायतें थीं। उस अधिकारी को पदोन्नति दे दी गई है और उसे एक ज़िले का शासन भार सौंप दिया गया है, जब कि अन्य अधिकारियों की पद अवनति की गई तथा उन के तबादले किये गये और इसी प्रकार की अन्य कार्यवाही की गई। मैं यह बात सदस्यों पर छोड़ता हूं कि वह यह देखें कि इस से सेवाओं में कार्य कुशलता आयेगी या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुन्नूस के नाम से एक कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कटौती प्रस्ताव संख्या १ नियमानुकूल है। कटौती प्रस्ताव संख्या २ और ३ अनियमानुकूल हैं। इस में मांग संख्या १५ का सम्बन्ध देय वेतन की शेष राशि से है।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : उस में क्या कठिनाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नीति विषयक मामला है। माननीय सदस्य बहुत से कार्यों को करने के लिये एक अधिकारी को नियुक्त करने के प्रश्न को उठाना चाहते हैं। पेप्सू विधान सभा ने इस नियुक्ति की स्वीकृति दे दी थी। अतः हमें किसी व्यक्ति को 'राजस्व आयुक्त' मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा दावा अधिकारी के रूप में कार्य करने से सम्बन्धित प्रश्न को नहीं लेना चाहिये। यहां तो केवल इतनी बात है कि वेतन की शेष राशि देने में कोई आपत्ति है या नहीं अथवा यदि इसी बीच उसे बर्खास्त कर दिया जाय तो उसे वेतन की शेष राशि दी जाय या नहीं, अथवा इसी प्रकार की अन्य बात उठाई जा सकती है या नहीं। अतः कटौती प्रस्ताव संख्या दो से नीति विषयक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो यहां उत्पन्न नहीं होता। इसलिये मैं उस की अनुमति नहीं दूंगा। मांग २० से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव संख्या ३ से विधि विभाग के सचिव को दिये जाने वाले अधिक वेतन का प्रश्न उठता है। यह कटौती प्रस्ताव भी अनियमानुकूल है। मांग संख्या ३० तथा ३३ से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव संख्या ४ तथा ५ के लिये मैं अनुमति देता हूं। मुझे डा० जयसूर्य के कटौती प्रस्ताव की अभी पूर्व सूचना मिली है।

चौबीस अस्थायी क्लर्कों को दिये जाने वाला कम वेतन

श्री पुन्नूस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'विधान मंडलों के लिये निर्वाचन' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

टिड्डी नियंत्रण कार्यों पर व्यय की गयी अधिक राशि

श्री पुन्नूस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'कृषि' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

पटियाला की औद्योगिक प्रदर्शनी पर व्यय किया गया अत्यधिक धन

श्री पुन्नूस : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'उद्योग तथा रसद' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

इस के बाद कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री बहादुर सिंह (फ़ीरोज़पुर-लुधियाना-रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान जी, मैं पेप्सू की सामान्य स्थिति तथा राष्ट्रपति की घोषणा पर बोलना चाहता था किन्तु उस पर आप बोलने की अनुमति नहीं देते। यदि आप अनुमति दें तो मैं अनुदानों के लिये मांगों पर बोलते हुए पेप्सू की सामान्य स्थिति का निर्देश कर दूं। आप ने कहा कि सदस्यों को अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों पर बोलना चाहिये। मैं पेप्सू की स्थिति पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों पर बोलते समय वह इस विशेष विषय पर बोल सकते हैं या नहीं ? आप इस पर नहीं बोल सकते। अब मैं श्री पुन्नूस से बोलने के लिये कहूंगा।

श्री वैलायुधन : श्रीमान जी, वह बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : और सदस्य उन की ओर से क्यों बोलते हैं ? वह इस विषय पर नहीं बोलना चाहते। अतः जब विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जायगा तब वह बोल सकते हैं।

श्री बहादुर सिंह : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस विषय पर ही कुछ बोलना चाहता हूं और कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने विचार जल्दी जल्दी कैसे बदल सकता हूं। आप बोल सकते हैं।

श्री बहादुर सिंह : सभापति जी, अभी जिस दिन पेप्सू में प्रेसीडेंट रूल के बारे में सुनाया गया था उस मौके पर होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पेप्सू की जो गवर्नमेंट है वह प्रैक्टिक्ली कुछ नहीं कर रही है और यह गवर्नमेंट जितने अर्से वहां पावर में रही उस ने वहां कोई लेजिस्लेशन अथवा बिल पास नहीं किया। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है और यूनाइटेड फ्रन्ट पार्टी की सरकार ने पेप्सू में बहुत कुछ किया है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

पैप्सू में शेडयूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास से जो दो डिप्टी मिनिस्टर लिये गये थे उन को फुल फलेज्ड मिनिस्टरशिप अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन जब यूनाइटेड फ्रंट मिनिस्ट्री बनी तो उस ने एक फुल फलेज्ड मिनिस्टर बैकवर्ड क्लासेज से लिया। इस के अलावा उस गवर्नमेंट ने शेडयूल्ड कास्ट के जो बहुत से लोग गांवों में रहते हैं रूरल इलाके में रहते हैं, उन के लिये तकरीबन ६०० स्कूल शुरू किये जिस से कि उन में तालीम बढ़ायी जा सके। इस के अलावा उन को और बहुत सी सहूलियतें दी गयी हैं, फीस माफ की गयी है और स्कालरशिप्स भी दिये गये हैं और हायर क्लासेज़ के लिय भी उन को काफी सहूलियतें दी गयी हैं। इतने पर भी हमारे होम मिनिस्टर साहब उस दिन फरमा रहे थे कि पेप्सू गवर्नमेंट ने जो तकरीबन आठ या नौ महीने पावर में रही है, कोई काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि उन का यह चार्ज बिल्कुल गलत है और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो इतने रिस्पेक्टेबुल आदमी हैं, इस तरह की गलत-बयानी बहुत ही अफसोसनाक है।

श्री पन्नूस : मैं इसी विषय पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। हम यह बात नहीं भूल सकते कि मूल मांग इस सदन ने स्वीकार नहीं की थीं। और पूरे आय व्ययक के सिद्धान्त पर चर्चा नहीं की गयी थी। अतः अनुपूरक मांगों पर बोलते समय हमें पूरे विषय का ध्यान रख कर बोलना पड़ता है; हम उस के केवल एक भाग पर ही नहीं बोलते। मैं ने कटौती प्रस्ताव यह बताने के लिये प्रस्तुत किये हैं कि पेप्सू में किस बुरी तरह से काम किया गया है। वहां संविधान भंग कर दिया गया है और राष्ट्रपति ने वहां का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है। आज हम से उन मांगों को स्वीकृति देने के लिये कहा जा रहा है जिन का सम्बन्ध उस प्रशासन से है जो वहां गत कुछ महीनों में था। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि वहां शान्ति तथा व्यवस्था की दशा इतनी बिगड़ गई थी कि किसी मंत्रिमंडल का कार्य करना असम्भव था जिस के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को वहां का शासन भार अपने हाथ में लेना पड़ा। किन्तु इन अनुपूरक मांगों से यह स्पष्ट है कि ये राशियां उन्हीं कार्यालयों और अधिकारियों के लिये मांगी जा रही हैं जिन्हों ने वहां के प्रशासन कार्य को इतने बुरे तरीके से चलाया। २ लाख रुपये के लगभग विधान मण्डलों के चुनाव के लिये मांगे जा रहे हैं। किन्तु वहां सब से ज्यादा चुनाव याचिकायें प्राप्त हुई हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वह पेप्सू के गत चुनावों की जांच करे। पेप्सू में यह सभी जानते हैं कि राजप्रमुख तथा दो परस्पर विरोधी दलों ने नाम-निर्देशन पत्रों के सम्बन्ध में खूब गड़बड़ी मचाई। मैं तो यह कहूंगा कि यह मांग पेप्सू प्रशासन की अनियमितता को दबाने के लिये है।

विधि अधिकारी के सम्बन्ध में एक और मांग है। जब वहां शान्ति तथा व्यवस्था की दशा इतनी बिगड़ चुकी है तो फिर इस अतिरिक्त व्यय की मांग क्यों की जा रही है? वहां डकैतियां होती हैं और दूसरे प्रकार के अपराध होते हैं जब कि पुलिस तथा अन्य अधिकारी भी वहां हैं।

[श्री पुन्नूस]

राजप्रमुख के लिये २४,६६६ रुपये की मांग भी प्रस्तुत है। राजप्रमुख के रूप में उन्हें ५ लाख रुपय मिलते हैं और महाराजा पटियाला के रूप में ५ लाख रुपये के लगभग मिलते हैं। उन्हें कुल मिला कर १७ लाख रुपये मिलते हैं। यह राजप्रमुख राजनैतिक तथा गैर राजनैतिक सभी प्रकार के कार्यों में भाग लेते हैं। खैर, यह कुछ भी हो, मेरी आपत्ति तो इस अतिरिक्त राशि की स्वीकृति देने पर है। राजप्रमुख के कार्यों की जांच की जानी चाहिये। पेप्सू म संविधान को भंग करने की अपेक्षा इस पद को ही खत्म कर देना चाहिये। मैं इन मांगों के विरुद्ध बोल रहा हूं। गत निर्वाचनों के बारे में भी जांच की जानी चाहिये। जिस से कि आगामी निर्वाचन निष्पक्ष रूप से हो सकें और जिस से राजप्रमुख और बिस्वेदार इस प्रकार की गड़बड़ी न कर सकें।

श्री वैलायुधन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि सम्बन्धी सुधार विधेयक, जिस पर राष्ट्रपति न अपनी स्वीकृति दे दी है, कानून बन जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में यह प्रश्न प्रसंगानुकूल नहीं है।

श्री चिनारिया (महेन्द्रगढ़) : सभापति महोदय, आज हमारे सामने पेप्सू की सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स हैं। इस की पालिसी और जो कुछ हुआ उस पर आज बहस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सरदार हुक्म सिंह ने कई एक सवालात इस के मुताल्लिक छेड़ दिये हैं। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं चाहता हूं कि मैं हर एक का जवाब दूं। लेकिन एक बात में यह कह देना चाहता हूं कि ये सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स यहां इस जगह पर आये यही एक बात इस बात का सबूत है कि वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। एक असेम्बली वहां फंक्शन कर रही थी। वहां अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर में उस का इजलास होता है। उस वक्त ये सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स तैयार थीं; मैं भी उन दिनों वहां चला गया था और जिक्र किया कि वहां सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स रक्खी जायें; लेकिन नहीं रक्खी गईं। अगर वह इतनी मजबूत थी, अगर उन में इतनी हिम्मत थी तो आज यहां इन सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स को बेवक्त आने की क्या ज़रूरत थी ?

मेरे दोस्त ने और भी बातें कहीं। उन्हों ने कहा कि वहां बहुत अच्छे हालात थे और वहां तो बिल्कुल स्वर्ग आ गया था। तमाम लालसनेस ठीक हो गयी थी। उन्होंने यह चीज़ फिगर्स से भी साबित करने की कोशिश की है कि ये फिगर्स पहले थे और ये फिगर्स आज हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन फिगर्स का लिखना किस के हाथों में था। यह तो पुलिस वालों के ही हाथों में था जिस को चाहा रजिस्टर किया जिस को चाहा रजिस्टर न किया। सिर्फ इतनी बात थी कि कत्ल की वारदातें कम हुई। वह ऐसी चीज़ थी जो छिपायी नहीं जा सकती थी। लेकिन डकैतों ने यह महसूस कर लिया था कि कत्ल की वारदात इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एबडक्शन। कत्ल से क्या हाथ आता है। उन्हों ने एबडक्शन करना शुरू किया। किसी का लड़का उठा कर ले गये और किसी की लड़की उठाकर ले गये और न उन लोगों से दस-दस पन्द्रह हजार रुपये मांगे, वक्त मुकर्रर किया और पुलिस की आंखों के सामने रुपये ले लेकर चले गये। यह हालात थे वहां ला एण्ड आर्डर के और सरदार साहब कहते हैं कि ला एण्ड आर्डर ठीक हो रहा था। कांग्रेस गवर्नमेंट तो वहां सिर्फ दो तीन महीने रही। उस से पहले अगर कोई कहे कि हिन्द सरकार ने कांग्रेस के साथ रियायत की तो मैं कहूंगा

कि यह गलतबयानी है । हिन्द सरकार ने तो कभी यह ख्याल ही नहीं किया कि कौन पार्टी कहां रहती है और क्या करती है । आजादी मिलने के बाद सब से पहला काम हिन्द सरकार ने यह किया कि बिला पार्टी के लिहाज के राड़ेवाला को चीफ मिनिस्टर बना दिया ।

सरदार हुक्म सिंह : वह तो कांग्रेसी ही था ।

श्री विनारिया : मैं बताता हूं कि वह क्या था । जिस तरह से कि जहांगीर को नूरजहां की एक अदा भा गयी थी उसी तरह से राजप्रमुख की एक अदा सरदार पटेल को भा गयी थी । वह वही चीज़ थी । दुनिया हमेशा चढ़ते सूरज का साथ देती है । वरना उन का रिकार्ड देखिये कि उन्हों ने . . . . . .

सरदार लाल सिंह (फीरोज़पुर-लुधियाना) : श्रीमान् जी, क्या यह प्रसंगानुकूल है ?

सभापति महोदय : आप की बात पर तो मैं उन से यह कहने वाला था कि वह इन बातों पर न बोलें । माननीय सदस्य अपनी बात सरदार हुक्म सिंह की टिप्पणियों तक ही सीमित रखें । इन के अतिरिक्त और बातें प्रसंगानुकूल नहीं हैं ।

श्री विनारिया : खैर मैं राजप्रमुख की हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह ज़रूर कहता हूं कि वहां इस तमाम खराबी की जड़ राजप्रमुख ही है । कौन चाहता है कि यह सप्लीमेन्टरी डिमांड्स वहां आवें । हम तो यही चाहते हैं कि उसी जगह की असेम्बली करती । लेकिन गैरमामूली हालात पैदा हो गये और इसलिये यहां पर डिसकशन हो रहा है । इसलिये मैं यह कहने में बिल्कुल हक बजानिब हूं कि जो कुछ यह डिमांड्स वगैरह यहां आयी हैं उस में सब से ज्यादा जिम्मेदारी राजप्रमुख की है । हिन्द सरकार तो यही देखती रही कि किसी तरह से काम चलता जाय । उन्हों ने कांग्रस को तो पीछे रखा और राड़ेवाला को चीफ मिनिस्टर बनाया, एक दफा नहीं, तीन चार दफा । इसी रियायत का यह नतीजा है कि यह सप्लीमेंटरी डिमांड और बजट सब कुछ यहां सेंटर में लाने पड़े ।

लोग कहते हैं कि कांग्रेस को खुशी है । मैं कांग्रसमैन हूं । मुझे इस बात की कतई खुशी नहीं कि वहां डेमोक्रेसी फेल हुई । मैं कहता हूं कि इस से कांग्रेसमैन को खुशी नहीं है हिन्द सरकार को भी खुशी नहीं है । कौन चाहता है बार बार इलेक्शन लड़ना, कौन चाहता है कि हमने जो कांस्टीट्यूशन इतनी दिक्कत से बनाया है वह फेल हो, न सरदार साहब को खुशी है, न हम को खुशी है और न किसी और को खुशी है । वहां ऐसे हालात हो गये कि यह चीज़ सामने आयी ।

सरदार साहब ने कांग्रेस पर यह इलजाम लगाया कि उन्हों ने दूसरों को खरीदने की कोशिश की और उन को ओहदे दिये । लेकिन बरअक्स इस के जो पांच छः शख्स आये थे उन में से सिर्फ एक को मैरिट्स पर डिप्टी मिनिस्टर बनाया था जिस को कि यूनाइटेड फ्रंट ने स्पीकर बनाया । अगर वह शख्स डिप्टी मिनिस्ट्री के काबिल नहीं था तो वह स्पीकरी के काबिल कैसे हो सकता था । उस शख्स के अलावा जो चार पांच और आये थे उन को कुछ नहीं दिया । लेकिन यूनाइटेड फ्रंट में जो भी गया उस को ओहदा दिया गया किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया गया किसी को मिनिस्टर बनाया गया किसी को डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया । ऐसा कोई नहीं था जिस को ओहदा न दिया गया हो ?

सरदार हुक्म सिंह : कांग्रेस में आन से पहले वह शख्स क्या था ।

श्री चिनारिया : कांग्रेस ने उसूल को नहीं तोड़ा। सिर्फ एक आदमी को मैरिट्स पर डिप्टी मिनिस्टर बनाया। यह तो वह बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरदार साहब जरा अपने गरेबां में मुंह डाल कर देखें कि कौन सी बात ठीक है।

कहा जाता है कि इलेक्शन लड़न थे लेकिन स्टेबिलिटी थी। अगर स्टेबिलिटी थी तो यह सप्लीमेंटरी डिमांड्स क्यों पास नहीं कर ली ? यही नहीं बल्कि आला मिल्कयत का एक कानून पेश हुआ। उस की सात दफायें डिसकस हो चुकी थीं बाकी सात थीं और आधा घंटा वक्त भी असेम्बली के पास था। लेकिन असेम्बली को एडजर्न कर दिया गया। क्या यह स्टबिलिटी की निशानी थी कि आध घंटे और नहीं बैठ सके ? और यही नहीं सेशन जो तीन दिन और आगे चलने को था, लेकिन उस को तीन दिन पहले ही खतम कर दिया। क्या यह स्टैबिलिटी की निशानी है ? सरदार साहब इस बात पर गौर कर लें।

हां, सरदार साहब ने बताया कि जनसंघ वालों को जिन का आज इतना दमन करते हैं कांग्रेस ने अपने साथ मिला लिया था। मै आप को बताऊं कि क्या बात थी। बाद में किसी ने उसे जनसंघ का नाम दिया था। लेकिन हमारी आइ० सी० सी० के आफ़िस में उस की नामिनेशन के लिये दरखास्त मौजूद है। उस ने कांग्रेस की तरफ से एप्लाई किया। लेकिन वह इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ। जन संघ चाहे यह कहले कि वह हमारी तरफ से था या कोई दूसरा कुछ भी कहे लेकिन उस ने आज तक यह नहीं कहा कि मैं जनसंघ से खड़ा हुआ हूं। वह इन्डिपैंडेंट था। पहले वह कांग्रेस मैन था। उस ने कांग्रेस में नामिनेशन के लिये एप्लाई किया था। लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट हो कर खड़ा हुआ। फिर कांग्रेस में आ गया तो उस ने कौन सी खता की और आप कहते हैं कि जन संघ वालों को शामिल किया।

५ प० म०

वृषभान खड़ा नहीं हुआ। करनल रनबीर सिंह असेम्बली इलेक्शन में तो क्या म्युनिसपैलिटी के इलेक्शन में भी हार गया। यह तो इत्तिफाक की बात है। मैं तो खुद इस बात के हक में नहीं हूं कि करनल रनबीर सिंह जो पूरा पूरा कांग्रेसमैन कहा जाय। वह भी कांग्रेस के ऊपर लादा गया और इसी तरह से कांग्रेस कमजोर हुई कि दूसरे आदमियों को कांग्रेस पर लाद लाद कर जो असली कांग्रेस थी उस को कमज़ोर किया गया। यह महज इसलिये किया गया कि यह न दिखाई दे कि कांग्रेस के साथ रिआयत की जा रही है। वहां सवाल सिक्ख का, अकाली का, इस तरह का था। मैं कह सकता हूं कि हमारे नेताओं पर अगर इलजाम लगाया जा सकता है तो फराखदिली का इलजाम लगाया जा सकता है, तंगदिली का इलजाम नहीं लगाया जा सकता। एक तंग-दिल बाप, अगर दो लड़के लड़ जायें तो वह अपने बेटे को नहीं मारेगा, दूसरे के बेटे को मारेगा। लेकिन फराखदिल बाप अपने बेटे को मारेगा दूसरे के लड़के को नहीं मारेगा। इसी तरह से हमारे फराखदिल नेताओं ने अपने बेटे को, कांग्रेस बेटे को तो मारा लेकिन राड़ेवाला और रघुबीर सिंह और दूसरे जो भी थे, जो गैर थे, उन को थपकाया।

बाबू रामनारायण सिंह : आप गलत ही कहते हैं।

श्री चिनारिया : जो कुछ मैं कहता हूं वह फैक्ट्स पर कहता हूं चाहे वह गलत हो या सही हो। लेकिन यह नौबत अगर आई तो हमारे नेताओं की फराखदिली से आई वरना इस की नौबत नहीं आती। आज वही

राड़ेवाला जो कि प्रजा परिषद् की मूवमैंट को मजबूत करने के लिये सत्याग्रह की तैयारी करता है उसी राड़ेवाला को कांग्रेस गवर्नमेंट ने, हिन्द सरकार ने सही कांग्रेस मैन समझा। बार बार उस को चीफ मिनिस्टर बनाया, सिर्फ एक दफा नहीं बनाया। तो खैर बात यह है कि आस्तीन में सांप पालो और उस को दूध पिलावो तो ठीक है, नहीं दूध पिलावो तो डंक मारता है। तो यह डंक मारने दिया। तो यह फराखदिली का नतीजा है फराखदिली नहीं है तो क्या है लेकिन, खैर अब ये बातें कहां तक कही जायें।

इन सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के मुताल्लिक मुझे इतना ही कहना है कि यह अजीब हालात में पेश हुई है। एक अजीब हालत है। मैं तो कहता हूं कि यह पैप्सू की एक अजीब चीज है। पंडित जी ने एक दफा फ़रीदकोट में कहा था कि पैप्सू तो खांसी की गोली होती है, देखें यहां की खांसी दूर होती है या नहीं। मगर मैं तो कहता हूं कि यह एक जहर की गोली है और इस जहर को ठीक नहीं किया गया और वहीं नहीं रोक दिया गया तो यह तमाम मुल्क में फैल जावेगा। वहां और भी बहुत से आपरेशन की जरूरत है। जिस ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये यह रुपया मंजूर किया जा रहा है उस एडमिनिस्ट्रेशन की यह हालत है कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक आप की फाइल पहुंचाने के लिये आप को पैसा देना पड़ेगा।

बाबू रामनारायण सिंह : वही बात है।

श्री चिनारिया : आप की फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक, एक क्लर्क से दूसरे क्लर्क तक, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक, बगैर पैसा लिये नहीं जा सकती। यहां तक हालत है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो क्लर्क आप की फाइल आप के सामने फाड़ कर फैंक देगा। रिश्वत की यह हालत है। इनएफीशिऐंसी यह है कि खुद मुलाजिम जिन को रिटायर हुए चार चार साल हो गये, आज तक उन के पैंशन के कागज नहीं बने। स्कूलमास्टर्स को जिन को एक पैसा भी कहीं और जगह से नहीं आ सकता, तीन तीन चार चार और छः छः महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलतीं। फिर सरदार साहब कहते हैं कि स्टेबुल गवर्नमेंट थी; बहुत अच्छा सारी चीजें ठीक थीं। लेकिन उन से पूछिए कि वहां हालत क्या थी। मैं ने पहले भी पूछा था कि मालदार की तो क्या एक किसान की भी हिम्मत नहीं थी कि घर से बाहर चला जाय। वहां इस तरह की हालत थी कि संगरूर और पटियाला के दरमियान एक मेजर अपनी जीप कार में जा रहा था। उस की औरत उस के साथ थी। रास्ते में एक लक्कड़ डाल कर उस की गाड़ी रोक ली गई और उसे एक गोली मारी गई। वह गोली उस की रान में लगी। उस की औरत को बाहर लाया गया और उस के साथ न मालूम क्या क्या बुरा सलूक किया गया। यह हालत वहां थी।

सरदार हुक्म सिंह : उस ने रिवाल्वर नीचे छिपा लिया।

श्री चिनारिया : यह उस की बहादुरी या मरदानगी पर मुनहसिर था कि उस ने छिपा लिया या क्या किया। लेकिन मुझे यह बात बतानी है कि एक फौजी आदमी के साथ तक यह हालत थी। और अगर छिपा भी लिया था तो मैं आप को बताऊं कि वह रामचन्द काक का बेटा था जिसने काश्मीर में नाम कमाया।

सरदार हुक्म सिंह : पंडित ही था।

श्री चिनारिया : खैर, पंडित हो या कोई भी हो। तो यह सप्लीमैंटरी यहां न आवे तो कहां आवे। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जरूरत ही नहीं है पैप्सू की। हिन्द सरकार और स्टेट सरकारें भी कनसालिडेशन के लिये

[श्री चिनारिया]

बड़ी बड़ी स्कीमें बनाती हैं। लेकिन अपने घर की भी तो कनसालिडेशन कर लेनी चाहिये पैप्सू की हालत क्या है। हकीक़त यह है कि ३५ लाख वहां की आबादी है और १० हजार मुरब्बा मील उस का रक़बा है जिस के अन्दर आठ ज़िले हैं। तो इस तरह आठ ज़िलों में तीन तीन लाख, बल्कि दो दो लाख की ही और ज्यादा से ज्यादा पांच पांच लाख की आबादी है। क्या ऐसा सारे हिन्दुस्तान में कहीं और है? तो मैं कैसे कहूं कि इस को रखा जाय। मुझे समर्थन तो खैर करना है ही, लेकिन मैं कैसे कहूं कि उस छोटी सी जगह में आठ ज़िले बना कर आठ डी० सी० मुकर्रर कर दिये जायं और उन का स्टाफ़ वग़ैरह। फिर राजप्रमुख अलग, १५ लाख उन के लिये एक तरफ और ५ लाख एक तरफ। छोटी सी रियासत और थोड़े से लोग और उन के ऊपर इतना भारी बोझ लाद देना कहां की अक्लमन्दी है।

खैर, अभी बजट फिर से आवेगा। उस पर पूरी तौर से सब कुछ डिसकस हो सकेगा। तो अब सप्लीमैंटरीज़ पर मैं इतना ही कह कर खत्म करता हूं।

सरदार लाल सिंह: दो सिद्धान्त सब जगह माने जाते हैं। एक तो यह है कि बहु-संख्यक दल का यह कर्तव्य है कि वह अल्प संख्यक दल को अपने अच्छे व्यवहार से अपने विश्वास में ले। अच्छे प्रशासन के लिये इस की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक): क्या अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में यह प्रसंगानुकूल है?

सभापति महोदय: माननीय सदस्य सदन के नियमों को जानते हैं। उपाध्यक्ष महोदय ने सरदार हुक्म सिंह को पिछले मौके पर न बोलने के कारण कुछ बातें कहने की अनुमति दे दी थी। आप पहिले ही यह मान चुके हैं कि आप की ये बातें वर्तमान चर्चा का विषय नहीं हैं। अतः अच्छा हो यदि आप इन बातों को अन्य अवसर पर कहें। यदि आप अनुपूरक मांगों पर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं।

सरदार लाल सिंह: चूंकि और सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं इसीलिये मुझे भी साम्प्रदायिक सद्भावना के सम्बन्ध में कुछ बातें कहनी पड़ीं। प्रजातंत्र में यह आवश्यक है कि जनता को यह दिखाया जाय कि वहां न्याय किया जा रहा है। पिछली बार मैं ने शान्ति तथा व्यवस्था से सम्बन्धित बातों तथा लगाये गये अन्य आरोपों का खण्डन किया था। मैं ने यह भी कहा था कि हमारी सरकार ने अनुच्छेद ३५२ तथा अनुच्छेद ३५६ का भी पालन करना छोड़ दिया। १९५२ तथा १९५३ के आंकड़ों की तुलना कर के यह दिखा दिया गया कि वहां शान्ति तथा व्यवस्था की हालत में बहुत अधिक सुधार हुआ।

चौ० रणबीर सिंह: क्या यह प्रासंगिक है? मैं यह कहना चाहता हूं कि अब केन्द्रीय सरकार ने पेप्सू का शासन अपने हाथ में ले लिया है अतः मुझे आशा है कि वहां इस प्रकार का प्रशासन होगा कि जिस से वहां की जनता में विश्वास की भावना पैदा होगी और साम्प्रदायिक सद्भावना पैदा होगी। सीमान्त राज्य होने से वहां साम्प्रदायिक सद्भावना की आवश्यकता है, हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, यद्यपि पेप्सू निवासी वहां एक विश्व-विद्यालय स्थापित करना चाहते थे..........

सभापति महोदय: अनुपूरक अनुदानों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई मांग नहीं है।

सरदार लाल सिंह : यह शिक्षा के सम्बन्ध में है। मैं बता सकता हूं कि वहां शिक्षा के लिये किस बात की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : जहां तक अनुपूरक अनुदानों का सम्बन्ध है यह प्रसंगानुकूल नहीं है। यदि आप को अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं अन्य बातें आप किसी अन्य मौके पर कह सकते हैं।

सरदार लाल सिंह : आयव्ययक में शिक्षा भी सम्मिलित और यह बताना सदस्यों का अधिकार है कि क्या चीज़ छोड़ दी गई है।

सभापति महोदय : सदन के समक्ष आय-व्ययक नहीं है; अनुपूरक मांगें प्रस्तुत हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे ऐसा लगता है कि अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने की अपेक्षा यहां अनुपूरक वाद विवाद हो रहा है। बहुत से सदस्यों ने अन्य बहुत सी बातें कहीं किन्तु मैं उन का उत्तर इसलिये नहीं दूंगा कि वे प्रसंगानुकूल नहीं हैं। बहुत से सदस्यों ने आय-व्ययक सम्बन्धी नीति के विषय में कहा क्यों कि वे मुख्य आय-व्ययक पर चर्चा नहीं कर सके और जिस के विषय में यह कहा जाता कि उसे पेप्सू की विधान सभा ने नियंत्रित रूप से मंजूर कर लिया था। उस अवसर पर जिन बातों की चर्चा हो चुकी है उन पर अब चर्चा करने के लिये मैं मौका नहीं दे सकता। अतः हम अनुपूरक अनुदानों तक ही सीमित रहें। पांच कटौती प्रस्तावों में से दो अनियमानुकूल ठहराये गये। किन्तु कटौती प्रस्ताव संख्या २ को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने उस कटौती प्रस्ताव के वस्तु विषय का निर्देश किया। मैं अपने उत्तर के दौरान में उस पर कुछ कहूंगा।

अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १ को लेता हूं जो पेप्सू के सचिवालय के अतिरिक्त अन्य विभागों में क्लर्कों की वेतन श्रेणियों के सम्बन्ध में है। जूनियर क्लर्कों की वेतन श्रेणियां ये हैं: ४०–२–६० रुपये तथा ६०–४–२०० रुपये। इस के अतिरिक्त उन्हें १९५१ से पूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता भी मिलता है। ये वेतन श्रेणियां पेप्सू बन जाने के बाद पहिली सितम्बर, १९४८ को मंजूर की गई थीं जो कि पंजाब से लगभग २० प्रतिशत कम है। ये वेतन श्रेणियां राज्य के विभागों तथा उच्च आयुक्त के कार्यालय में तीन महीनों के लिये नियुक्त २४ क्लर्कों के अस्थायी पदों पर लागू होती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विशेष मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया।

कटौती प्रस्ताव संख्या २ के सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि २२,००० रुपये में से ६०० रुपये राजस्व आयुक्त, के विशेष वेतन तथा भत्ते के रूप में हैं, जिन्हों ने अपने पद कार्य के अतिरिक्त मुख्य नियंत्रण अधिकारी तथा दावा अधिकारी के रूप में भी काम किया था। यह प्रबन्ध केवल उस थोड़े समय के लिये । जब तक कि वहां कोई दूसरा अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था।

यद्यपि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव में इस का कहीं उल्लेख नहीं किया है, किन्तु मैं टिड्डी दल के आक्रमण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। १९५० से टिड्डी दल पेप्सू के कई ज़िलों पर आक्रमण करता रहा है। जुलाई १९५२ से १९५२–५३ में टिड्डी दल ने कई ज़िलों में आक्रमण किया। अगस्त तथा सितम्बर १९५२ में भटिंडा, संगरूर, पटियाला तथा फतेहगढ़ साहिब ज़िलों में टिड्डी दल बहुत आये और २१६ गांवों में अण्डे दिये। सितम्बर, १९५२ में सब से अधिक टिड्डी दल आये। इस टिड्डी दल से रक्षा करने के

[श्री सी० डी० देशमुख]

लिये तथा इस पर काबू पाने के लिये कर्मचारी रखे गये और डस्टिंग पाउडर, स्प्रे पम्प तथा इन को ले जाने के लिये गाड़ियां भी खरीदनी पड़ीं। यह किसी को पता नहीं रहता कि टिड्डी दल कहां आ सकता है अतः भारत सरकार के टिड्डी नियंत्रण के संचालक के अनुदेशों के अनुसार बहुत से कर्मचारी महत्वपूर्ण स्थानों पर रखने पड़े और उस के लिये सामान भी खरीदना पड़ा। १,८३,९०० रुपये के कुल व्यय में से कर्मचारी वर्ग का व्यय तथा उन का भत्ता १०,००० रुपये था; ६१,५०० रुपये की दवाइयां खरीदी गई थीं तथा अन्य उपकरण पर ५५,००० रुपये खर्च हुए थे। शेष धन गाड़ी, दवा आदि 'विविध' मद पर खर्च किया गया था। यदि सामयिक कार्यवाही न की जाती तो टिड्डी दल फसल को बहुत हानि कर सकता था और पैप्सू के अतिरिक्त पंजाब तथा राजस्थान में भी फैल जाता।

पटियाला में की जाने वाली औद्योगिक प्रदर्शनी का सम्बन्ध मांग संख्या ३३ से है। यह प्रदर्शनी उस राज्य के उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है जिस पर कि कुल ६०,००० रुपये तक खर्च होने का अनुमान है। इस खर्च को प्रवेश शुल्क तथा दुकानों के किराये से पूरा किया जायगा। इस प्रकार इस में राज्य के १०,००० रुपये से अधिक खर्च नहीं होंगे। उपराजप्रमुख के भत्ते के विषय में भी कहा गया। यह कहा जाता है कि यह भत्ता स्वर्गीय महाराजा कपूरथला, जो कि उपराज प्रमुख थे, के युवराज को बकाया के रूप में दिया जायगा। यह सरकार की प्रथा है कि बकाया धन उस के हकदार को दिया जाय। यह बात सम्पत्ति तथा न्याय के विचारों के अनुकूल है।

ये अनुपूरक मांगें नवम्बर सत्र में रखी जा सकती थीं। किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। इसी कारण ये अब प्रस्तुत हुई हैं। सदन यह देखेगा कि ये सब उचित मांगें हैं और इन्हें स्वीकृत कर लेगा।

सभापति महोदय : अब मैं मांग संख्या ११ से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव संख्या १, मांग संख्या ३० से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव संख्या ४ तथा मांग संख्या ३३ से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव संख्या ५ को मतदान के लिये रखूंगा।

इस के पश्चात् कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं मांगों को मतदान के लिये सदन में रखूंगा। प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुपूरक मांग संख्या १, ७, ११, १४, १५, १७, २०, २२, २४, २७, २९, ३०, ३१, ३३, ३४, ३६, ३८, ४०, ४१, ४२, ४३, ४३–क, ४३–ख, ४४, ४४–क, ४७ तथा ४८ के निमित्त जो व्यय होगा उस की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ राज्य की संचित निधि में से क्रम पत्र के तृतीय स्तम्भ में दी गई राशियों तक की राशियां दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव, जो सदन द्वारा स्वीकृत किये गये, नीचे दिये जाते हैं—
सम्पादक, संसदीय प्रकाशन)

		रुपये
मांग संख्या १	भूमि राजस्व	२५८,०००
मांग संख्या ७	अन्य कर तथा शुल्क	९८,९००
मांग संख्या ११	विधान मंडलों के चुनाव	२,०६,६००

		रुपये
मांग संख्या १४	वित्त विभाग	६१,०००
मांग संख्या १५	राजस्व विभाग	२५,३००
मांग संख्या १७	कृषि तथा वन विभाग	१०,२००
मांग संख्या २०	विधि तथा स्थानीय स्वायत्त शासन	७,६००
मांग संख्या २२	ज़िला प्रशासन	२०,४००
मांग संख्या २४	न्याय व्यवस्था	४२,५००
मांग संख्या २७	शिक्षा	१००
मांग संख्या २९	लोक स्वास्थ्य	१००
मांग संख्या ३०	कृषि	१,८४,२००
मांग संख्या ३१	पशु-चिकित्सा	१००
मांग संख्या ३३	उद्योग तथा रसद	७६,७००
मांग संख्या ३४	फुटकर विभाग	१,०७,८००
मांग संख्या ३६	असैनिक निर्माण कार्य	४,४८,६००
मांग संख्या ३८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी व्यय (राजस्व लेखे के अन्दर)	३१,६००
मांग संख्या ४०	आयुवार्द्धक्य-भत्ते तथा निवृत्ति वेतन	२,०५,०००
मांग संख्या ४१	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	३,२२,७००
मांग संख्या ४२	विविध	१७,३८,४००
मांग संख्या ४३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२००
मांग संख्या ४३–क	सामूहिक विकास परियोजनायें	४,२६,४००
मांग संख्या ४३–ख	औद्योगिक विकास पर पूंजी व्यय	३,००,०००
मांग संख्या ४४	सिंचाई, नौपरिवहन, बंध तथा जल-निकास योजनाओं के पूंजी लेखे (राजस्व लेखे से बाहर)	१००
मांग संख्या ४४–क	बहुमुखी नदी परियोजनाओं पर भाखरा नांगल परियोजना पूंजी व्यय	२८,६१,६००
मांग संख्या ४७	राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	१००
मांग संख्या ४८	ब्याज रहित तथा ब्याज सहित पेशगियां	१६,७२,५००

पटियाला तथा पूर्वी पजाब रियासती संघ विनियोग विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५२–५३ के वित्तीय वर्ष के लिये पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ की संचित निधि में से कुछेक अग्रेतर राशियों के भुगतान तथा विनियोग को अधिकृत करने वाले एक विधेयक* को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : श्री सी० डी० देशमुख।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के साथ परिस्थापित किया गया।

[श्री सी० डी० देशमुख]

"कि १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष के लिये पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ की संचित निधि में से कुछेक अग्रेतर राशियों के भुगतान तथा विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

खंड २ व ३ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

लेखानुदानों के लिये मांगें—पैप्सू

			रुपये
मांग संख्या	१	भूमि राजस्व	१४,१६,०००
मांग संख्या	२	राज्य उत्पादन शुल्क	६,२४,४००
मांग संख्या	३	स्टाम्प	२१,२००
मांग संख्या	४	वन	४,७०,२००
मांग संख्या	५	पंजीयन	७,५००
मांग संख्या	६	मोटर गाड़ी अधिनियमों के सम्बन्ध में व्यय	२८,७००
मांग संख्या	७	अन्य कर तथा शुल्क	१,३१,२००
मांग संख्या	८	सिंचाई	१४,५२,६००
मांग संख्या	९	मंत्री तथा परामर्शदाता	७६,५००
मांग संख्या	१०	राज्य विधान सभा	१,१०,४००
मांग संख्या	११	विधान मंडलों के चुनाव	८४,३००
मांग संख्या	१२	मुख्य मंत्री तथा परामर्शदाता का सचिवालय	२३,४००
मांग संख्या	१३	गृह विभाग	१,७२,८००
मांग संख्या	१४	वित्त विभाग	१,१०,५००
मांग संख्या	१५	राजस्व विभाग	८३,३००
मांग संख्या	१६	शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग	३०,२००
मांग संख्या	१७	विकास विभाग	३१,८००
मांग संख्या	१८	उद्योग, रसद तथा श्रम विभाग	३९,५००
मांग संख्या	१९	पुनर्वास विभाग	५५,०००
मांग संख्या	२०	विधि तथा स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	६५,६००
मांग संख्या	२१	कमिश्नर	२२,६००
मांग संख्या	२२	ज़िला प्रशासन	६,०४,२००
मांग संख्या	२३	नागरिक प्रदाय निदेशालय	२,३५,८००
मांग संख्या	२४	न्याय व्यवस्था	४,५६,७००

		रुपये
मांग संख्या २५	जेल तथा हवालात	५,२८,०००
मांग संख्या २६	पुलिस	२९,०६,९००
मांग संख्या २७	शिक्षा	३६,७२,१००
मांग संख्या २८	चिकित्सा	११,९४,८००
मांग संख्या २९	लोक स्वास्थ्य	४,२५,६००
मांग संख्या ३०	कृषि	१२,३४,७००
मांग संख्या ३१	पशु-चिकित्सा	२,२०,९००
मांग संख्या ३२	सहकारिता	१,८५,९००
मांग संख्या ३३	उद्योग तथा रसद	६,२९,५००
मांग संख्या ३४	विविध विभाग	२,४५,७००
मांग संख्या ३५	पंजाबी विभाग	९७,१००
मांग संख्या ३६	असैनिक निर्माण	४७,८४,३००
मांग संख्या ३७	बिजली योजनायें--कार्यवाहक व्यय	१०,५७,९००
मांग संख्या ३८	बिजली योजनाओं पर पूंजी व्यय (राजस्व लेखे के अन्दर)	८७,१००
मांग संख्या ३९	देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	४,४३,४००
मांग संख्या ४०	आयुवार्द्धक्य वृत्तियां तथा निवृत्ति वेतन	५,१६,३००
मांग संख्या ४१	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	६,००,०००
मांग संख्या ४२	विविध	३,७२,४००
मांग संख्या ४३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	४,८७,१००
मांग संख्या ४४	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समन्वय	१,३००
मांग संख्या ४५	सामूहिक विकास परियोजनायें	४,२९,१००
मांग संख्या ४६	सिंचाई, नौपरिवहन, बंध तथा जल निकास सम्बन्धी निर्माण कार्य	१७,८०,३००
मांग संख्या ४७	कृषि सम्बन्धी सुधार तथा अनुसंधान की योजनाओं पर पूंजी व्यय	२२,००,०००
मांग संख्या ४८	बहुमुखी योजनाओं पर पूंजी व्यय --भाखड़ा नांगल परियोजना--	५५,३३,८००
मांग संख्या ४९	राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	४,२८,६३,३००
मांग संख्या ५०	ब्याज सहित पेशगियां	५०,०३,२००

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता था कि क्या वह आयव्ययक के बारे में कोई विचार प्रगट नहीं करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पिछले मंत्रि मंडल ने आय-व्ययक तैयार किया था और यदि किया था तो क्या वह आय-व्ययक वैसा का वैसा ही ले लिया गया है या उस में कोई अदल-बदल की गई है। हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री इस विषय पर प्रकाश डालें। इस वर्ष की तो बात ही क्या, हमें पिछले वर्ष के आय-व्ययक को देखने का मौका भी नहीं मिला था। हमें खास खास बातें बताई जानी चाहियें क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिये केवल १२ घण्टे ही दिये जा रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मुझे खेद है मेरे पास यह सूचना नहीं। मैं ने स्वयं कोई अदल बदल नहीं की है।

सभापति महोदय : मेरा सुझाव यह है कि चूंकि सारी मांगें केवल चार महीने के बारे में हैं और अन्त में सारी चीज़ सदन के समक्ष आयेगी, तो माननीय सदस्य इस पर उस समय बहस कर सकते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : गत सत्र में लेखानुदान के लिये मांगें रखते हुए भी वित्त मंत्री ने भाषण दिया था।

सभापति महोदय : जहां तक मुझे याद है, इस समय भाषण देना ज़रूरी नहीं। बाद में सारा आय-व्ययक हमारे सामने आयेगा और तब हम अदल बदल कर सकते हैं।

श्री **यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : यहां २,२६,००० रुपयों की मंत्रियों के वेतन के लिये मांग की जा रही है और वहां मंत्री एक भी नहीं है। तो क्या यह चीज़ सही है ?

सभापति महोदय : यह तो एक औपचारिक मामला है। स्पष्ट है कि जब कोई मंत्री नहीं है तो कोई वेतन भी नहीं दिया जायेगा। खैर, यदि माननीय सदस्य इस समय बहस करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : यदि बहस करने की अनुमति है तो मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

मैं जानना चाहता था कि क्या उस मंत्रिमंडल के, जो अभी हाल में हटा है, आय-व्ययक में कोई परिवर्तन किये गये थे, परन्तु यह सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं ने सारे मामले की छानबीन करने की कोशिश की है और मुझे पता लगा है कि एक मामले को छोड़ कर सारा आय-ययक वही है जो उस मंत्रिमंडल ने तैयार किया था और यह मामला पैप्सू में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये उपबन्धित राशि का है। पैप्सू के लोगों की इस अभिलाषा को राज्य मंत्रालय ने हमेशा ठुकराया है। पहले कहा गया कि पंजाब और पैप्सू के लिये एक विश्वविद्यालय होगा परन्तु हमें इस बात का डर है कि विश्वविद्यालय खोलने में पैप्सू के लोगों का जो उद्देश्य है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पैप्सू ही एक ऐसा राज्य है जहां पंजाबी को प्रादेशिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि यह बेचारी भाषा अन्य प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा ठुकराई ही जा रही है। संविधान में तो इसे उचित स्थान दे दिया गया है परन्तु व्यवहार रूप में इसकी उपेक्षा की जाती रही है। जब संविधान में प्रयुक्त शब्दों का संग्रह किया जा रहा था तो उस समिति में सारी भाषाओं के प्रतिनिधि थे; केवल यही एक भाषा थी जिसका वहां कोई प्रतिनिधि नहीं था।

फिर, पंजाब के पड़ौसी राज्य में, कुछ समय पूर्व, एक समझौता हुआ था कि इस भाषा को उचित स्थान दिया जाये। यह समझौता सच्चर सूत्र कहलाया जाता है। परन्तु खेद है कि इसे भी क्रियान्वित नहीं किया गया। पंजाबी भाषा के प्रति इस सौतेले व्यवहार से बहुत से राष्ट्रीय प्रश्न उठ खड़े हुये हैं और यह आवश्यक है कि इस मामले में वहां के लोगों की इच्छा पर उचित ध्यान दिया जाये। राज्य मंत्रालय इस विषय में पैप्सू सरकार के सुझावों को टालता रहा है। पिछले वर्ष विश्वविद्यालय खोलने के लिये पांच लाख रुपये अलग रख दिये गये थे और इस वर्ष १० लाख और जमा करने का प्रस्ताव था। परन्तु अब क़ाग़ज़ों को देखने से पता चलता है कि वह प्रस्ताव ही वहां नहीं है। मेरा निवेदन है कि यदि केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक भाषाओं को विकसित

करना चाहती है जैसा कि वह कई बार प्रगट कर चुकी है, तो उसके लिये यह देखना आवश्यक था कि आय-व्ययक में इस राशि की जो व्यवस्था की गई उसे रहने दिया जाये । मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले में देख भाल करने के लिये कहूंगा । वहां के लोगों की इच्छाओं को इस तरह ठुकराना राष्ट्रीय हित में ठीक न होगा ।

इसके अलावा, मैं माननीय मित्र श्री चिनारिया द्वारा कही गई बातों के बारे में कुछ विचार प्रगट करूंगा । उन्होंने कहा कि अनुपूरक आय-व्ययक में जिन खर्चों को उपबन्ध किया गया है उन पर विचार करने का समय आ गया है ; उन्होंने यह भी कहा कि विधान सभा को उसे नवम्बर सत्र में पारित कर देना चाहिये था । यह भी कहा गया कि विधान सभा अचानक ही स्थगित हो गई । परन्तु असल में बात यह थी कि उस समय चुनाव न्यायाधिकरण चुनाव याचिकाओं पर विचार कर रहे थे । विधान सभा ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह का समय मांगा परन्तु उसने मना कर दिया। चार न्यायाधिकरण थे जो दस बारह सदस्यों की याचिकाओं पर विचार कर रहे थे । इस हालत में विधान सभा का सत्र चलाना सम्भव नहीं था । विरोध का डर नहीं था । वह तो पहले ही दब चुका था ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि हम इस समय लेखानुदान पर बहस कर रहे हैं । इन विषयों का यहां उठाना प्रसंगानुकूल नहीं । पिछले मंत्रिमंडल ने जो कुछ किया या जो न किया, उससे यहां कोई सम्बन्ध नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं इसे यहीं छोड़ता हूं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान शासन, जो केन्द्रीय सरकार या उसके प्रशासक के हाथ में है, इस तरह चलाया जाना चाहिये जिससे लोगों को उसमें विश्वास हो । जल्दी में उठाये गये क़दम विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते । तीसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहूंगा । यहां सारे वर्ष के लिये १,००,१६,४०० रुपये की व्यवस्था है । जहां तक लेखानुदान का सम्बन्ध है, यह व्यवस्था ३६,७२,१०० की है । इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षा पर इतनी बड़ी राशि खर्च की जा रही है और इतनी ही बड़ी राशियां लोक-स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं पर जो बहुत आवश्यक हैं, व्यय की जा रही हैं । यह एक सही क़दम है और प्रशासन के लिये प्रशंसा का विषय है । सिवाय विश्वविद्यालय के मामले के, मैं समझता हूं कि आय-व्ययक में खर्चे की अन्य व्यवस्था उचित रूप से ही की गई है ।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर (अमृतसर) : सभापति जी, पैप्सू पर जब प्रधान राज क़ायम किये जाने के मुतालिक़ यहां पर बहस हुई थी उस वक्त मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर चुका था और आज मेरा कोई ख्याल बोलने का नहीं था और मैं नहीं समझता कि आज मुझे कहने की ज़रूरत पेश आयेगी । लेकिन कुछ मेम्बर साहिबान ने एक दो बातें ऐसी आज यहां पर कही हैं कि जिन को सुन कर मेरा ख्याल हुआ कि उन बातों के मुतालिक़ मुझे भी कुछ ज़रूर कहना चाहिये ।

जहां तक इस बात का ताल्लुक़ है कि सरकार हिन्द वहां पर यूनाइटेड फ्रंट पार्टी की वज़ारत को नहीं चाहती थी इस की बाबत काफ़ी कहा जा चुका है कि और कोई बात हो तो हो मगर यह बात तो बिल्कुल ही ग़लत है कि सरकार हिन्दुस्तान कांग्रेस की सरकार को ही देखना चाहती थी । कांग्रेस सरकार के अलावा किसी और सरकार को नहीं देखना चाहती थी । सरकार

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]

हिन्द का जो पिछला रवैया है उस से यह बात अच्छी तरह साबित हो जाती है कि उस की ऐसी मन्शा कभी नहीं रही । सभापति जी, आप को अच्छी तरह मालूम है कि सरकार हिन्द ने एक दफ़ा पंजाब में प्रधान रूल कर दिया था हालांकि उस वक्त वहां पर कांग्रेस की हुकूमत थी । वजह सिर्फ़ यह थी कि उस वक्त कुछ वजूहात की बिना पर कोई स्टेबल मिनिस्ट्री कांग्रेस वहां नहीं बना सकती थी । इस लिये उन्होंने कांग्रेस वजारत को तोड़ कर वहां प्रधान का राज क़ायम कर दिया था और ऐसा करने में उन का मुद्दा सिर्फ़ यही था कि एक स्टेबल चीज़ बने । तो इस लिये यह कहना कि पैप्सू में चूंकि ग़ैर कांग्रेस वज़ारत थी इस लिये उस को बरदाश्त नहीं किया गया और तोड़ा गया ठीक नहीं है और बिल्कुल ग़लत है ।

असल में पैप्सू के सिलसिले में एक बुनियादी बात है जिस की वजह से वहां कुछ गड़बड़ी रहती है । कोई भी बात ख्वाह वह कितनी ही अच्छी हो जब उसे कुछ कम्यूनल रंगत दे दी जाती है तो उस की वजह से शक़ व शकूक बढ़ जाते हैं । लोगों में बेचैनी हो जाती है और सरकारी कर्मचारी या सरकार जो इन्तज़ाम को क़ायम रखने की ज़िम्मेदार होती है उस के दिल में भी ऐसे ख्यालात पैदा हो जाते हैं ।

मेरे भाई माननीय सरदार हुक्म सिह ने अभी एक रैफ़्रेंस दी उस में अगरचे उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया लेकिन उन का इशारा मेरी ही तरफ़ था । पंजाबी ज़बान के मुताल्लिक़ यह तो मैं चाहूंगा कि पंजाबी की तरक्क़ी हो । मगर इस सिलसिले में यह कहना कि सरकार हिन्द की तरफ़ से कि पंजाबी ज़बान को इगनोर किया गया है यह बात वाक्यात के ख़िलाफ़ है और सही नहीं है । जिस वक्त बाबू राजेन्द्र प्रसाद जो अब हमारे प्रधान हैं जिस वक्त वह कान्स्टीटूएंट एसेम्बली के सदर थे उस वक्त उन्होंने एक लैंगुवेज़ एक्सपर्ट्स की सैंट्रल कमेटी बनाई थी और उस में मैं भी शरीक़ था और उसी की तरफ़ इशारा माननीय मैम्बर ने किया । इस लिये सभापति जी मैं आप की वाक़फ़ियत के लिये यह बता देना चाहता हूं कि उस एक्सपर्ट्स की कमेटी में पैप्सू का जो बड़ा कालेज है उस के प्रिंसिपल तेजा सिंह भी मैम्बर थे । उस वक्त हम ने काफ़ी कोशिश की और कई लफ्ज़ पंजाबी के हमारे माने गये और कई नहीं माने गये ।

सरदार हुक्म सिह : मैं मेम्बर साहिब को याद दिलाऊं कि मुझ से उस मोटर में जो रोपड़ जा रही थी और जिस में सेठ जी भी मौजूद थे कहा था कि हमारा एक लफ़्ज भी नहीं माना गया ।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : मेरा ख्याल है कि उस से आगे चल कर जब मैं बताऊंगा तो सरदार हुक्म सिह को भी यह बात माननी पड़ेगी कि पंजाबी के सिलसिले में किस तरीक़े से और मुनासिब ढंग से काम हुआ है । उस के बाद पंजाबी के लिये एक लोकल कमेटी बनाई गई ताकि पंजाबी में जो कान्स्टीट्यूशन बनाया जाने वाला है उस का वह तरजमा करे और उसे तैयार करे । उस कमेटी के बनाने का मतलब यह था कि जो मुश्किल मुश्किल टर्म्स हैं वह पंजाबी ज़बान में किसी तरह बरती जायें । उस लोकल कमेटी का जितना काम था यानी कान्स्टीट्यूशन का पंजाबी में तरजमा करने का सारा का सारा काम पटियाला का जो पंजाबी डिपार्टमेंट है उस के ही सुपुर्द कर दिया गया था । सारा काम जो तरजमे का था और जो टर्म्स बनाने का था और जिन को कान्स्टीट्यूशन में इन्क्लूड होना था वह सारा काम ही उन के सुपुर्द कर दिया गया और मैं ख़ुद

सेंट्रल कमेटी का मैम्बर होने की वजह से उस लोकल कमेटी का मैम्बर था और पटियाला कालेज के प्रिंसिपल तेजा सिंह के मकान पर बैठ कर और काफ़ी दिन सर्फ़ कर के वहां यह चीज़ तैयार की गई और पंजाबी के कान्स्टीट्यूशन का तरजमा किया गया जिस में वह टर्म्स बनाये गये ।

इस लिये यह कहना कि पंजाबी को सेंटर की तरफ़ से कहीं इगनोर किया जाता है या उस के लिये कोई उलट तरीक़े इख्तियार किये जाते हैं यह गलत है । दरअसल बात यह है कि वहां, कुछ राजनैतिक पार्टियां इस क़िस्म के हालात को एक्सप्लाइट करती हैं जिस से लोगों में बेचैनी बढ़ती है । चैन नहीं आता । मसलन जब पैप्सू में एलैक्शन हुये, पंजाब का मैं ज़िक्र नहीं करता—तो एक पार्टी की तरफ़ से यह नारा था कि हमारा एलैक्शन इसी बात पर है कि पंजाबी स्पीकिंग सूबा क़ायम किया जाये । जो लोग पंजाबी सूबा के हक़ में हैं वह हमें वोट दें और जो हमें वोट नहीं देंगे हमारे मुक़ाबले के आदमियों को देंगे वह एक तरह से पंजाबी सूबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के मुरतकिब होंगे । मैं उसे एक्सप्लाइटेशन इस लिये कहता हूं कि जिस बात पर सारा एलैक्शन लड़ा गया जिस बात पर सारे झगड़े वहां पैदा हुये जिस बात ने वहां कम्यूनल रंगत इख्तियार की जब वह एलैक्शन ख़त्म हो चुका तो कांग्रेस हुकूमत बन कर टूट गई । इस के बाद यूनाइटेड फ्रंट की वज़ारत बनने लगी तो यूनाइटेड फ्रंट के लीडर ने जो मुद्दई थे इस बात के कि वहां पंजाबी सूबे की बात पर एलैक्शन किया जाये उस ने एलान किया कि मैं उस सवाल को छोड़ता हूं । पंजाबी सूबे के सवाल को मैं ख़त्म करता हूं । मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ़ एक्सप्लायट करने के लिये वोट्स हासिल करने के लिये पंजाबी सूबे

का नाम इस्तेमाल किया गया । और जब वह एलैक्शन ख़त्म हो चुका तो ख़ुद उन्होंने उस बात को छोड़ दिया । उस ढंग से जब काम चलता है तो कुछ न कुछ बेचैनी उस में पैदा हो जाती है । असल काम नहीं होता और उस क़िस्म के लोगों की ज़हनियत कुछ कम्यूनल सी बन जाती है और लोग अच्छी बात की भी मुख़ालफ़त करनी शुरू कर देते हैं ।

पैप्सू यूनिवर्सिटी का जो मुआमला है मैं समझता हूं कि पैप्सू में बहुत जल्द यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिये । वहां जब प्रधान राज क़ायम हो गया उस के बाद उस बात को काफ़ी मशहूर किया गया । और अच्छे अच्छे सज्जनों ने मेरे कानों तक यह बात पहुंचाई कि वहां प्रधान राज होते ही यूनिवर्सिटी के मुआमले को ख़त्म कर दिया गया और जो पंजाबी का डिपार्टमेंट था उस को बन्द कर दिया गया । मगर सभापति जी, आज के अख़बार में ही मैं ने पढ़ा है और कल के अख़बार में भी छपा था कि दरअसल यह दोनों ही बातें ग़लत हैं । पैप्सू सरकार की तरफ़ से तरदीद की गई है कि यह दोनों ही बातें ग़लत हैं कि वहां पंजाबी का डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है या जो वहां की यूनिवर्सिटी का सवाल है उस को ख़त्म कर दिया गया है । मैं तो सभापति जी, आप की वसातत से बड़े ज़ोर से यह बात अर्ज़ करूंगा कि यूनिवर्सिटी का जो मुआमला है वह कोई कम्यूनल मुआमला नहीं है उस को किसी भी ढंग से उस तरह पर न लिया जाये। हमारी सरकार जितनी जल्दी पैप्सू में यूनिवर्सिटी क़ायम कर देगी उतना ही वह उस ग़लत फ़हमी को दूर करने का कारण होगा और लोगों के अन्दर से बेचैनी दूर हो जायेगी। यह एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है मैं अपनी बात को यहां ख़त्म करता हूं और आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे पंजाबी ज़बान

[ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर]

के मुताल्लिक ख़्याल इज़हार करने का मौक़ा दिया ।

श्री बहादुर सिंह (फ़िरोज़पुर-लुधियाना--रक्षित--अनुसूचित जातियां): सभापति जी, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफ़िर ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार की कोई नियत नहीं है कि पैप्सू में कांग्रेस को पावर में लाया जाय। मैं दो मिनिट में कहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब वहां गये हैं उन्होंने कांग्रेस को मज़बूत करने के लिये सिर्फ़ डेढ़ दिन में क्या कुछ नहीं किया। वह १० मार्च को पहुंचते हैं, १२ मार्च को सुबह ही कुछ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कुछ लोगों को फोर्स्ड लीव पर भेज दिया जाता है, कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है। ऐसे आदमी को, जिस के ख़िलाफ़ एन्क्वायरीज़ पेन्डिग हैं और जिस के ख़िलाफ़ करप्शन का मुक़दमा है, डी० सी० बना दिया जाता है। डेढ़ दिन में किस तरह से उन को पता चल जाता है कि कौन लोग खराब हैं।

इसके पीछे एक चीज़ है जिस को समझने की ज़रूरत है, अगर समझने की कोशिश की जाय।

एक माननीय सदस्य : समझ ही तो नहीं है।

श्री बहादुर सिंह। समझ आती है सोचने से वह चीज़ यह है कि सारी स्कीम सेण्टर में तैयार की गई थी कि फ़लां फ़लां लोगों को निकाल दिया जायगा। उस के बाद ही पोज़ीशन कन्सालिडेट हो सकेगी। और तब ही एलेक्शन करवाये जायेंगे। वर्ना वह आदमी जो१० मार्च को जाता है उस को १२ मार्च की सुबह किस तरह से पता चल जाता है कि यह लोग खराब हैं और उन की जगह किस को रखना चाहिये। ऐसे शख़्स को, जिस के ख़िलाफ़ एन्क्वायरीज़ पेन्डिग हैं डी० सी० बना दिया जाता है। वह शख्स दामोदर दास है, जिस को डी० सी० बना दिया गया है और इसी तरह से कुछ को दूसरी जगह भेज दिया जाता है और कुछ को दूसरी जगह से तीसरी जगह भेज दिया जाता है। तो कैसे कहा जाय कि केन्द्रीय सरकार की यह स्कीम तैयार नहीं थी कि कांग्रेस को कन्सालिडेट करना है, ऐसे लोगों को ऐसी पोज़ीशन में रखना है जो कि एलेक्शन के वक्त उन को कामयाब बना सकें, क्योंकि पहले एलेक्शन में जो कुछ हुआ है वह कांग्रेसी भाई जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, और वह वैसा कर के ही कामयाब होंगे। क्यों कि उन को पता है कि कामयाबी वैसे नहीं हो सकती। नालागढ़ में लोगों ने बता दिया है कि कांग्रेस वालों की सिक्योरिटी फ़ौरफीट हो सकती है। जो एलेक्शन १५ तारीख को होने वाला था उस को विद कर लिया था। उन को खुद यह मालूम है कि वह जीत नहीं सकते। जीतने का यही तरीक़ा है कि कुछ अफ़सरों को ऐसे मुकामों पर रख दिया जाय जहां वह बक्स वगैरह तोड़ सकें और कांग्रेस की पोज़ीशन कन्सालिडेट कर सकें। इस लिये मैं ज्ञानी जी से कहता हूं कि अगर कांग्रेस को मज़बूत करने की नियत नहीं है तो आख़िर डेढ़ ही दिन में यह सब क्या हो गया।

इन अल्फ़ाज़ के साथ मैं बैठ जाता हूं।

श्री चिनारिया (महेन्द्रगढ़) : मैं पहले तो वोट आन ऐकाउन्ट्स पर कुछ कहना चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हिन्दी में नहीं अंग्रेज़ी में बोलिये।

कुछ और माननीय सदस्य : नहीं नहीं हिन्दी में ही बोलिये।

श्री चिनारिया : अंग्रेज़ी थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद बोलूंगा, अभी तो हिन्दी में ही बोलने दीजिये ।

तो हमारे सरदार साहब ने कहा कि पंजाबी युनिवर्सिटी का एक आइटेम था जो यहां आने के बाद निकाल दिया गया । मैं तो कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार न बड़ी अक्लमंदी की जो इस को निकाल दिया । पेप्सू एक अजीब हालत में बन गया ; इसकी आबादी यू० पी० के एक ज़िले के बराबर भी नहीं है । यू० पी० के एक ज़िले की आबादी ४२ लाख है और यह ३५ लाख आबादी की जगह, उस में युनिवर्सिटी बनाई जाये । क्या अजीब बात है ? यह पेप्सू क़ायम रह नहीं सकता है, चाहे पंजाब में मिल जाय या राजस्थान में टुकड़े हो कर मिल जाय, लेकिन यह रहने वाली चीज़ नहीं है । सर कहां, पैर कहां, धड़ कहीं ; कहां महेन्द्रगढ़, कहां नालागढ़, कपूर्थला क्या यह चीज़ चलने वाली है ? फिर जिस का एक तिहाई हिस्सा ऐसा जिस का पंजाबी से कोई ताल्लुक़ नहीं । मैं उस एरिया से आता हूं जिसको हिन्दी स्पीकिंग कहते हैं, उस जगह हिन्दी बोली जाती है ? कंडाघाट और नालागढ़ भी ऐसे ही हैं जिस की आबादी एक तिहाई सारी आबादी की है, उस का पंजाबी से कोई ताल्लुक़ नहीं ।

ख़ैर, मुझे पंजाबी से कोई वैर नहीं है । मैं कहता हूं कि पंजाबी क्या ऐसी ज़बान है । अगर है तो क्या कोई ऐसा सूबा है जहां कि अपनी ज़बान के लिये एक डिपार्टमेंट रखा गया हो । यह पेप्सू है जहां कि पंजाबी डिपार्टमेंट रखा है । यह इस लिये कि आज उनको एक ज़बान गढ़नी है । नार्थ इंडिया की जो ज़बानें हैं वह देवनागरी से मिलती जुलती हैं । गुरुमुखी और देवनागरी में इतना ही फ़र्क़ है जितना कि मुंडी और लुंडी महाजनी राजस्थानी में फ़र्क़ है । यह एक ही चीज़ है । यों तो दस बारह मील के बाद थोड़ी थोड़ी ज़बान बदल जाती है । और एक्सैंट बदल जाता है । मैं आपको एक फ़िकरा कहता हूं । पंजाबी में कहते हैं 'की करदे हो' ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह चर्चा का क्षेत्र न बढ़ायें । यहां हिन्दी और पंजाबी या पंजाबी और उर्दू का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री चिनारिया : मैं तो इसको इस नुक्ते निगाह से देखना चाहता हूं कि एक ज़िले जितनी रियासत के लिये यूनीवर्सिटी के क्या मानी हैं ।

एक दो और बातें मेरे दोस्त ने कह दीं । पिछली बातें जब कही जाती हैं तो खटकती हैं जवाब देने की तबीयत करती है । कहा जाता है कि वहां एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने यह कर दिया वह कर दिया । मैं तो कहूंगा कि अभी तो वहां कितने ही ऐसे आदमी हैं जो बरख़ास्त करने के क़ाबिल हैं । उन्होंने यह जो कुछ किया है वह तो एक अच्छा क़दम उठाया है । यह तो नश्तर है । यह वहां के हालात को ठीक करेगा । वहां तो यह हाल है कि जीना मुहाल है । उनके लिये ठीक होगा लेकिन हम से पूछिये जो कि वहां रहते हैं । वहां का कोई आज ख़याल नहीं किया जाता । वहां कोई नहर नहीं है, न सड़क है । और न किसी और बात का ख़याल है । अभी तो एक ही जगह नश्तर लगा है । इस पेप्सू के अन्दर तो इतना पीप भरा हुआ है कि इसमें जगह जगह चीरे देने पड़ेंगे । यह तो पहला चीरा है । इसमें इतना दर्द क्यों होता है । राजप्रमुख से चपरासी तक ज़रूरत है जगह जगह नश्तर देने की जहां भी ख़राबी हो ।

एक माननीय सदस्य : तलवार चलाइये।

श्री चिनारिया : हम तो असिंहात्मक हैं इसलिये नश्तर ही ठीक है।

अभी तो बजट आगे आ रहा है और बातें कहने का आगे मौक़ा मिलेगा। मुझे एक बात यही कहनी थी।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, सरदार हुक्म सिंह जी ने यह गिला किया है कि केन्द्रीय हुकूमत पंजाबी के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिये वैसा नहीं कर रही है। मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि वह अपने गरेबां में मुंह डाल कर देखें कि उनकी पार्टी की सरकार ने क्या किया है। हिन्दी आज हिन्दुस्तान की मातृभाषा है और जितनी भाषायें हैं वे रीजनल भाषायें हैं। पैप्सू को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पेप्सू के अन्दर एक बहुत बड़ी तादाद है जो हिन्दी बोलती है और समझती है। लेकिन आप पैप्सू में चले जाइये। वहां दफ्तरों के नाम आपको हिन्दी में या अंग्रेज़ी में लिखे नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ गुरुमुखी में लिखे मिलेंगे। क्या मातृभाषा के साथ इस तरह का सलूक करना चाहिये ? और फिर वह यह गिला करते हैं। इसी बात से ज़ाहिर हो जाता है कि यह गिला कहां तक जायज़ है।

मुझे एक और अर्ज़ करनी है। वैसे ज्यादा बहस तो बजट के वक्त होगी लेकिन चन्द चीज़ें मैं इस वक्त कहना चाहता हूं। वहां जो ख़राबियां थीं, उन की वजह से कान्स्टीट्यूशन ससपेंड किया गया है। और आज पार्लियामेंट के हाथ में पैप्सू का राज्य आया है। हमारी बहुत सालों से यह बद-किस्मती थी कि जो पैप्सू का हिन्दी स्पीकिंग एरिया है उसको एक कालोनी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। जिस तरह से एक हुक्मरां एक कालोनी के साथ बरताव करता है उसी तरह हिन्दी स्पीकिंग एरिया के साथ किया जाता था। यह बात ज़रूर है कि इस एरिया में से जिन लोगों को पसन्द किया गया उनको अपनी मिनिस्ट्री को मजबूत करने के लिये ले लिया गया था। लोगों को यह गिला था कि पहले १३ मेम्बर बदले उन में से नौ मेम्बरों को ओहदे दिये गये। इसके इलावा हिन्दी स्पीगिंक एरिया वालों के साथ ठीक बरताव नहीं किया गया। अब चूंकि इख्तियारात पार्लियामेंट के हाथ में आये हैं मैं इस तरफ़ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं आप के द्वारा एक और अर्ज़ करना चाहता हूं। इलेक्शन ट्राइबुनल का जो फ़ैसला हुआ है उसके अन्दर भी एक बात दर्ज है कि पता नहीं किस वजह पर दरख़्वास्तें रद्द की गयीं। दूसरे मामलों में लोगों ने कुछ रियायतें कीं। मैं अर्ज़ करूंगा कि पैप्सू के लिये रियायत करना कोई नई चीज़ नहीं है। वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन को अगर बेहद दरजे का करप्ट कहा जाये तो ग़लत नहीं होगा। रिश्तेदारों का तांता फंसा हुआ है। मेरा ख़्याल है कि अगर देखा जाये तो एक एक आदमी के आठ आठ जिलों में रिश्तेदार मिल जायेंगे। तो जो पैप्सू का राज्य है वह रिश्तेदारी का सौदा है। अब इसको रिश्तेदारी का मामला न रहने दिया जाय।

मैं ज्यादा उस तरफ़ नहीं जाना चाहता लेकिन सरदार हुक्म सिंह जी ने जो कहा उनका जवाब देने के नाते मैं एक मिनट लेना चाहता हूं। उनको जो ख़्याल है कि जो सप्लीमेंटरी ग्रांट हैं वह इलेक्शन ट्राइबुनल की बिना पर नहीं पास की गयी यह ग़लत है। वह वहां पर हाज़िर नहीं थे।

चौ० रणवीर सिंह : जिस रोज़ असेम्बली में सेशन को एक दम से ऐडजर्न किया गया उसकी वजह दूसरी थी। क़िस्सा

यह था कि एक क्लाज़ के डिसकशन में एक मेम्बर ने एक दूसरे मेम्बर के ख़िलाफ़ ऐतराज़ किया और कुंवर दीप सिंह के बारे में वह डर हुआ कि यह बदल जायगा और पांच मिनट के अन्दर हाउस उठ कर चला गया। इस वजह से वहां डिमांड पास नहीं हुई। इलेक्शन ट्राइबुनल की वजह से नहीं। ट्राइबुनल के सामने तो कांग्रेस के भी केस थे और यूनाइटेड फ्रंट के भी थे। मैं उस तरफ़ और ज्यादा नहीं जाना चाहता।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

दूसरे मेरे साथी सरदार बहादुर सिंह ने एक बात कही। वह भूल गये कि तजर्बा भी दुनिया में एक बड़ी अच्छी चीज होती है। जिसके लिये वह प्लीड करना चाहते थे उसके खिलाफ़ कह गये। इसका इनडाइरेक्ट इनफरेन्स यह है कि वहां ख़राबी थी। मैं किसी अफ़सर के ख़िलाफ़ या हक़ में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं एक बात आपके ज़रिये अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर यह जो फ़ेवरिटिज्म और करप्शन है यह बहुत बढ़ा हुआ है। इसका ख्याल रखा जाये।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह प्रथम अवसर है जब कि एक भाग 'ख' राज्य में राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया जा रहा है। यह भाग 'ख' राज्य विभिन्न देशी रियासतों को मिला कर बनाये गये हैं। इन सब रियासतों में अपना अपना अलग शासन व्यवस्था थी। उनके अपने उच्च न्यायालय थे, अपनी पुलिस थी, अपनी सेना थी और सब कुछ अपना अलग था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दृढ़ थी। तो आज हमें यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब इस तरह की रियासतों को मिला कर बड़े बड़े राज्य मिला दिये गये हैं और जब व्यर्थ में खर्चे कम हो गये हैं तो फिर इन राज्यों की आर्थिक स्थिति ख़राब क्यों है। यह पहला अवसर है जब कि संघ के वित्त मंत्री को सारे मामले की जांच करनी पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। उन सब मदों को आयव्ययक में क्यों रखा जा रहा है जिन पर व्यय होने की कोई सम्भावना नहीं है। मैं उनका ध्यान विशेषतः मांग संख्या ९ से १२ की ओर दिलाता हूं जो मंत्रियों, राज्य विधान सभा, विधान सभा के चुनाव, मुख्य मंत्री तथा परामर्शदाता के सचिवालय आदि से सम्बन्धित हैं। क्या हम यह सब ख़र्चे करेंगे? मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह इस ओर सावधानी से ध्यान दें ताकि हमें विश्वास हो सके कि जो कुछ खर्चा किया गया है वह ठीक तौर पर किया गया है और हमारे अधिकारियों ने इस मामले पर पूरी तरह ध्यान दे कर कार्य किया है।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी मैं इस डिबेट में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक आध बात का जवाब देना चाहता हूं जो हमारे सरदार हुक्म सिंह जी ने कहीं। मैं आम तौर पर उन की बातों का बहुत ऐतबार करता हूं, लेकिन उन्होंने आज जो बात कही तो मैं सोचता हूं कि यह कहां तक ठीक है। उन्होंने यह बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इरादा यह था कि वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट कायम हो जाय। मैं सोचता हूं कि यह बात कहां तक ठीक है। फ़र्ज़ किया जाय कि अगर वहां कांग्रेस गवर्नमेंट क़ायम भी हो तो आप देखिये कि वहां कैसी हालत है, राजप्रमुख के मुताल्लिक़ वहां तरह तरह की बातें होती हैं। आप यह बात भी जानते हैं कि इस समय देश में राजप्रमुख के मुताल्लिक़ कैसा वायुमंडल बना हुआ है। पैप्सू के राजप्रमुख और दूसरे राजप्रमुखों के बारे में देश में इस वक्त इतना वायुमंडल है कि अगर

[लाला अचिन्त राम]

वहां कांग्रेस गवर्नमेंट करनी होती तो वहां बहुत आसान था। पटियाला में आल पार्टीज़ कानफरेंस हुई जिस के अन्दर कांग्रेस के क्या कम्युनिस्ट के क्या और अकाली भी शामिल हुये। उन्होंने सब ने इस बात की मांग की कि राजप्रमुख को हटाया जाय। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का यह इरादा होता कि वहां पर कांग्रेसी गवर्नमेंट क़ायम की जाय तो मैं समझता हूं कि आसान काम था कि राजप्रमुख को छुट्टी दे दी जाती। लेकिन मैं देखता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने निहायत अक्लमंदी से काम लिया और राजप्रमुख को नहीं छेड़ा। बजट को देखने पर मुझे ख़ुशी हुई कि राजप्रमुख वैसे के वैसे बहाल हैं। उन की तनख्वाह, पेंशन, सब चीज़ें वैसी की वैसी बहाल हैं। मैं सच कहता हूं कि इस बात को देख कर मुझे ख़ुशी हुई। तो ऐसी बात देखते हुये यह कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह इरादा था कि राजप्रमुख को हटाया जाय या वहां पर कांग्रेसी गवर्नमेंट क़ायम की जाय मैं समझता हूं कि इस में ज़रा मुझे कुछ सचाई मालूम नहीं देती।

अब आप दूसरी बात लीजिये। आप को पता है कि अभी पैप्सू प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया कि पैप्सू को पंजाब के साथ मिला दिया जाय गौर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम को पैप्सू के साथ मिला दिया जाय। दोनों ही प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के प्रस्ताव हैं। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिये यह कहना बड़ा आसान था कि भाई पैप्सू के अन्दर गड़बड़ है इसलिये इस को पंजाब के साथ मिला दिया जाय। यह मामूली बात थी। लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हाई कमांड है, उस को देखिये कि उस का क्या रवैया है। उन्होंने दोनों को मिला देने की डिमांड को टर्न डाउन कर दिया। तो मैं सरदार हुक्म सिंह जी से कहूंगा कि अगर इरादा ऐसा ही होता तो राजप्रमुख के मुताल्लिक़ या पैप्सू को अमालगैमेट करने से मुताल्लिक़ जैसा मसाला मिल रहा था उससे यह हाई कमांड के लिये आसान काम था। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल ग़लत हैं। लेकिन यह बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर तुली हुई है कि वहां कांग्रेस गवर्नमेंट बन जाय; मैं समझता हूं कि ऐसे हालात थे कि जिन को देखते हुये यह आसानी से कर सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। तो उन के रिफ्यूजल से मुझे बड़ी ख़ुशी हुई।

हमारे होम मिनिस्टर साहब, डाक्टर काटजू साहब ने वहां काउन्सिल आफ़ स्टेट में बयान दिया कि हमें इस बात से ग़रज़ नहीं है कि कौन पार्टी पावर में आये। हमें इस बात से ग़रज़ है कि वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो। तो जब डाक्टर काटजू साहब ऐसी बात कहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर ग़ौर करें। मेरे ख्याल से उन के लिये यह कहना ठीक नहीं था कि वहां कांग्रेस गवर्नमेंट क़ायम करना चाहते हैं। फिर आप देखिये कि वहां पेप्सू में क्या हालत है। मैं जिस दिन तलवण्डी में वाक़या हुआ तो वहां भटिंडा में था। वहां ख़बर आई कि एक लड़की को उठा लिया गया। म नहीं कहता कि और जगह ला एण्ड आर्डर की हालत ठीक है। लेकिन वहां पैप्सू में यह हालत थी और जब यह ख़बर सुनी तो आज तक मेरा दिल बैठा हुआ है कि कैसे लड़की को उठा कर ले गये और कहा कि रुपये दो तब लड़की मिलेगी। इस तरह की बात वहां होती है। जब मैं पैप्सू गया और मैं ने पैप्सू के अन्दर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश की तो मुझ से कहा

गया कि वहां दिन के वक्त जाना सेफ भी नहीं है। वहां पैप्सू गवर्नमेंट ने यह इन्तज़ाम किया हुआ है कि हर ट्रक और हर बस के साथ पुलिस जाती है। तो वहां पर यह हालत थी। इसलिये यह सब देखते हुये यह कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह इरादा है कि वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट कायम हो, ठीक नहीं है। मैं सरदार हुक्म सिंह साहब से अर्ज़ करूंगा कि आप तो बड़े इन्साफ़ पसंद हैं, आप तो ऐसी बात कहते हुये जरा झिझकिये। इस तरह की बात कहना आप के लिये मुनासिब नहीं होगा कि अगर ज़रा सी बात हो तो ऐसा कहें। अगर थोड़ी सी कहीं बात है तो उस को इस तरह मैगनीफ़ाई मत कीजिये। जो अच्छी बातें हैं उन को भी तो कहिये।

अब बाकी रही बात पंजाबी के बारे में। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं ने बजट को देखा बजट के अन्दर पिछले साल १९५२–५३ में पंजाबी के लिये दो लाख रुपया खर्च किया गया और अब वहां की गवर्नमेंट ने ठीक ही किया कि बजट के अन्दर दो लाख ९४ हजार या ९५ हजार रुपया रखा। यह बिल्कुल मुनासिब बात थी, रीजिनल लैंग्वेज को ऐनकरेज करना। सैंट्रल गवर्नमैंट ने उस बजट को जो प्रावीजन इस के लिये किया गया, उस को वैसे का वैसा ही मंजूर किया। इस वास्ते यह कहना कि सैंट्रल गवर्नमैंट की कोई कांग्रेस के हक में पालिसी है, या पंजाबी को डिसकरेज करने की पालिसी है, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। यूनिवर्सिटी के मताल्लिक तो ज्ञानी जी ने कह ही दिया है। वहां यूनिवर्सिटी कायम हो उस में सभी बातें होंगी।

इस वास्ते मेरी दरख्वास्त है कि आप जो सैंट्रल गवर्नमेंट को एक्यूज़ कर रहे हैं यह ठीक बात नहीं है और वह गुनाहगार नहीं है। यह वाकई बहुत फ़ख्र की बात कि इतना मसाला होते हुए भी भारत सरकार पैप्सू के मामले में निष्पक्षता से काम ले रही है और पंजाबी के बारे में उस का एटीच्यूड खुद अपनी मिसाल है।

अभी जो वाइट पेपर पेश किया गया उस के अन्दर यह कहा गया और यह माना गया है कि पेप्सू के अन्दर पिछले साल शराब बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुई और जो डेफ़िसिट है उस डेफ़िसिट को शराब की आमदनी से पूरा किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बड़े दुख और अफसोस की बात है कि वहां पर शराब का इस कदर इस्तेमाल हुआ। प्रेसीडेंट्स रूल जो वहां पेप्सू में क़ायम किया गया है उस की कामयाबी इसी से नापी जा सकेगी कि आप वहां पर कहां तक फेयर इलेक्शन्स करवा सके हैं, कहां तक अमनोअमान कायम रख सके हैं और शराब जो वहां इस्तेमाल हो रही थी उस में किस कदर कमी आप कर पाये हैं। इन चीजों पर प्रेसीडेंट्स रूल की कामयाबी जानी जा सकेगी और मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज वहां लोग शराब के कारण पागल हो रहे हैं। जब तक आप वहां पर शराब बन्द नहीं करेंगे, तब तक कैसे वहां पर इलेक्शनस फ़ेयर और ठीक तौर से होंगे और ला एण्ड आर्डर कैसे कायम होगा। जब तक वहां पर लाखों रुपये की शराब इस्तेमाल होती रहेगी, तब तक मैं समझता हूं कि आप को कामयाबी हासिल नहीं होगी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और यह कहना कि पेप्सू में प्रेसीडेंट्स रूल कांग्रेस के हक में उठाया है बिल्कुल गलत है और सरकार के साथ नाइंसाफी करना है। भारत सरकार ने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया है और वह देखना चाहती है कि वहां पर इलेक्शन्स फ़ेयर हों और वहां पर ला एण्ड आर्डर कायम

[लाला अचिन्त राम]

हो। मैं अपनी सरकार से दुबारा अपील करता हूं कि वह फौरन वहां पर शराब को बन्द करने का इन्तजाम करे, क्योंकि जब तक शराब चलती रहेगी तब तक राहजनी, डकैती और लूटमार होती रहेगी और औरतें उठाई जाती रहेंगी। बजट के अन्दर एक पाई भी इस काम को अंजाम देने के लिये नहीं रखी गई है। मैं कहूंगा कि जहां आप ने इतना खर्चा रखा है, वहां इस शराबबन्दी का प्रोपेगन्डा करने के लिये पांच, सात लाख रुपये का प्राविज़न ज़रूर रखिये ताकि इस ६ या ६ महीने के प्रेसीडेंट्स रूल के अर्से में आप प्राहिबिशन कर सकें और वहां पर इलेक्शन ठीक तौर से करा सकें। हमारे सरदार हुक्म सिंह दावा करते हैं कि इस वक्त पैप्सू में उन की मेजारिटी है। मैं इस को इस वक्त कंटेस्ट नहीं करना चाहता लेकिन मैं उन से कहूंगा कि यह बात तो उन के हक में ही हुई है कि ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है ताकि इलेक्शन्स ठीक तौर पर हो सकें और यह तो उसी तरह है जैसे कोई आदमी अपने हाथ से खुजली करता हो और कोई डाक्टर उसको रोकने के लिये उस का हाथ पकड़ ले और कहे कि खुजली मत करो। वह तो उस के लिये भला ही होने वाला है क्योंकि वह चार दिन के भीतर ठीक हो जावेगा बिल्कुल ठीक यही बात सरदार हुक्म सिंह पर भी लागू होती है बेकार में आप खुजली कर रहे थे—किसी को मिनिस्टर बनाया जा रहा था और किसी को हटाया जा रहा था। होम मिनिस्टर ने प्रेसीडेंट्स रूल कायम कर के आप को खुजली करने से रोक दिया है और आप को मौका दिया है कि आप का जैसा दावा है कि पैप्सू में हमारी मैजारिटी है, तो अगले इलेक्शन में जो फ़ेयर होंगे अपने दावे को सही साबित करें और मेजारिटी दिखायें और इस तरह आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो कुछ स्टैप उठाया है, वह आप के हक में ही है।

सरदार हुक्म सिंह : इलेक्शन कराइये तो।

लाला अचिन्त राम : घबराइये मत, इलेक्शन होगा और ज़रूर होगा और बदले हुए हालात में अमन चैन जब कायम हो जायेगा तब इलेक्शन कराया जायगा और उस वक्त आप को मौका होगा कि आप अपनी मेजारिटी लायें।

सरदार हुक्म सिंह : इलेक्शन कराइये तो।

लाला अचिन्त राम : मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि वहां पर इलेक्शन होगा और ज़रूर होगा। आप फिक्र मत कीजिये, इलेक्शन जल्दी ही होगा। आप अपनी कोशिश कीजिये। पहले आप वहां के हालात ठीक कीजिये। जिस से अमनोअमान कायम हो, ला एण्ड आर्डर कायम हो, ताकि जैसा आप का दावा है आप अपनी मैजारिटी ला सकें और सूबे और देश को फायदा पहुंचे। मैं सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला को या राजप्रमुख को कभी भी कम्युनलिस्ट कहने के लिये तैयार नहीं हूं। उन्हों ने तो रियासतों के मिलने के वक्त तमाम हिन्दुस्तान की रियासतों को लीड दी थी। राड़ेवाला कम्युनलिस्ट हैं, यह मैं कैसे कह सकता हूं। उन्हों ने तो सरदार पटेल का साथ दिया था। इस वास्ते आज भारत सरकार इस बात पर भरोसा करती है कि वहां के हालात शीघ्र ही सुधर जायेंगे और तब जनता को मौका दिया जायगा कि वह अपनी मन पसन्द सरकार चुने। इस वास्ते मैं एक बार फिर आप के जरिये सरदार हुक्म सिंह से अपील करता हूं कि वह सरकार को वहां पर शान्ति स्थापित करने में मदद दें।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियार पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में केवल इसलिये भाग लेना चाहता हूं क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो पैप्सू का पड़ौसी है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत से गांव वाले आये और कहने लगे कि पैप्सू की हालत बहुत खराब है और वे वहां अपने को सुरक्षित नहीं समझते। मैं तो उनके लिये कुछ नहीं कर सकता था परन्तु उन की बातों को मैं ने सम्बन्धित लोगों तक पहुंचा दिया। केन्द्रीय सरकार ने जो क़दम उठाया है, मैं आशा करता हूं, उस से पैप्सू में शान्ति हो सकेगी और वहां के लोगों में विश्वास उत्पन्न हो सकेगा। पैप्सू में जो प्रशासक नियुक्त हुए हैं, वह भी एक अनुभवी, और योग्य व्यक्ति हैं और वह वहां की स्थिति शीघ्र सुधार सकेंगे।

कहा गया है कि वहां बहुत से लोगों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। यह तो प्रशासन में कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से किया जाता है और इस में किसी को विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जब पैप्सू में एक गैर-कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई तो हम बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि इस के द्वारा हम एक नया प्रयोग करने जा रहे थे। हम चाहते थे कि वहां की सरकार को सफलता मिले। परन्तु जब वह सफल नहीं हुई तो हमें यह क़दम उठाना ही पड़ा।

जहां तक पप्सू में विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न है, हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में पंजाबी के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। यह कहना ग़लत है। पंजाब विश्वविद्यालय में एक हिन्दी विभाग है और एक पंजाबी विभाग भी है। हिन्दी विभाग की भांति पंजाबी विभाग का भी एक 'रीडर' है। इस के अलावा पंजाब विश्वविद्यालय में एक 'प्रकाशन विभाग' है। यह विभाग पंजाबी साहित्य और पंजाबी व्याकरण का इतिहास निकालने जा रहा है। फिर हम ने पंजाबी में एम० ए० भी खोल दिया है। मैं समझता हूं कि इसे सौतेला व्यवहार नहीं कहा जा सकता।

जहां तक सच्चर योजना का प्रश्न है उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। सारे पंजाब को पंजाबी भाषी क्षेत्र और हिन्दी भाषी क्षेत्र में बांट दिया गया है। पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक यह योजना लागू है। मैं तो यह कहूंगा कि पैप्सू में पंजाबी की नहीं बल्कि हिन्दी की उपेक्षा की जाती रही है। बहुत से स्कूलों को इसलिये अनुदान नहीं दिया गया क्योंकि वे अपने यहां के विद्यार्थियों को हिन्दी में पढ़ाना चाहते थे। बहुतसों को इसी कारण मान्यता भी नहीं दी गई।

मैं इस नई व्यवस्था का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि नये प्रशासक महोदय वहां अन्य सुधार करेंगे। वह यह देखेंगे कि यदि पेप्सू में कभी विश्वविद्यालय स्थापित हो तो पंजाबी के विकास के साथ साथ हिन्दी को भी अपना उचित स्थान प्राप्त हो।

बस मुझे इतना ही कहना है।

सरदार लाल सिंह (फ़ीरोज़पुर-लुधियाना) : मैं माननीय सदस्यों की कुछ बातों का उत्तर देना चाहूंगा। कहा गया है कि पैप्सू एक बहुत छोटा राज्य है और वहां विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं। किन्तु मैं कहता हूं कि वहां एक विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिये, क्योंकि यह ३५ लाख की जनसंख्या वाला एक पृथक् राज्य है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ७ या ८ विश्वविद्यालय हैं।

श्री चिनारिया ने पंजाबी भाषा के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। यदि साहित्य की दृष्टि से इस का स्थान बहुत ऊंचा न भी हो, फिर भी

[सरदार लाल सिंह]
अपनी मातृभाषा को तो कोई नहीं छोड़ सकता।

शान्ति और व्यवस्था और प्रशासन की ओर निर्देश किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि गत वर्ष के दौरान में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और अब पहले से लगभग आधे अपराध होते हैं।

मुझे खेद है कि कुछ सदस्यों ने राजप्रमुख की बहुत आलोचना की है। मेरे विचार में उन के व्यक्तित्व को वाद-विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए था। वर्तमान राजप्रमुख को हिन्दुओं और सिख दोनों का विश्वास प्राप्त है, न केवल पैप्सू में, बल्कि पंजाब में भी। मैं यह भी कह सकता हूं कि वे पंजाब में साम्प्रदायिक सामंजस्य के सब से बड़े समर्थक हैं और उन की कोशिशों से ही पंजाब और पैप्सू के सीमान्त प्रदेशों में साम्प्रदायिक सामंजस्य का वातावरण पैदा किया जा सकता है। उन्हों ने शरणार्थियों की जो सेवा की है, वह भी लोगों को भूल नहीं सकती।

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस--मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहस कुछ इस ढंग की हो गई है कि मालूम पड़ता है कि पैप्सू में सिखों का बाहुल्य है इस वास्ते शायद हिन्दुस्तान के और लोग उस के साथ अन्याय करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पैप्सू हिन्दुस्तान का अंग है पैप्सू की बात हिन्दुस्तान को छोड़ कर नहीं की जा सकती। पैप्सू हमारी सीमा पर स्थित है। पैप्सू का हिन्दुस्तान में उतना ही हक है जितना कि बाकी लोगों का पैप्सू में। हमारा शासन एक लोकतंत्र के आधार पर चल रहा है। जितने लोग हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं उन का इस देश की एक एक इंच भूमि पर अधिकार है और वे उस के विषय में सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। इस वास्ते मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वह पैप्सू के इस मामले को साम्प्रदायिकता या जातीयता का रूप न दें। हमें भारतवर्ष को एक बनाना है। हमें एक देश की ज़रूरत है, एक भाषा की ज़रूरत है, एक नेता की ज़रूरत है। जब तक हम एक भाषा नहीं बनायेंगे, जब तक हम एक देश नहीं बनायेंगे, और जब तक हम एक देश के रूप में सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा। आखिरकार जब हमें अपने देश में एक भाषा बनानी है तो उस की धातु अरबी, फारसी से तो नहीं आवेगी। वह तो उसी ओंकार नाम से आवेगी जिसका हमारे सिख भाई रोज प्रातःकाल स्मरण करते हैं। उसी धातु से जो भाषा बनेगी वही सारे हिन्दुस्तान की भाषा होगी। रैदास, कबीर आदि ने किस भाषा में लिखा है? सिखों के श्री गुरु ग्रन्थ साहब में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? वही भाषा हिन्दुस्तान की भाषा है वही हिन्दुस्तान की भाषा होनी चाहिये। हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि पैप्सू में हिन्दू ज्यादा रहते हैं या सिख ज्यादा रहते हैं। हमें यह देखना है कि वहां के रहने वाले हिन्दुस्तानी हैं और वे हिन्दुस्तान के अविभाज्य अंग हैं।

एक दूसरी बात सरदार लाल सिंह ने यह कही है कि यू० पी० में ६ यूनिवर्सिटियां हैं। अगर ३५ लाख की आबादी में एक यूनीवर्सिटी बननी है तो यू० पी० में १८ यूनीवर्सिटियां होनी चाहियें। और सारे हिन्दुस्तान में १०० यूनीवर्सिटिया होनी चाहियें। हमारी बनारस यूनीवर्सिटी सारे हिन्दुस्तान की यूनीवर्सिटी है। इसी तरह पैप्सू में जो यूनीवर्सिटी बनेगी वह सारे हिन्दुस्तान की यूनीवर्सिटी होगी इसी वास्ते मैं ने

कहा कि अगर पप्सू में जहां ३५ लाख की आबादी है, एक यूनीवर्सिटी बनाने के सिद्धान्त को मान लिया जाय तो यू० पी० में १८ यूनीवर्सिटियां चाहियें और सारे हिन्दुस्तान में १०० यूनीवर्सिटियां होनी चाहियें। मैं इस विषय को थोड़े में ही खत्म करना चाहता हूं।

हम से कहा गया है कि हिन्दी स्कूलों में हिन्दी में शिक्षा नहीं होती। जिन स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है उन को ग्रान्ट नहीं दी जाती। यह बात अनुचित है। कोई भी भाषा जो कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा होने जा रही है उस भाषा का अगर कहीं अध्ययन होता है और अध्यापन होता है और उस स्कूल को ग्रान्ट नहीं दी जाती यह अनुचित चीज़ है। आप समझ लें कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा अरबी नहीं हो सकती, फारसी नहीं हो सकती, उर्दू नहीं हो सकती। यदि हिन्दुस्तान की कोई राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह हिन्दी ही हो सकती है। जिन स्कूलों में हिन्दी का अध्ययन अध्यापन होता है वहां पर पेप्सू सरकार ने ग्रान्ट बन्द कर दी है। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वहां पर ग्रान्ट दी जाय ताकि हिन्दुस्तानी की शिक्षा दी जा सके। इन शब्दों के साथ मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को उन्हों ने जो सब बातों का ध्यान रखते हुए सुन्दर बजट बनाया है उस के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री सी० डी० देशमुख : उपाध्यक्ष जी जो मांग आप के सामने पेश है मेरी समझ में उस पर इस किस्म की बहस की जरूरत नहीं थी। बावजूद इस के लम्बी चौड़ी बहस हो चुकी है। इसलिये आज का रोज पंजाब संघ का रोज कहा जा सकता है। इस दिलचस्प बहस में बहुत से सवाल उठाये गये हैं जैसे विश्वविद्यालय का सवाल। इस का जवाब देने का माकूल मौका आगे आवेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जो वजूहात पेश की गई हैं उन में से एक भी ऐसी नहीं है जिस की वजह से मेरी मांग से इन्कार किया जा सके। इसलिये मैं फिर से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरी मांग मंजूर की जाय।

मांग संख्या १	भू-राजस्व	१४,१६,९०० रुपये
मांग संख्या २	राज्य उत्पाद शुल्क	६,२४,४०० रुपये
मांग संख्या ३	मुद्रांक	२१,२०० रुपये
मांग संख्या ४	वन	४,७०,२०० रुपये
मांग संख्या ५	पंजीयन	७,५०० रुपये
मांग संख्या ६	मोटर गाड़ी अधिनियम के कारण व्यय	२८,७०० रुपये
मांग संख्या ७	अन्य कर तथा शुल्क	१,३१,२०० रुपये
मांग संख्या ८	सिंचाई	१४,५२,६०० रुपये
मांग संख्या ९	मंत्री तथा परामर्शदाता	७६,५०० रुपये
मांग संख्या १०	राज्य विधान सभा	१,१०,४०० रुपये
मांग संख्या ११	विधान मंडल के चुनाव	८४,३०० रुपये
मांग संख्या १२	मुख्य मंत्री और परामर्शदाता का सचिवालय	२३,४०० रुपये
मांग संख्या १३	गृह विभाग	१,७२,८०० रुपये
मांग संख्या १४	वित्त विभाग	१,१०,५०० रुपये

मांग संख्या १५	राजस्व विभाग	८३,३०० रुपये
मांग संख्या १६	शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग	३०,२०० रुपये
मांग संख्या १७	विकास विभाग	३१,८०० रुपये
मांग संख्या १८	उद्योग, रसद तथा श्रम विभाग	३६,५०० रुपये
मांग संख्या १९	पुनर्वास विभाग	५५,००० रुपये
मांग संख्या २०	विधि तथा स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	६५,६०० रुपये
मांग संख्या २१	आयुक्त	२२,६०० रुपये
मांग संख्या २२	ज़िला प्रशासन	६,०४,२०० रुपये
मांग संख्या २३	असैनिक रसद अधिदेश	२,३५,८०० रुपये
मांग संख्या २४	न्याय का प्रशासन	४,५६,७०० रुपये
मांग संख्या २५	जेल तथा हवालात	५,२८,००० रुपये
मांग संख्या २६	पुलिस	२६,०६,६०० रुपये
मांग संख्या २७	शिक्षा	३६,७२,१०० रुपये
मांग संख्या २८	चिकित्सा	११,६४,८०० रुपये
मांग संख्या २९	लोक स्वास्थ्य	४,२५,६०० रुपये
मांग संख्या ३०	कृषि	१२,३४,७०० रुपये
मांग संख्या ३१	पशु चिकित्सा	२,२०,६०० रुपये
मांग संख्या ३२	सहकारिता	१,८५,६०० रुपये
मांग संख्या ३३	उद्योग तथा रसद	६,२८,५०० रुपये
मांग संख्या ३४	विविध विभाग	२,४५,७०० रुपये
मांग संख्या ३५	पंजाबी विभाग	६७,१०० रुपये
मांग संख्या ३६	असैनिक निर्माण	४७,८४,३०० रुपये
मांग संख्या ३७	विद्युत योजनाएं—कार्य व्यय	१०,५७,६०० रुपये
मांग संख्या ३८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी व्यय (राजस्व लेखा में)	८७,१०० रुपये
मांग संख्या ३९	निंजी थैलियां और भारतीय राजाओं के भत्ते	४,४३,४०० रुपये
मांग संख्या ४०	वार्द्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति वेतन	५,१६,३०० रुपये
मांग संख्या ४१	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	६,००,००० रुपये
मांग संख्या ४२	प्रकीर्ण	३,७२,४०० रुपये
मांग संख्या ४३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	४,८७,१०० रुपये
मांग संख्या ४४	केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच विविध समन्वय	१,३०० रुपये
मांग संख्या ४५	सामूहिक विकास परियोजनाएं	४,२६,१०० रुपये
मांग संख्या ४६	सिंचाई, नौवहन, बांध का निर्माण और निकासी निर्माण	१७,८०,३०० रुपये
मांग संख्या ४७	कृषि सुधार तथा अनुसंधान की योजनाओं पर पूंजी व्यय	२२,००,००० रुपये
मांग संख्या ४८	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं—भाखड़ा नंगल परियोजना पर पूंजी व्यय	५५,३३,८०० रुपये
मांग संख्या ४९	राजकीय व्यापार योजनाओं पर पूंजी व्यय	४,२८,६३,३०० रुपये
मांग संख्या ५०	सूद वाले ऋण	५०,०३,२०० रुपये

पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५३-५४ के कुछ भाग में व्यय करने के लिये पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ की संचित निधि में से कुछ राशियां निकालने का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पर विचार किया जाये।"

७ प० म०

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३ को विधेयक का अंग बना लिया गया।

अनुसूची को विधेयक का अंग बना लिया गया।

नाम तथा अधिनियम सूत्र को विधेयक का अंग बना लिया गया।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

१९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में व्यय करने के लिये, भारत की संचित निधि में से कुछ और राशि निकालने तथा विनियोग करने वाले एक विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि :

'विधेयक पर विचार किया जाये।'

उपाध्यक्ष महोदय : इस में केवल एक वर्ष के लिये उत्पाद शुल्क की गणना की गई है।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां। केवल इतना ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि

"विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नम्बियार (मयूरम) : तम्बाकू उत्पाद शुल्क तथा करों के सम्बन्ध में हमें मद्रास राज्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मद्रास राज्य सरकार को अपनी इच्छानुसार उत्पाद शुल्क या विक्रय कर लगाने का पूर्ण अधिकार न दिया जाये, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने उसे यह अधिकार सौंप रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मद्रास राज्य को ऐसा करने की आज्ञा न दी जाये।

श्री सी० डी० देशमुख : वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि बम्बई, मद्रास आदि राज्यों से, तम्बाकू पर उत्पाद कर नहीं,

[श्री० डी० देशमुख]

बल्कि विक्रय-कर लगाने के सम्बन्ध में जो समझौते किये गये थे, उन का उत्पाद कर की बांट से सम्बन्धित सिफारिशों के फलस्वरूप निराकरण कर दिया जाये । मेरे विचार में यह न्यायोचित है कि जो स्वतंत्रता उन्हें इन समझौतों से पूर्व प्राप्त थी, अब वे उन्हें लौटा दी जाये । कुछ भी हो हमारे पास कोई ऐसा संवैधानिक उपाय तो है नहीं जिस के अनुसार हम उन से कह सकें कि वे राजस्व के एक साधन' का उपयोग न करें ।

श्री **नम्बियार** : क्या केन्द्रीय सरकार मद्रास सरकार को यह सलाह नहीं दे सकती कि कड़ाई से काम न ले ?

उपाध्यक्ष महोदय : परामर्श कैसे दिया जा सकता है, स्थानीय विधान मंडल और सरकारें इस का स्वागत नहीं करेंगी।

प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ और ३ को विधेयक का अंग बना लिया गया ।

अनुसूची को विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १ को विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र को विधेयक का अंग बना लिया गया ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन (संशोधन) विधेयक

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-परिषद् ने जो निम्न संशोधन किया है उस पर विचार किया जाये :

"कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा ४० की उप धारा (२) के खंड (ग) के उप खंड (१) में "तीन हजार" इन शब्दों के स्थान पर "पांच हजार" ये शब्द आदिष्ट किये जायें ।"

माननीय पुनर्वास मंत्री ने यह संशोधन स्वीकार कर लिया था। अब जबकि यह इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुई है, मैं आशा करता हूं, सदन इसे पारित कर देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि :

"राज्य परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जे० के० भोंसले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्य-परिषद् द्वारा किये गये संशोधन को स्वीकार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु ।

सदन में बहुत कम सदस्य उपस्थित हैं। यह एक संवैधानिक प्रश्न है और इस का प्रभाव दोनों सदनों के अधिकारों पर पड़ता है । मेरे विचार में इसे इतनी जल्दी स्वीकार कर लेना उचित न होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है और न ही कोई संवैधानिक प्रश्न है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं । मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह तब प्रस्तुत किया जाये, जब सदन में अधिक सदस्य उपस्थित हों । यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय गुजर चुका है । विचार का प्रस्ताव स्वीकार भी हो चुका है ।

प्रश्न यह है कि :

"राज्य परिषद् द्वारा किये गये संशोधन को स्वीकार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक अब कल दो बजे तक स्थगित होगी ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार २७ मार्च, १९५३ के २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD--HS--249—PSD 2-1-54—285